सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

09 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — सोमवार, तिथि 09 फरवरी, 2026 ई॰
द्वितीय सत्र — 20 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।
माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0–7 (श्री मंजीत कुमार सिंह, क्षेत्र सं0–100, बरौली)
(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार, मंत्री : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है।
वस्तुस्थिति यह है कि चीनी मिलों द्वारा चालू पेराई सत्र 2025–26 अन्तर्गत दिनांक–31.01.2026 तक किये गये ईख मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :–

चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम	ईख मूल्य भुगतये (लाख रु0 में)	भुगतान (लाख रु0 में)	अवशेष राशि (लाख रु0 में)	भुगतान प्रतिशत
1	2	3	4	5
बगहा	21823.72	20770.99	1052.73	95.18
हरिनगर	32724.92	31121.33	1603.59	95.10
नरकटियागंज	25738.48	21180.64	4557.84	82.29
मझौलिया	15080.07	11886.58	3193.49	78.82
गोपालगंज	9398.10	6889.20	2508.90	73.30
सिंधवलिया	11691.42	9783.65	1907.77	83.68
हसनपुर	10919.54	8635.33	2284.21	79.08
लौरिया	8122.59	6723.72	1398.87	82.78
सुगौली	6457.24	4961.98	1495.26	76.84
रीगा	3252.87	1936.60	1316.27	59.54
प्रतापपुर	984.00	176.00	808.00	17.89
कुलः–	146192.95	124066.02	22126.93	84.86

चीनी मिलों द्वारा दिनांक–31.01.2026 तक गन्ना कास्तकारों को भुगतेय ईख मूल्य मो० 146192.95 लाख (चौदह सौ इकसठ करोड़ बेरानवे लाख पनचानबे हजार) रूपये के विरूद्ध मो० 124066.02 लाख (बारह सौ चालीस करोड़ छियासठ लाख दो हजार) रूपये का भुगतान कर दिया गया है। मात्र मो० 22126.93 लाख (दो हजार दो सौ इक्कीस करोड़ छब्बीस लाख तिरानबे हजार) रूपये बकाया है। औसतन भुगतान प्रतिशत 84.86ः है।

चीनी मिलों में गन्ना का पेराई कार्य प्रगति पर है। गन्ना कास्तकारों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना की आपूर्ति की जा रही है एवं चीनी मिलों द्वारा बिहार ईख अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त गन्ना के सभी प्रभेदों पर 10रू०/क्विंटल की दर से अतिरिक्त ईख मूल्य का भुगतान राज्य कोष से गन्ना कृषकों को किया जा रहा है। इस हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या–527 स्वी०/सी०सी० दिनांक–12.12.2025 द्वारा मो० 70.00 करोड़ रूपये का स्वीकृत्यादेश निर्गत है एवं आवंटनादेश संख्या–15/बजट दिनांक–07.01.2026 द्वारा तत्काल मो० 31,50,02,109.00 (इकतीस करोड़ पचास लाख दो हजार एक सौ नौ) रूपये का आवंटन किया जा चुका है।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि राज्य में कार्यरत 10 चीनी मील और उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर चीनी मिल द्वारा दिनांक–31.01.2026 तक गन्ना कास्तकारों को 1461 करोड़ 92 लाख 95 हजार रुपया के विरूद्ध अब तक गन्ना कास्तकारों को 1240 करोड़ 66 लाख रुपये का भुगतान किया गया है और 221 करोड़ 26 लाख 93 हजार रुपया किसानों का बकाया है तो माननीय मंत्री जी ने यह अपने जवाब में इस बात का उल्लेख किया है कि गन्ना कास्तकारों को ईंख अधिनियम के निहित प्रावधानों के तहत ईंख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है तो हम यह स्पष्ट जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, कि जो बिहार शुगरकेन रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड परचेजिंग एक्ट, 1981 है उसके तहत कितना दिनों के अंदर चीनी मिलों को गन्ना कास्तकारों का ईंख मूल्य भुगतान करने का प्रावधान है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि चीनी मिलों द्वारा चालू पेराई सत्र 2025–26 अन्तर्गत दिनांक–31.01.2026 तक दिये गये ईंख मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :–

बगहा में 20770.99 हमलोगों ने भुगतान किया है बाकी 1052.73 लाख बाकी अवशेष है, 95.18 प्रतिशत हमलोगों ने वहां पर दिया है । अब कुल मिलाकर

84 प्रतिशत किसानों को हमलोगों ने दिया है बाकी जो शेष बचा है बहुत जल्द हमलोग उसका भुगतान कर देंगे, माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि बिहार शुगरकेन रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड परचेजिंग एक्ट, 1981 के तहत कितने दिनों के अंदर जो गन्ना कास्तकार हैं, मिलों में जब अपना गन्ना देते हैं तो उनको भुगतान करने का कितने दिनों के अंदर प्रावधान है यह मंत्री जी ने मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बताया लेकिन अपने जवाब में इन्होंने ईंख अधिनियम का उल्लेख किया इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमने इनसे पूछा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । बहुत बढ़िया प्रश्न है ।

श्री संजय कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरह से चिंतित है और जल्द हमलोग इसका भुगतान कर देते हैं और बहुत जल्द ही इसका हमलोग कर देंगे और हमलोगों ने एक निर्देश भी दिया है और बिहार में हमलोगों ने 15 दिनों के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है, बहुत जल्द हमलोग कर देंगे और हमलोग भी किसान का बेटा हैं । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है निश्चित रूप से जल्द हम उसका भुगतान कर देंगे ।

अध्यक्ष : श्री उपेन्द्र प्रसाद ।

(व्यवधान)

बहुत साफ हो गया । बहुत स्पष्ट हो गया ।

(व्यवधान)

ठीक है, आप पूछ लीजिए । बहुत साफ जवाब आया है, 85 परसेंट हो चुका है ।

(व्यवधान)

श्री उपेन्द्र प्रसाद ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–8 (श्री उपेन्द्र प्रसाद, क्षेत्र सं0–225, गुरूआ)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । मो0 सरवर आलम ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–316 (श्री मो0 सरवर आलम, क्षेत्र सं0–55, कोचाधामन)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार निर्धारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

जिलों द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हेतु जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है तथा उनकी घेराबन्दी हेतु क्रमबद्ध ढ़ंग से योजनाएं ली जाती हैं।

श्री मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है पर मैं पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : पूछिए ।

श्री मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो जवाब आया है मुझे उसमें बताया गया है कि कब्रिस्तानों की जो घेराबंदी है वह जिला स्तर से निर्धारित प्राथमिकता की सूची में जो शामिल नहीं है और उसको जो शामिल किया जाता है उसमें जिला पदाधिकारी और पुलिस अध्यक्ष द्वारा एक संयुक्त रूप से संवेदनशीलता को देखते हुए उसके आधार पर प्राथमिकता दी जाती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि लगभग पिछले नौ साल से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है और पिछले नौ साल से अब तक जिला पदाधिकारी या पुलिस अध्यक्ष द्वारा कभी भी किसी को लेकर उसके लिए बैठक नहीं हुई है तो उसकी संवेदनशीलता कैसे आप तय करेंगे जबकि अभी हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो किशनगंज और कोचाधामन मिलाकर लगभग 30 पंचायत का मेरा क्षेत्र है उसमें अगर दोनों जगह देखा जाए तो थाना में कई एफ0आई0आर0 हुआ है अभी रिसेंट में मैंने देखा है कि कई एफ0आई0आर0 हुआ है उसके झगड़े को लेकर के । सरकार एक तरफ कह रही है कि हम इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है तो मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि ये कब तक कर देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की चिन्ता है सरकार यह निर्देशित करेगी कि जिस भी जगह पर कब्रिस्तान या मंदिर के कोई भी घेराबंदी की आवश्यकता है उसके लिए एक मीटिंग हमलोग बुलवाकर तेजी में निर्देश करेंगे और उसकी कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री अमरेन्द्र कुमार ।

(व्यवधान)

बहुत स्पष्ट हो गया जवाब ।

(व्यवधान)

ये आपका सवाल नहीं है । जो माननीय सदस्य का था..

(व्यवधान)

ठीक है, सौरभ जी बोलिए ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल में पालीगंज में केवल एक कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ है । इतनी सारी समस्याएं हैं और केवल एक–एक का हो रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अखतरूल जी बताइए, बोलिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मामला यह है कि संवेदनशीलता कोई एक प्रमाणिक मसला नहीं है कि नौ साल पहले कर दिया वही संवेदनशील है । सामाजिक मामलात आगे बढ़ते–घटते रहते हैं सर, और ये है कि हर साल क्यों नहीं करते और दूसरा मामला यह है कि जहां कोई संवेदनशील कब्रिस्तान है, अगर हम विधायक नीति से भी घेरना चाहते हैं सर तो विधायक नीति में नहीं किया जाता है । कम से कम माननीय मंत्री जी से, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं जो काफी संवेदनशील हैं इस मामले में और माननीय मुख्यमंत्री जी का ही आदेश है हम उसके लिए साधुवाद देते हैं कि आप इजाजत दे दें कि जो संवेदनशीलता की सूची में नहीं है एक तो हर साल बैठक करें और दूसरा मामला है कि जो संवेदनशीलता की सूची में नहीं है विधायक को कम से कम एम0पी0 को इजाजत हो कि उसकी घेराबंदी हमलोग करा दें यह करवा दिया जाय सर, कम से कम । सर, यह करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : जरूर ।

श्री सम्राट चौधरी : अब तक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, ये विधायक कोटा में जो माननीय मुख्यमंत्री...

अध्यक्ष : बैठिए, माननीय सदस्य, बैठ जाइए प्लीज ।

श्री सम्राट चौधरी : क्षेत्रीय विकास योजना है उसमें यह जोड़ दिया गया है उससे भी कर सकते हैं, इसको करा दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यदि नहीं जोड़ा गया है, जुड़ जाएगा । जुड़ जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : उसमें है कि विकास में कहा जाता है कि नहीं, वह संवेदनशीलता की सूची में नहीं है इसलिए उसकी घेराबंदी नहीं होगी...

अध्यक्ष : अब क्लीयर हो गया।

श्री अखतरूल ईमान : उससे मुक्त करा दिया सर, आसान है सर करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : स्पष्ट हो गया । श्री अमरेन्द्र कुमार, श्री अमरेन्द्र कुमार ।

(व्यवधान)

श्री जनक सिंह, श्री जनक सिंह ।

(व्यवधान)

प्लीज बैठ जाइए, सब बात हो गई ।

(व्यवधान)

एकदम होगा, होगा, होगा । संदीप बाबू ने बताया, माननीय मंत्री जी ने कहा है ।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : ठीक है आप पूछ लीजिए । हम तो आपको पुकारे थे लेकिन सब खड़े हो गये तो...

तारांकित प्रश्न संख्या–317 (श्री अमरेन्द्र कुमार, क्षेत्र सं0–219, गोह)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के अमारी पंचायत के महदीपुर ग्राम में अस्थाई पुलिस चौकी है। अस्थाई पुलिस प्रतिष्ठान के लिए नए भवन के निर्माण का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में स्थाई पुलिस चौकी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार ने विकास से अपना पल्ला झाड़ लिया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोह प्रखंड के अमारी पंचायत के महदीपुर में अस्थायी पुलिस चौकी की स्थापना क्यों नहीं कराना चाहते ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री : सरकार के द्वारा जवाब में स्पष्ट में बताया गया है कि वहां कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं तो मैं इसकी जांच करा लूंगा, ये भी रहेंगे, इस जांच में रहकर आवश्यकतानुसार कार्रवाई सरकार करेगी ।

अध्यक्ष : श्री जनक सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0–318 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र सं0–116, तरैया)

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह तो आसन भी अवगत है कि अतिथिगृह बनाने की योजना अभी अनुमंडल या प्रखंड स्तर पर नहीं है । अतिथिगृह जिला मुख्यालयों में बनती है जो बना हुआ है, बाकी अभी नहीं है फिर आगे इस पर समय आने पर विचार किया जाएगा, यही सरकार चाहती भी है ।

अध्यक्ष : श्री जिवेश कुमार ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : विचार किया जाएगा, बैठ जाइए ।

श्री जनक सिंह : महोदय, एक मिनट महोदय ।

अध्यक्ष : अच्छा बोल लीजिए, क्या चाहते हैं ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश काल में सारण तटबंध के बगल में पानापुर प्रखंड अंतर्गत बौराहां में डाकबंगला का निर्माण किया गया था और हमारा 72 किलोमीटर सारण तटबंध था, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार डबल लाइन बन रहा है तो जब ब्रिटिश काल से वहां सारण तटबंध के बगल में डाकबंगला का निर्माण, आज भी वहां अवशेष है तो जब बाढ़ के समय में चाहे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों या हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हों, सब लोगों का प्रवास होता है और सारण तटबंध बिहार का एक प्रमुख तटबंध है तो इसलिए मैं इस खास विषय को, वहां पर पहले से ब्रिटिश काल से बना हुआ है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसका पुनः जीर्णोद्धार करायेंगे क्या ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

टर्न–2 / यानपति / 09.02.2026

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जिस डाक बंगले की बात कर रहे हैं उसके बारे में तो इन्होंने प्रश्न में कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी चूंकि पूरक में यह मांग उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक अलग से माननीय सदस्य पत्र दे देंगे, पहले तो देखना पड़ेगा कि वह डाकबंगला किस विभाग के स्वामित्व में है फिर उनसे संपर्क करके और चूंकि जो बांध है या जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वह जल संसाधन विभाग से संबंधित होता है तो हमारे विभाग से भी संबंधित है तो हम जरूर उसको देखेंगे कि वह डाकबंगला किस विभाग के द्वारा निर्मित हुआ था और अभी किसके स्वामित्व में है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आपका हो गया, आप बैठिए, बहुत क्लीयर हो गया, आप पत्र दे दीजिए, सरकार कार्रवाई करेगी ।

श्री जनक सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा आज अधिग्रहण किया गया, पहले जिला परिषद् का था और जिला परिषद् के द्वारा वहां डाकबंगला का निर्माण हुआ, आज भी जिला परिषद् की देख–रेख में...

अध्यक्ष : सरकार सारी बातों को देख लेगी, पत्र दे दीजिएगा।

श्री जनक सिंह : इसलिए मैं इस प्रश्न को देता हूं, जिला परिषद् के द्वारा बनाया गया था, उस वक्त तटबंधों का रख–रखाव जिला परिषद् के द्वारा...

अध्यक्ष : प्लीज सारी बातों को लिखित में दे दें, माननीय मंत्री जी ने कहा है विश्वास कीजिए उसपर विचार किया जायेगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिला परिषद् ने बनाया था और जल संसाधन विभाग उसका स्वामित्व अधिग्रहण कर लिया है तो जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में होगा तो हम जरूर उसकी मरम्मती करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–319, श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र सं0–87, जाले)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला का जाले एवं सिंहवाड़ा थाना पुराना है, परन्तु जर्जर नहीं है।

सिंहवाड़ा थाना के मरम्मति हेतु 6,00,000 (छः लाख रू0) मात्र बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त सिंहवाड़ा एवं जाले थाना में आगंतुक कक्ष के निर्माण एवं 10 सीटेड महिला बैरक के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा कंट्रोवर्सी वाला जवाब है इसमें, सरकार कह रही है कि जर्जर भवन नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, जर्जर नहीं है तो भवन थाने का जर्जर नहीं है तो छः लाख रुपया सरकार ने मरम्मती के लिए दिया क्यों पहला सवाल, दूसरा है कि इसमें मैंने सवाल किया है कि कर्मी के आवासन की व्यवस्था नहीं है, सरकार जिला स्तर तक तो अपने सरकारी कर्मी के आवासन की चिंता करती है और ब्लॉक वाले को भगवान भरोसे छोड़ देती है । एक भी ब्लॉक में न बी0डी0ओ0 के आवासन की व्यवस्था है, न सी0ओ0 के आवासन की व्यवस्था है जो थी वह जर्जर हो गयी है । थानेदार के आवासन की व्यवस्था नहीं है, सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है जिसमें अभी तो मेरा सवाल थाना से संबंधित है, अगर वह ठीक तरीके से नहीं रहेंगे तो काम क्या करेंगे और हद तो तब हो गई लापरवाही की हुजूर कि यह देखा जाय विभागीय स्वीकृत्यादेश है, विभागीय स्वीकृत्यादेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेटियों की बहाली थाने में बड़े पैमाने पर हो गई और उनके लिए 12407, दिनांक–13.10.2023 के द्वारा राज्य के 246 थानों, ओ0पी0 में 10 महिला सिपाही बैरक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी जिसमें हमारे यहां का सिंहवाड़ा और जाले भी सम्मिलित है । 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25 हुजूर, 26 हुजूर इतने दिनों में 10 महिला सिपाही का बैरक सरकार नहीं बनवा पाई, इसके लिए दोषी कौन है ? इसके लिए कौन अधिकारी, पदाधिकारी दोषी है, क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और जाना जाय हुजूर, मेरा इसी से संबंधित सवाल है हुजूर और बहुत छोटा काम, मतलब शर्म आनी चाहिए इस विषय पर कि विभागीय स्वीकृत्यादेश 10558, दिनांक–19.10.2022 के

द्वारा जाले एवं सिंहवाड़ा थाना भवन में आगंतुक कक्ष निर्माण की स्वीकृति मिली थी । 22 हुजूर, 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25, 26 में खड़े हैं हुजूर, एक आगंतुक का जो सरकार और अधिकारी नहीं बनवा पाए और लारा लप्पा खेल रहे हैं सरकार के साथ, वह बता नहीं रहे हैं कि यह आखिर बना क्यों नहीं, स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा, यह किसकी जवाबदारी है, महिलाओं के प्रति हम संवदेनशील हैं और उसके लिए बैरक नहीं बनवा पा रहे हैं...

अध्यक्ष : आपने पूछ लिया, आप बैठ जाइये, अब जवाब माननीय सदस्य ।

श्री जिवेश कुमार : और इतना गैर जिम्मेदार जवाब अधिकारी लिखकर दे रहे हैं, मतलब कितना गैर जिम्मेदार जवाब ।

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार : जिस थाना को बनाने की आवश्यकता है, जो थाना घेरा हुआ नहीं है आजतक उसका स्थल वेरीफिकेशन करके उसे बनाने की जरूरत है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइये, सब बात आ गई । अब जवाब सुन लीजिए । माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जो पुराना भवन है उसकी मरम्मती के लिए छः लाख रुपया उपलब्ध कराया गया । 10 सीटेड महिला बैरक के तौर पर सिंहवाड़ा, जाले थाने में भी आगंतुक के तौर पर कक्ष निर्माण का निर्देश दिया गया है । मैं इसको दिखवा लेता हूं कि जो भी कार्रवाई नहीं की गई है नीचे, वैसे दोषी जो भी पदाधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, मेरा पूरक है, दो थाने का भवन जर्जर है । आप कोई कमेटी बना दीजिए, जिसने जवाब बनाया है, गलत बनाया है, थाने का भवन, दोनों ही थाने का पुराना बना हुआ भवन है, जर्जर भवन है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसपर विचार करके करायेंगे ।

श्री जिवेश कुमार : इसपर जी–3 स्ट्रक्चर नया बनाया जा सकता है और जो थाने के कर्मी हैं वो अगर रात को ठीक से सोयेंगे नहीं, उनके आराम, आवासन की व्यवस्था ठीक से नहीं होगी तो काम क्या करेंगे।

अध्यक्ष : आपकी राय से सरकार सहमत है और निश्चित तौर पर निकट भविष्य में इसका समाधान किया जायेगा।

श्री जिवेश कुमार : दोनों थाना, मॉडल थाना बनायेगी सरकार। आप हमारे कस्टोडियन हैं हुजूर।

अध्यक्ष : एकदम स्पष्ट जवाब है ।

श्री जिवेश कुमार : आपसे अपेक्षा है कि ये सरकार कहती क्यों नहीं है कि दोनों जर्जर थाने का नए थाने भवन में परिणत करेगी, इतना छोटा सा सवाल है मेरा और कर्मी के आवासन की व्यवस्था करेगी।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि निश्चित कराये जायेंगे ।

श्री जिवेश कुमार : नहीं हुजूर, इसपर हमको आवश्वासन चाहिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं इनके साथ जाकर जांच करा देता हूं, जांच के बाद यदि लगेगा कि उसका सुपर स्ट्रक्चर बनाना है तो बना दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या–320, श्री अजय कुमार (क्षेत्र सं0–231, टिकारी)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि टिकारी अनुमंडल में फौजदारी न्यायालय की स्थापना अभी नहीं हुई है। फौजदारी न्यायालय की स्थापना नहीं होने की स्थिति में उपकारा की उपयोगिता नहीं होती है। वर्तमान में टिकारी अनुमंडल में उपकारा के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

गयाजी जिलान्तर्गत टिकारी अनुमंडल न्यायालय में किसी भी बंदी का विचार वाद नहीं चल रहा है एवं कोई भी सजा प्राप्त विचाराधीन बंदी को स्थानांतरित नहीं किया गया है। टिकारी अनुमंडल स्थित थाना से गिरफ्तार सदर कोर्ट के अभियुक्तों को गया स्थित माननीय न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी षष्टम एवं सेशन कोर्ट यथा एस0सी0/एस0टी0, उत्पाद, पोस्को एवं अन्य वाद के अभियुक्तों को गयाजी स्थित विभिन्न न्यायालयों द्वारा रिमांड पर केन्द्रीय कारा, गयाजी में संसीमित किया जाता है, वाद दौरान, सुपूर्द होने के दौरान सेशन कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध होने पर सजावार अभिरक्षा अधिपत्र निर्गत किया जाता है।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब हमें प्राप्त हुआ है उसमें बताया गया है कि टेकारी अनुमंडल में अब तक फौजदारी न्यायालय की स्थापना नहीं किया गया है तो क्या सरकार की गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जाय । अनुमंडल स्थापना के 32 वर्षों बाद भी टेकारी में फौजदारी न्यायालय स्थापित नहीं किया जा सका। जब हम किसी जिले, उप विभाग को बांटते हैं तो उसका मकसद यह होता है कि जिले के विभाग उक्त दबाव को कम करते हुए उसका विकेन्द्रीकरण करना हो । गया जिला सबसे बड़ा जिला में एक जिला है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री अजय कुमार : वहां के न्यायालय में 50 हजार से अधिक आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं । कई लोग वर्षों से जेल में बंद हैं और उनका मामला खुला नहीं है । अगर टेकारी में एस0डी0एम0 और ए0डी0पी0ओ0 को छोड़ दें तो स्थापना के 32 वर्ष बीत जाने के बाद भी टेकारी के लोगों को अनुमंडल स्तरीय सुविधा नहीं प्राप्त हो सका है तो

सरकार बताए कि टेकारी अनुमंडल में कब तक फौजदारी न्यायालय स्थापित करते हुए उपकारा का निर्माण कराना चाहती है ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमलोग माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे और विधि विभाग के माध्यम से इसमें आग्रह करके उसको देखेंगे जल्द से जल्द, हमलोग तो तैयार हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बन जायेगा । माननीय सदस्य श्री शंकर प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–321, श्री शंकर प्रसाद (क्षेत्र सं0–97, पारू)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन हेतु ''मंत्रियों के समूह'' का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु ''सचिवों की समिति'' गठित है। सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से ''सचिवों की समिति'' के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है।

इस प्रकार मुजफ्फरपुर जिला के सरैया को अनुमंडल बनाने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त नही है।

श्री शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिया गया है लेकिन उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं ।

अध्यक्ष : आप संतुष्ट नहीं हैं तो पूरक पूछ लीजिए ।

श्री शंकर प्रसाद : वहां पर पूर्व से भी एस0डी0पी0ओ0 कार्यालय सरैया में चल रहे हैं और जिस समय मुजफ्फरपुर जिला को दो भाग में बांटा गया था, उस समय आबादी कम थी और अभी तीन विधान सभा मिलाकर, यानी तीन प्रखंड मिलाकर आबादी 15 लाख के करीब हो गया तो उस परिस्थिति में वहां की जनता चाहती है कि वहां पर अनुमंडल कार्यालय बनाया जाय ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो इस प्रश्न के माध्यम से जिस बात की चर्चा कर रहे हैं चूंकि इसी तरह के और भी कई मामले अन्य सदस्यों के द्वारा आज भी सूचीबद्ध हैं, आनेवाले समय में भी आते रहते हैं इसलिए हम एक ही बार में स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नये अनुमंडलों, जिलों या प्रखंडों के गठन की एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक यहां सचिवों की समिति है जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज कहते हैं फिर उससे ऊपर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जो विभिन्न

जिलों से, जो जिला पदाधिकारी और जिला पुलिस पदाधिकारी हैं, एस0पी0 हैं, पुलिस अधीक्षक उनकी अनुशंसा पर जो प्रस्ताव आते हैं, जो उस प्रमंडल के आयुक्त और आई0जी0 के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उसकी पहले समीक्षा सचिवों की समिति करती है और उनकी अनुशंसा आने पर मंत्रियों का जो समूह है वह उस पर विचार करता है, तब उस पर अंतिम निर्णय लिया जाता है ।

(क्रमशः)

टर्न–3 / मुकुल / 09.02.2026

क्रमशः

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अभी शंकर जी के प्रश्न के संबंध में न वहां से अनुशंसा प्राप्त है और फिलहाल जब तक सभी जिलों से इस तरह के प्रस्ताव नहीं आ जाते हैं, तब कोई नये अनुमंडल, प्रखंड या जिले के सृजन का अभी कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है ।

श्री अजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित मेरा एक मामला था, मेरे जिले का मेरे अनुमंडल का मामला था ।

अध्यक्ष : आप वह प्रश्न अलग से कर लीजिएगा । माननीय मंत्री जी ने पूरे राज्यभर के बारे में बताया है कि अनुशंसा आ जायेगा तो सरकार उसपर विचार करेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–322 (श्री मंजीत कुमार सिंह, क्षेत्र सं0–100, बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड के माधोपुर ओ0पी0 (G+3 Structure), फर्नीचर एवं अन्य आधारभूत संरचना सहित भवन निर्माण कार्य के लिए रू 546.574 लाख (पाँच करोड़ छियालिस लाख संतावन हजार चार सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदान की गई है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा निविदा के आधार पर संवेदक से एकरारनामा किया जा चुका है। निर्माण कार्य माह–मई, 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है, जिसमें माधोपुर ओ0पी0 सामुदायिक भवन में संचालित है वर्तमान समय में और मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि बरौली प्रखंड के माधोपुर ओ0पी0 (G+3 Structure) भवन का निर्माण वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रशासनिक इसकी स्वीकृति दी गयी थी और यह हमलोग 2026–27 का बजट कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय तो अब तक (G+3 Structure) भवन का निर्माण नहीं होने का औचित्य क्या है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में इसको कम्प्लीट कर लिया जायेगा, इसमें कहीं दोमत नहीं है, मई माह में इसके कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा, काम चल रहा है इसको पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मोहम्मद मुर्शिद आलम ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काम चल रहा है, मई माह में उसे पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, काम नहीं चल रहा है, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि जो अंचलाधिकारी ने थाना के लिए माधोपुर में जो जमीन दिया है । अध्यक्ष महोदय, वह गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए बन्दोबस्त जमीन है और उसपर प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास बनाये गये हैं । उसी जमीन को थाना के लिए प्रस्तावित किया गया है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इतना दिन से निविदा होने के प्रश्चात भी थाना का भवन निर्माण नहीं हो रहा है तो मंत्री जी क्या उस जमीन का पुनः जांच कराने का विचार रखते हैं, यदि वहां जमीन नहीं हो तो उसके सीमावर्ती इलाके में बहुत सारे जमीन हैं वहां उसका भवन निर्माण करा दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी उसे दिखवा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–323 (मोहम्मद मुर्शिद आलम, क्षेत्र सं0–50, जोकीहाट)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि

राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन हेतु ''मंत्रियों के समूह'' का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु ''सचिवों की समिति'' गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से ''सचिवों की समिति'' के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है ।

इस प्रकार अररिया जिला के जोकीहाट, पलासी, सिकटी, कुर्साकांटा प्रखंडों को मिलाकर जोकीहाट को अनुमंडल बनाने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है ।

मोहम्मद मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है कि जोकीहाट को अनुमंडल बनाने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है । माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि जोकीहाट को अनुमंडल बनाने हेतु प्रस्ताव में शामिल किया जाए साथ ही, जिला पदाधिकारी को निर्देशित कर जोकीहाट को अनुमंडल बनाने हेतु विहित रीति से प्रस्ताव की मांग की जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने काफी विस्तार से सदन को जानकारी दी है, निश्चित तौर पर भविष्य में यदि प्रस्ताव आयेगा तो सरकार उसपर विचार करेगी ।

श्री अखतरूल ईमान : नहीं सर । इस मामले में नीतिगत फैसला होना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, डॉ0 प्रकाश चंद्र । माननीय सदस्य आप बैठ जाइये, आपको अनुमति नहीं है । माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये, बिना अनुमति के नहीं बोलिए, प्रभारी मंत्री जी ने काफी विस्तार से सारी बातों को रखा है । आप बैठ जाइये, आप बाद में अलग से प्रश्न कर लीजिएगा । शांति, शांति ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–324 (डॉ0 प्रकाश चंद्र, क्षेत्र सं0–220, ओबरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला के ओबरा प्रखंड अन्तर्गत बभनडीहा पंचायत के कोराईपुर कब्रिस्तान, खाता नं0–49, खेसरा नं0–715, रकवा–1.52 ए0 भूमि किस्म गै0 मालिक दर्ज है। जिसका कब्रिस्तान के रूप में उपयोग हो रहा है। उक्त कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिले की प्राथमिकताा सूची में शामिल नहीं है।

2. बेल कब्रिस्तान खाता नं0–146, खेसरा नं0–2236, रकवा–5.79 ए0 भूमि किस्म चिरागी गै0 आम सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में टी0एस0 नं0–359/2015 विचाराधीन है। उक्त कब्रिस्तान जिले की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है।

जिलों द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हेतु जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है तथा उनकी घेराबन्दी हेतु क्रमबद्ध ढंग से योजनाएं ली जाती हैं।

डॉ0 प्रकाश चंद्र : अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तान की धेराबंदी के संबंध में यह जवाब आया है, जिस कब्रिस्तान के रूप में उपयोग जो जमीन हो रहा है, उक्त कब्रिस्तान की धेराबंदी हेतु जिले की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है तो क्या माननीय मंत्री महोदय इस

संदर्भ में प्रशासन को यह आदेश देना चाहेंगे कि इसे जांचोपरांत प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाए । हमारे जिले में कब्रिस्तान की धेराबंदी को लेकर के प्रशासन के द्वारा विगत कई वर्षों से मीटिंग नहीं की गयी है तो इसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिया जाना चाहिए । कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां पर दो समुदायों के बीच झगड़ा भी है वैसे जगहों को चिन्हित करके इसे धेराबंदी के लिए क्या सरकार इच्छा रखती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही जवाब में कहा है कि जो संवेदनशील जहां भी कब्रिस्तान है या मंदिर है या श्मशान है, इनको भी हमलोग प्राथमिकता में लेंगे और आगे के दिनों में एक मीटिंग कराकर, सभी जगह सब लोगों की मांग थी सभी जगहों पर जांच कराकर इसकी लिस्ट बनायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–325 (श्री राम सिंह, क्षेत्र सं0–4, बगहा)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत PM Mega Integrated Textile Region and apparel (PM Mitra) Park Scheme के निर्माण हेतु कुल 1238.95 एकड़ भूमि को उद्योग विभाग को निःशुल्क स्थानांतरण करने का प्रस्ताव भेजा गया था। उक्त प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वापस करते हुए निदेशित किया गया कि प्रस्तावित भूमि का किस्म सर्वे खतियान में नदी/नारायणी नदी/सोती/गंडक नदी आदि दर्ज है। राजस्व विभागीय पत्रांक–665(6)/रा०, दिनांक–16.06.2016 द्वारा जल निकायो का अंतर विभागीय हस्तांतरण अथवा बंदोबस्ती (लीज सहित) नहीं किये जाने का परिचारित है ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मेगा–टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए 1719 एकड़ जमीन के लिए वहां भेजा गया था, जो प्रस्ताव भेजा गया था वह निःशुल्क स्थानांतरण करने लिए उद्योग विभाग को लेकिन विभाग के द्वारा भेजा गया कि वह नेचर जो है गंडक नदी का, नारायणी का और सोटा का है, जबकि वहां गंडक नदी है और बांध बन जाने से रतवल पुल बन जाने से, बांध बन जाने से वहां कोई नदी का नेचर है ही नहीं, वह सब समाप्त हो चुका है उस पर खेती होती है और बिहार के लिए गौरव की बात है कि 1719 एकड़ एक जगह जमीन मिला एक प्लॉट से, उसपर मेगा–टेक्सटाइल पार्क नहीं बना तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि वहां उद्योग का हब लगवाया जाए जिससे बिहार का और खास हमारे क्षेत्र की जनता का कल्याण हो जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत ही अच्छा है । यह जमीन जो है करीब 1238.95 एकड़ जमीन है, लेकिन जब राजस्व विभाग के पास इसको भेजा गया तो राजस्व विभाग के द्वारा नदी नारायणी, नदी सोती, गंडक और आदि का जो है उसमें दर्ज बताया गया और राजस्व विभाग का है कि जल निकायों का अंतर्विभागीय स्थानांतरण अथवा बंदोबस्ती लीज नहीं किये जाने प्रचारित है, लेकिन माननीय सदस्य बड़ा अच्छा सुझाव दे रहे हैं, राजस्व मंत्री जी को भी हम चाहेंगे कि एक बार इधर ध्यान देने की कृपा करें । अभी बिहार के अंदर बहुत से ऐसे जमीन हैं, जिनका नेचर पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है क्योंकि बहुत जगह नदी ने अपना धारा मोड़ दिया, पानी ने अपना धारा मोड़ दिया अब वहां पर बांध बन गया है और अब जो है उस नेचर एक बार खंगाल करके और उसको फिर से विचार करने की आवश्यकता तो मैं राजस्व मंत्री जी से आपके सुझाव पर अनुरोध करूंगा कि बिहार के ऐसे सभी जमीन जहां का नेचर जमीन अब चेंज कर लिया है उसपर एक समीक्षा बैठक जल संसाधन मंत्री जी के साथ बैठकर, वैसे तो आप बगल में ही बैठते हैं लेकिन इसके लिए आपको अलग से इनके साथ बैठना पड़ेगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सा ऐसा जमीन निकल जायेगा जोकि अब नेचर चेंज हो गया है तो उद्योग विभाग के लिए या अन्य कार्यों के लिए अच्छा हो जायेगा तो यह एक अच्छा सुझाव है, सकारात्मक बात पर आप सदन में चर्चा चली ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को कोटि–कोटि धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया और दोनों माननीय मंत्री जी से आग्रह किया ।

श्री भाई बीरेंद्र : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको अनुमति नहीं दिया है, आप हमसे अनुमति मांग लीजिए ।

श्री भाई बीरेंद्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ही बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है बोलिए ।

श्री भाई बीरेंद्र : अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार इस सदन का सदस्य रहा और अभी हूं भी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि माननीय मंत्री जी मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, विधायक जी तो आग्रह करेंगे मंत्री जी से और मंत्री जी आग्रह कर रहे हैं मंत्री जी से । मंत्री जी कहते कि हम दिखवा लेंगे, इनसे बात कर लेंगे, यह होना चाहिए न, अब मंत्री जी, मंत्री जी से ही आग्रह कर रहे हैं, यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाइये । श्रीमती बेबी कुमारी।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–326 (श्रीमती बेबी कुमारी, क्षेत्र सं0–91, बोचहां (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अहियापुर थाना के भवन का भौतिक निरीक्षण कर थाना भवन के मरम्मति हेतु रू 14,50,000 (चौदह लाख पचास हजार रू0) मात्र का प्राक्कलन बिहार पुलिस मुख्यालय को समर्पित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए कि इतनी राशि दी जा रही है ।

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वहां का जितना बताए हैं वह कम पड़ेगा क्योंकि वहां की स्थिति बहुत खराब है । वहां पर लग ही नहीं रहा है कि वहां पर थाना है, बाहर में पूरा कचरा से भरा रहता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि इसको करवाने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, सरकार इसको दिखवा लेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–327 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र सं0–38, झंझारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित झंझारपुर थाना परिसर में बैरक एवं चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू 107.746 (एक करोड़ सात लाख चौहत्तर हजार छः सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा बैरक एवं चहारदीवारी निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित किया जा रहा है तथा दिसम्बर, 2026 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अतिरिक्त उक्त थाना में 20 महिला सिपाहियों के बैरक निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है, जो मार्च, 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–328 (श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता, क्षेत्र सं0–11, सुगौली)</u>

(लिखित उत्तर)

मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रामगढ़वा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत मंगलपुर पटनी के वार्ड

सं0–11 में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण हेतु प्रखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय 15–सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से अनुमोदित प्रस्ताव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त हुआ है ।

परन्तु प्रस्ताव के साथ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शिका के अनुरूप भूमि की विवरणी, प्राक्कलन, नक्शा एवं अन्य वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है । इस संबंध में विभागीय निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा सूचित किया गया है कि मार्गदर्शिका के अनुरूप वांछित कागजात प्रखण्ड से प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

अद्यतन मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकेगा ।

टर्न–4 / सुरज / 09.02.2026

श्री राजेश कुमार : महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन इससें मैं असंतुष्ट हूं । चूंकि प्रश्न पूछने के बाद भी हमारे यहां का पंचायत है मंगलपुर पटनी । यह लिखा जा रहा है कि अभी वांछित कागजात प्रखंड से उपलब्ध होने के बाद इस पर आगे की ओर कार्रवाई की जायेगी ।

महोदय, स्थिति यह है कि प्रश्न पूछा गया फिर भी जिला से वांछित कागजात नहीं आया और इस कारण से राशि रहने के बाद भी वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र लंबित है । तो कृपया माननीय मंत्री जी यह बताना चाहेंगे कि कब तक वांछित कागजात प्राप्त करके इसका कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा ?

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर माननीय सदस्य को प्राप्त है । मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय 15–सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से पारित प्रस्ताव को राज्य स्तरीय 15–सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से पारित कराकर प्रस्ताव को अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को योजना की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है । मंत्रालय द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरांत राशि स्वीकृत की जाती है । इसके उपरांत योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किये जाने का प्रावधान है । जिला से मांगा गया है उस पर फिर हम बात करके उसको दिखवा लेते हैं ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, सीधा सा सवाल है, कब तक जिला से आप प्राप्त करके उसको प्रारंभ करेंगे ? राशि उपलब्ध होने के बाद काम नहीं हो रहा है ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आज बात कर लूंगा, बात हुई भी थी । बात करके, दिखवाकर मैं करवा लूंगा ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, मंत्री जी कोई टामलाइन फिक्स कर देते तो अच्छा रहता ।

अध्यक्ष : मंत्री जी बोले ही हैं कि जल्दी करवा देंगे ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : मैं आज ही बात भी कर लूंगा और माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर समय हो तो एक बजे, दो बजे मुझे समय दें । मैं सामने बात करके उसको दिखवा लेता हूं ।

श्री राजेश कुमार : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–329, सुश्री मैथिली ठाकुर (क्षेत्र सं0–81, अलीनगर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–330, श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र सं0–99, बैकुण्ठपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) अस्वीकारात्मक है ।

विदेशी नागरिकों के स्वदेश वापस जाने की सूचना उपलब्ध है ।

4. अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि विदेशी नागरिक अपने–अपने देश वापस चले गये हैं, जिसकी सूचना संबंधित पंजियों में दर्ज है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मुझे डिजिटल माध्यम से प्राप्त हुआ है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह मैटर बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि लोग धार्मिक यात्रा पर आते हैं और और आ करके भारत की नागरिकता ले लेते हैं । माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने यह स्वीकार किया है कि 1990 से 2015 के बीच 173 विदेशी नागरिक गोपालगंज आये थे । वह धार्मिक यात्रा पर आये थे । हमारे यहां थावे मंदिर के अलावा कोई धार्मिक स्थान है नहीं । आजकल बहुत ऐसे लोग दिख रहे हैं, जब अगल–बगल के लोगों से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि कब आये, आकर इन्होंने आलीशान घर बना लिया, जमीन खरीद लिया, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिया । एस0आई0आर0 में भी नहीं पकड़े गये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना यह चाहूंगा कि क्या विभाग के पास इसका डॉक्यूमेंट है क्या, कि किस देश से कौन आया और आया तो उसकी फोटोग्राफी हुई कि नहीं ? जब वह गये तो पुलिस थाना में तो उनकी

सूचना दर्ज हुई लेकिन क्या इमीग्रेशन ऑफिस से उसका सत्यापन कराया गया कि नहीं ? बस माननीय मंत्री जी से मुझे इसी की जानकारी चाहिये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 173 लोग आये । यह बात सही है कि बाहर से जो लोग आये उसमें से लगभग 168 लोग पाकिस्तान से आये । एक दो आदमी ब्रिटिश से आये हैं, उज्बेकिस्तान से आये हैं । लेकिन माननीय सदस्य की जो चिंता है कि उसकी आड़ में कोई आपराधिक घटना तो नहीं हुई या कोई आज यदि एक तरह से वहां पर समृद्ध हुआ है तो उसके माध्यम से तो नहीं हुआ है । मैं जरूर इसकी चिंता करता हूं सरकार इसको एक बार दिखवा लेगी, जांच भी करवा लेगी कि टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं तो क्या इससे कोई दूसरा कार्य तो नहीं हो रहा है । इसकी जांच हम जरूर करा लेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय मंत्री जी इस पर गंभीर हैं और मुझे विश्वास है कि वह गंभीरता इस पर विचार करेंगे । लेकिन दो विषयों को देखते हुये विचार करना है। वह आये तो विदेशी मुद्रा जो लेकर आये तो उन्होंने वहां किसको ट्रांसफर किया उस बीच में । आखिर उन्होंने पैसा किसको दिया, उनका कोई रिश्तेदार जिसने उसको टूरिस्ट वीजा के लिये उनको आमंत्रित किया, उसकी जांच होनी चाहिये । कुल मिलाकर के गोपालगंज में ऐसे काफी लोग दिख रहे हैं जिनका कोई अता–पता नहीं था 1990 के पहले । लेकिन वह आज आकर घर बना लिये, नागरिकता ले लिये और वह वहां कई प्रकार के कार्य में व्यस्त रहते हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुये और बिहार और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये, इस मामले को थोड़ा और गंभीरता से दिखायें । बहुत–बहुत धन्यवाद।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–331, श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र सं0–56, अमौर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय (1) वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत अनगढ़ थाना में कर्मी सहित 01 अदद मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त है, जिससे अनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत होने वाली अग्निकाण्ड की घटनाओं पर त्वरित गति से नियंत्रण का कार्य किया जाता है ।

2. उपर्युक्त कंडिका–(1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

3. उपर्युक्त कंडिका–(1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अनगढ़ थाना में 01 अदद मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन प्रतिनियुक्त कर दिया गया है । महोदय, हमारा इलाके में काफी घास–फूस के घर हैं और हर साल सैकड़ों घर जलते हैं । पिछली बार भी मैं सदन में यह मामला लाया था तो वहां पर टेम्परोरी उनको

प्रतिनियुक्त कर दिया गया फिर हटा दिया गया था । मैं यह चाहता हूं कि वहां परमानेंट रहे उसे हटाया नहीं जाए । मैंने 16 तारीख को क्वेश्चन किया है और 26 तारीख को प्रतिनियुक्ति हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या अब वह व्यवस्था वहां पर परमानेंट रहेगी ? बल्कि एक निवेदन मैं और भी करूंगा कि मेरा दूसरा प्रखंड 25 पंचायतों का है और 25 पंचायत में एक अग्निशामक और गांव की दूरी 20 किलोमीटर की हो जाती है तो जब–जब आग लगती है तो रस्म पूरा की जाती है आग बुझायी नहीं जाती है । तो क्या 08 से 10 पंचायत पर अग्निशामक स्थापित करने का माननीय मंत्री जी काम करेंगे ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं दिखवा लेता हूं यदि आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ाने का काम करेंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, इस सदन का, मैं जरूरत समझता हूं । घर जलते हैं हमारे पास रिपोर्ट है...

अध्यक्ष : सरकार चाह रही है, बढ़ाया जायेगा । जो आप चाह रहे हैं सरकार आपकी राय से सहमत है ।

श्री अखतरूल ईमान : ठीक है महोदय, करा दिया जाए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य अखतरूल ईमान जी आपके प्रतिनिधि कब से हो गये ।

श्री अखतरूल ईमान : इस सदन का प्रतिनिधि महोदय ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : सर हमारे विधान सभा में तीन प्रखंड है....

अध्यक्ष : यह क्वेश्चन अलग है । यह क्वेश्चन पूर्णिया का है । आप अलग से क्वेश्चन कर लीजियेगा ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, इसी पर मेरा एक पूरक है । फायरबिग्रेड से ही संबंधित है कि रामगढ़ में एक दिया गया है कि एक टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन है, वही वाहन...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह प्रश्न पूर्णिया का है, आप अलग से पूछ लीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–332, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र सं0–17, पिपरा)</u>

(अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0–333, श्री कुमार खेमका (क्षेत्र सं0–62, पूर्णियाँ)</u>

(अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0–334, श्रीमती स्नेहलता (क्षेत्र सं0–208, सासाराम)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, उक्त तारांकित प्रश्न के आलोक में जिला खनन विकास पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–154, दिनांक–30.01.2025 के आलेक में सासाराम विधानसभा के रामडिहरा (चुरेसर मौजा) में सीमेंट निर्माण के लिए आवश्यक चूना पत्थर का विशाल भंडार से संबंधित किसी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं है ।

बंजारी, रोहतास में रोहतास सीमेंट वर्कस को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत स्टेज 1 स्वीकृति दी गई है । प्रस्तावित परियोजना की लागत 122.86 करोड़ है । उक्त के अतिरिक्त डालमिया डी0एस0पी0 लि0, बंजारी, रोहतास में स्थापित है ।

राज्य में अधिक से अधिक नए उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज–2025 (BIIPP-2025 Package), बिहार औ़द्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 एवं बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत समन्वय एवं व्यापक प्रोत्साहन व्यवस्था लागू की गई है ।

BIIPP-2025 Package के अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु0 1 प्रति एकड़ की दर से आद्योगिक भूमि आवंटन, SGST की प्रतिपूर्ति स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की प्रतिपूर्ति, पूंजीगत, अनुदान, ब्याज अनुदान, रोजगार सृजन आधारित प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन सहायता, कौशल विकास प्रोत्साहन तथा पर्यावरण एवं नवीकरण ऊर्जा आधारित परियोजनाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है ।

BIIPP-2025 Package के अंतर्गत नयी औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, ब्याज अनुदान, SGST प्रतिपूर्ति तथा विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है ।

बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाऊस एवं कोल्ड चेन परियोजनाओं को पूंजीगत अनुदान, ब्याज अनुदान एवं कर आधारित प्रोत्साहन उपलबध कराये जा रहे हैं ।

बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत इकाईयों को विपणन एवं ब्रांडिंग सहायता, गुणवत्ता, पेटेन्ट पंजीकरण हेतु सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

श्रीमती स्नेहलता : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है मेरा, उनका जवाब आया था लेकिन आग्रह है कि रामडिहरा जो विधान सभा तिलौथु प्रखंड में पड़ता है,

वहां पर सीमेंट फैक्ट्री खुलवाने का काम किया जाय ताकि वहां के लोगों में रोजगार श्रृजन हो सके । यही आग्रह है ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब हमने बहुत ही विस्तृत तौर पर दिया है । दो जानकारी सिर्फ देना चाहूंगा । पहला तो जो माननीय सदस्या का है कि रामडिहरा (चुरेसर मौजा) में सीमेंट निर्माण के लिये चुना पत्थर का विशाल भंडार है तो अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई अभिलेख नहीं है । लेकिन माननीय सदस्या को एक खुशखबरी भी देना चाहूंगा कि डालमिया बंजारी सीमेंट कंपनी ने रोहतास में 122.86 करोड़ की लागत से एक सीमेंट फैक्ट्री खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है और स्टेज–1 की स्वीकृति भी मिल गयी है । बहुत जल्द माननीय सदस्या के जिला में डालमिया बंजारी का सीमेंट फैक्ट्री खुल रहा है । यह मैं सूचना देना चाहूंगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–335, डॉ0 कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र सं0–170, बरबीघा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय (1) स्वीकारात्मक ।

(2) कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ऋण प्रवाह के लिए राज्य के सभी बैंक प्रयासरत है । विगत वर्ष के समान अवधि (सितम्बर 24 छमाही) में रुपये 26,578 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष के समान अवधि (सितम्बर 25) तक रु0 31,126 करोड़ वितरित किया गया । इस वर्ष 4,548 करोड़ अधिक वितरित किये गये हैं ।

(3) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करने वाले बैंकों के प्रति कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है । इसके लिए राज्य में कार्यरत बैंकों का प्रत्येक वर्ष मार्च तक के कार्य निष्पादन के आधार पर 100 अंकों के सापेक्ष मूल्यांकन के पैमाने में कृषि क्षेत्र यथा के0सी0सी0 लोन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन का विशेष ध्यान रखा गया है । 100 अंकों के सापेक्ष न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक है ।

इसके अतिरिक्त दिनांक–22.01.2026 को संपन्न 95वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में माननीय मंत्री, वित्त विभाग के द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड एवं भारतीय स्टेट बैंक रहेंगे । उक्त समिति नियमित अंतराल पर बैंकों द्वारा वार्षिक साख योजना के लक्ष्य की प्राप्ति एवं साख जमा अनुपात की

समीक्षा करेगी तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय हेतु आवश्यक निर्देश/कदम उठाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लु गुप्ता को प्रश्न पूछने के लिये प्राधिकृत गया है ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लु गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रथम खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है । महोदय, इसी से आप समझ पायेंगे कि जो किसानों को ऋण देने की बात बैंक के द्वारा हो रही है, उसमें मात्र जो लक्ष्य रखा गया है 1 लाख 12 हजार करोड़, उसकी तुलना में 31 हजार 120 करोड़ ही अभी तक दिया गया है । बैंक किसानों की उपेक्षा करती है । लेकिन खंड–3 के उत्तर में दिया गया है कि आवश्यक निर्देश इसके लिये दिया जा रहा है और काम किया जा रहा है । मेरा इसमें सुझाव होगा कि जो बैंक इसमें सबसे पीछे है या नीचे से जो बैंक है उनको हमलोग जो सरकारी योजना देते हैं उसके लाभ से उसको वंचित किया जाए ताकि वह इस दिशा में आगे की कार्रवाई कर सके और किसानों की उपेक्षा नहीं हो ।

टर्न–5/धिरेन्द्र/09.02.2026

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है, पिछले दिनों में भी बैठक हुई है । समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–336, श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या–59, बनमनखी(अ॰जा॰))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– स्वीकारात्मक ।

2–वस्तुस्थिति यह है कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण असमाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटना कारित कर दूसरे जिले में प्रवेश कर लिया जाता है परन्तु वैसे कांडों में अधिकांशतः कांडों का तकनीकी/मानवीय आसूचना एवं सीमावर्ती थानों के सहयोग से उद्‌भेदन कर लिया जाता है। यहाँ विगत 05 वर्षों में आपराधिक घटनाएँ नहीं के बराबर है।

3–ग्राम पंचायत–हरिमुढ़ी, बनमनखी अनुमंडल से करीब 10 कि0मी0 की दूरी पर और कचहरी बलुआ सरसी थाना से करीब 12 कि०मी० की दूरी पर रानीगंज थाना के सीमा से लगा हुआ है। पैतृक थाना सरसी से मेन रोड एन0एच0–77 कुर्सेला फारबिसगंज रोड पर अवस्थित है तथा पैतृक थाना सरसी आवागमन हेतु

मुख्य पक्की सड़क से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में बगल के थाना से अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था संधारण की जाती है।

अतएव हरिमुढ़ी एवं कचहरी बलुआ में थाना/ओ०पी० स्थापित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है लेकिन जवाब से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ । महोदय, जवाब में आया है कि थाना की आवश्यकता नहीं है । वर्ष 2024 में जब घटना हुई थी तब वहां के जिला पदाधिकारी ने पत्रांक–2057, दिनांक–24.12.2024 को, जब मर्डर हुआ था तो वहां जिला पदाधिकारी ने थाना खोलने के लिए जमीन की मांग की थी । अंचल से, यहां से जमीन का कागज, पत्र मिलकर जमीन भी उपलब्ध हो गया और जिला को समर्पित हो गया कि थाना खुलेगा । सरकार का जवाब आया है कि यहाँ थाना खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है । महोदय, सीमावर्ती इलाका है, दो जिलों को जोड़ता है बार्डर है, क्रिमनल यहां क्राईम कर दूसरे जिला में घुस जाते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह होगा कि जमीन उपलब्ध है, वहां का प्रशासन तैयार है कि जमीन मिलेगी तो हम थाना खोल देंगे लेकिन सरकार का जवाब है कि आवश्यकता नहीं है । मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आवश्यकता है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट बताया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में जो आपराधिक घटनाएं हैं उससे यह प्रतीत होता है कि वहां जरूरत नहीं है लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है । एक तरफ 10 किलोमीटर की दूरी पर थाना है और दूसरी तरफ 12 किलोमीटर पर थाना है यदि माननीय सदस्य की इतनी चिंता है तो मैं जरूर जिला प्रशासन से इनके साथ जाकर पूरी समीक्षा कर एक रिपोर्ट मांग लूंगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–337, श्री आलोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–210, दिनारा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा निम्न् हैः–

''पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को जिला पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अन्दर नियमानुसार निष्पादित करने की कार्रवाई करेंगे।''

माननीय मुख्यमंत्री की उपर्युक्त घोषणा के अनुपालन में विभागीय पत्रांक–7851, दिनांक–24.06.2025 तथा पत्रांक–1666, दिनांक–05.02.2026 द्वारा आयुध नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर निष्पादित करने हेतु राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया गया है।

शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्वीकृति संबंधी कार्रवाई अनुज्ञापन प्राधिकार (संबंधित जिलाधिकारी) द्वारा आवेदक से विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन पर की जाती है। शस्त्र अनुज्ञप्ति का कार्य निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

श्री आलोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है । माननीय मुख्यमंत्री जी की उपर्युक्त घोषणा के अनुपालन में विभागीय पत्रांक–7954 के और 2026 के प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि को आर्म्स लाइसेंस देने की सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी । इसके बावजूद भी त्रिस्तरीय पंचायत के सम्मानित प्रतिनिधि रोहतास जिला में और पूरे बिहार में आर्म्स का आवेदन करते हैं और उनको हमेशा पंचायत में कभी रात में भी जाना पड़ता है तो माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि माननीय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो लाइसेंस का आवेदन करते हैं तो उसका डिस्पोजल जिलाधिकारी कर दें । साल–दो साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद हर जिला में लाइसेंस अभी भी पेंडिंग होती है और क्षेत्र में हमेशा माननीय मुखिया जी हमलोग से प्रश्न करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब घोषणा की गई कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को शस्त्र अनुज्ञप्ति का लाइसेंस दिया जायेगा फिर भी जिलाधिकारी के टेबल पर हमेशा सैंकड़ों ऐसे लाइसेंस आवेदन पड़े हुए हैं जो एक साल से ऊपर पेंडिंग हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है । मैं जरूर एक निर्देशित करता हूँ । 60 दिनों का समय होता है और गृह विभाग इस पर एक पत्राचार कर के सभी जिलाधिकारी को 60 दिनों के अंदर इसको निष्पादित करने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रोहित पाण्डेय ।

(व्यवधान)

कुंदन जी, आपको क्या बोलना है ? बोलिये ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी कीमा पंचायत में यही घटना हुई । रामनित्या शर्मा जी आवेदन देते रहें लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं मिला और हमलोग भी उनका

रिकमेंडेशन करते रहें फिर भी उन्हें नहीं मिला और अंत में उनकी हत्या हो गई । एकदम युवा थे वहां के मुखिया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आगे घटना न घटे, इसके लिए सरकार चिंतित है ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसा डायरेक्शन दिया जाय कि अगर कोई विधायक रिकमेंड कर रहा है तो कम–से–कम उसको तो प्रायोरिटी पर लाइसेंस दे दी जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या–338, श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या–156, भागलपुर)

(लिखित उत्तर)

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता सूत मिल की स्थापना बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अंतर्गत की गई थी। संबंधित मिल में लगभग वर्ष–2000 से वाणिज्यिक उत्पादन कार्य बंद है।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय का आदेश ज्ञापांक–723 दिनांक–04.07.2024 द्वारा भागलपुर को–ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल लि०, भागलपुर के परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा सहकारिता सूत मिल को उद्योग विभाग से संबंधित चार निगम यथा– बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, बिहार राज्य औषधि एवं रासायन विकास निगम लि०, बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि० एवं बिहार राज्य वस्त्र निगम लि० की अनुषंगी इकाई नहीं माना गया है। बिहार राज्य वस्त्र निगम लि० द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि तीनों सहकारिता सूत मिल वस्त्र निगम की इकाई नहीं है।

उक्त मिलों से संबंधित Civil Review No.–166/2022 भागलपुर सहकारिता सूत मिल कर्मचारी संघ एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है।

श्री रोहित पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और मैं उत्तर से संतुष्ट हूँ । माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ ।

तारांकित प्रश्न संख्या–339, श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या–92, सकरा (अ॰जा॰))

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन हेतु ''मंत्रियों के समूह'' का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, साथ ही मंत्रियों के समूह के

समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु ''सचिवों की समिति'' गठित है। सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से ''सचिवों की समिति'' के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है।

इस प्रकार मुजफ्फरपुर (पूर्वी) अनुमंडल कार्यालय का मुख्यालय सकरा या मुरौल में स्थानांतरित करने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

श्री आदित्य कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और माननीय मंत्री साहब सामूहिक जवाब देने का काम किये हैं इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और मेरा एक प्रश्न है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है माननीय मंत्री साहब से कि मुजफ्फरपुर जिला का जो हमने प्रश्न उठाया है सकरा विधान सभा में अनुमंडल की, वह मुजफ्फरपुर जिला का कॉमन क्वेश्चन है, हरेक माननीय का यह प्रश्न है और मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर जिला में तकरीबन 70–80 लाख की आबादी है, वहां पर दो अनुमंडल हैं, पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटा हुआ है तो माननीय मंत्री साहब से मेरा यह निवेदन है कि उस पर जो प्रस्तावित समिति गठित है सचिवों की तो उसके प्रोसेस को फास्ट कराया जाय तथा सकरा में भी एक अनुमंडल खोला जाय इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार इस पर निश्चित विचार करेगी । बहुत विस्तार से विजय बाबू ने बताया है ।

श्री आदित्य कुमार : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं जरूर सरकार उस पर विचार करेगी । वैसे नये अनुमंडलों के सृजन के संबंध में हमने जो सरकार की नीति या जो भी कार्यक्रम है वह बताया था लेकिन माननीय सदस्य का प्रश्न है मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल का मुख्यालय बदलने का तो हमलोग इसको भी उस समिति के माध्यम से दे देंगे और वहां से जो प्रतिवेदन आयेगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे ।

श्री आदित्य कुमार : महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–340, श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या–68, बरारी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–341, श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–226, शेरघाटी)

(लिखित उत्तर)

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक । वर्ष 2025 में बेल्ट्रॉन के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की हिन्दी टंकण परीक्षा में न्यूनतम अर्हता के आधार पर करीब 10 हजार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए एवं इसके अतिरिक्त अंग्रेजी टंकण परीक्षा के आधार पर भी कई अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे।

2– आंशिक स्वीकारात्मक । वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुल 5000 अभ्यर्थियों के मेरीट आधारित पैनल के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

3–न्यूनतम अर्हता के स्तर पर अन्य उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय पैनल जारी करने का प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

पैनल में असीमित अभ्यर्थियों को शामिल करने से निगम के लिए उनके deployment में भी कई वर्ष लग सकते हैं जो उचित प्रतीत नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर पाँच हजार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल नहीं किया गया। महोदय, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में फंस गया है । अनुरोध है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए उन्हें पैनल में शामिल करवाने की कृपा करें ।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बेल्ट्रॉन जो सरकार का पी॰एस॰यू॰ है उसमें अभी तक हमारे पास आवश्यकतानुसार डिमांड मात्र पाँच हजार की ही आयी थी तो 9,808 ऐसे बच्चे थे जिनका मेरिट तैयार किया गया था उस आधार पर पाँच हजार की जो आवश्यकता थी तो उन पाँच हजार लोगों का deployment कर दिया गया है जो बाकी बचे अभ्यर्थी हैं अभी जो द्वितीय पैनल के बारे में माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं वह संभव ही नहीं है क्योंकि जब तक हमारे पास आवश्यकता नहीं आयेगी तब तक हमलोग फोर्स deploy कैसे कर सकते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–342, श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या–213, काराकाट)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– स्वीकारात्मक।

2–आंशिक स्वीकारात्मक। पर्यवेक्षण गृह, रोहतास में किशोर न्याय परिषद रोहतास, कैमूर एवं अन्य न्यायालयों से आदेशित विधि विवादित किशोर भी आवासित किये जाते हैं।

पर्यवेक्षण गृह, रोहतास की वर्तमान संरचनात्मक संख्या क्षमता 50 किशोरों के आवासन के ही उपयुक्त है।

3–वर्तमान में राज्य के 21 जिलों में 50 किशोरों के आवासन क्षमता वाले पर्यवेक्षण गृह संचालित हैं जिनमें 38 जिलों के किशोरों को सम्बद्ध कर आवासित कराया जाता है। निकट भविष्य में अन्य जिलों यथा कैमूर एवं बेगूसराय में शीघ्र नए पर्यवेक्षण गृहों का संचालन प्रारंभ होना संभावित है। किसी एक पर्यवेक्षण गृह में किशोरों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि होने की स्थिति में गृहों के सुगम संचालन के दृष्टिकोण से समय–समय पर किशोर न्याय परिषद के आदेशानुसार अन्य जिलों के पर्यवेक्षण गृहों में किशोरों को स्थानांतरित किया जाता है।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो विभाग की तरफ से आया है । हमारा सवाल था कि पर्यवेक्षण गृह, रोहतास, कैमूर और रोहतास दोनों जिला को मिलाकर बना है, उसमें 50 बेड हैं । हम बेड बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सरकार का जो जवाब है वह सरकार स्वीकार करती है कि कैमूर, रोहतास एवं अन्य जिलों से भी जो न्यायालय के आदेश पर वहां किशोर आते हैं फिर भी बेड बढ़ाने के लिए ये नहीं कह रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि अभी पर्यवेक्षण गृह में कितने किशोर आवासित हैं ? सरकार बताये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न समाज कल्याण विभाग में ट्रांसफर हुआ है ।

श्री अशोक कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक दिन का समय चाहिए । इस प्रश्न को अगली तिथि के लिए पूटअप कर दिया जाय ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें अभी 44 बच्चे आवासित हैं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मंत्री दो तरह का जवाब दे रहे हैं । एक मंत्री समय मांग रहे हैं और दूसरे मंत्री 44 बच्चे कह रहे हैं तो किसकी बात मानी जाय महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगली तिथि में उत्तर आयेगा ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, चूंकि यह ट्रांसफर हो चुका है लेकिन ये पर्यवेक्षण गृह समाज कल्याण विभाग से संचालित होता है इसलिए मेरी जानकारी में है कि अभी 44 बच्चें वहां आवासित हैं ।

अध्यक्ष : सुश्री मैथली ठाकुर कुछ कहना चाहेंगी...

(व्यवधान)

आपका प्रश्न आगे बढ़ गया है । इसका उत्तर भी ऑनलाईन है । अलग से माननीय मंत्री जी से पूछ लीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–343, श्री विष्णु देव पासवान (क्षेत्र संख्या–107, दरौली (अ॰जा॰))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत दरौली थाना अपने पुराने थाना भवन में संचालित है।

दरौली थाना भवन एवं सिपाही बैरक के विशेष मरम्मति कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में 16,00,000 (सोलह लाख रू0) मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में दरौली थाना भवन के उपर बने अर्द्धनिर्मित भवन, 02 एल0एस0 आवास (ब्लॉक–ए0), 02 एल0एस0 आवास (ब्लॉक–बी0), थाना बैरक, थाना चहारदीवारी का रंग–रोगन एवं मरम्मति हेतु 12,22,515 (बारह लाख बाईस हजार पाँच सौ पन्द्रह रू0) मात्र उपलब्ध कराया गया है।

उक्त सभी कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

श्री विष्णु देव पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है मगर मैं एक बिन्दु बोलना चाहता हूँ कि जो पुराना थाना परिसर है उसमें थाना का भवन बहुत जर्जर स्थिति में है अगर वह गिरता है तो उससे नया भवन भी क्षतिग्रस्त होगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि उसको शीघ्र अति शीघ्र हटाने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ने कहा कि हो जायेगा ।

श्री विष्णु देव पासवान : महोदय, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–344, श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या–135, मोरवा)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत मौजा–मानपुर के वार्ड नं0–05, खाता नं0–87, खेसरा नं0–562 पर अवस्थित कब्रिस्तान के चहारदीवारी का निर्माण स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पूर्व में जिला परिषद योजना द्वारा कराया गया है, जिसकी चहारदीवारी की ऊँचाई मिट्टी भराई के कारण कम हो गई है।

मौजा–रहिमाबाद ठगवां चौक के खाता नं0–523 (पुराना), खेसरा नं0–2411(पुराना), रकवा– 54 डि0 में कब्रिस्तान अवस्थित है। यह एन0एच0 के बगल में है, रोड के तरफ से लगभग 2 फीट बाउंड्री पूर्व में किया गया था, जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में है।

पूर्व में घेराबन्दी कराये गये कब्रिस्तानों की मरम्मति/जीर्णोद्धार कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है । मैंने दो कब्रिस्तान के बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि ताजपुर का जो मानपुरा कब्रिस्तान है, मिट्टी भरने के कारण की चहारदीवारी की ऊंचाई कम हो गई है तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब ऊंचाई कम हो गई है तो उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए फिर से उसका बाउंड्री बनवाना चाहते हैं चूंकि ऊंचाई इतनी कम हो गई है कि कोई भी पशु गाय, भैंस, कुत्ता सब अंदर प्रवेश कर

जाते हैं तो क्या मंत्री जी उसे बनवाना चाहते हैं ? महोदय, मेरा पहला पूरक यही है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

टर्न–6 / अंजली / 09.02.2026

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिये कहा कि अभी संवेदनशील कब्रिस्तान की घेराबंदी का जो प्रस्ताव है, जब जिला प्रशासन इस पर समीक्षा करेगा तो उसमें यह आ जाएगा तो हम लोग उसको कर लेंगे ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, पिछले पांच वर्षों में मैं सदन का सदस्य रहा हूं, पांच वर्षों में कभी भी जिला में इस तरह की मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग में कभी हमलोगों को बुलाया नहीं गया और यह जो क्षेत्र है सेंसिटिव क्षेत्र है, हम उस इलाके से प्रतिनिधित्व करते हैं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि इसको दिखवाने का काम करेंगे, करवाने का काम करेंगे ।

दूसरा, इसी में है रहिमाबाद का, जो ठगवां चौक का कब्रिस्तान है, उसके ठीक सटा हुआ 6 लेन रोड का निर्माण हो रहा है और उसकी जो घेराबंदी थी वह पूरी तरह से वह खत्म हो चुकी है, लोग मैय्यत में जाते हैं, तो रोड पर खड़े हैं, अब बड़ी–बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, कभी भी हाईवा गाड़ी आ रही है, जा रही है, तो कभी भी दुर्घटना के शिकार हमारे लोग हो सकते हैं, हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि मंत्री जी फिर से इसको बनवाने का काम करावें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह स्पष्ट है, मैंने स्पष्ट तौर पर बताया कि लगभग 9273 पूरे राज्य में चिन्हित किए गए थे, उसमें 8920 बन चुके हैं, 287 में अभी प्रक्रिया चल रही है, इसी के लिए मैंने कहा कि इसकी बैठक जो नहीं हो पाई है पिछले सात–आठ वर्षों में, इसको हम कराएंगे और इसमें कब्रिस्तान, मंदिर के साथ–साथ जहां भी संवेदनशील इलाके हैं, उसको जोड़ने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण कुमार ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–345, श्री अरूण कुमार (क्षेत्र सं॰–180, बख्तियारपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि घांघ पंचायत बख्तियारपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है तथा काला दियारा पंचायत सालिमपुर थाना के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है । घांघ पंचायत– की दूरी बख्तियारपुर थाना से 15 से 20 किलोमीटर है, जहां जाने का रास्ता रेलवे ढाला पार कर पक्की सड़क से है तथा बरसात के मौसम में हरनौत या अथमलगोला होते हुए जाने का रास्ता है । काला दियारा पंचायत की दूरी

सालिमपुर थाना से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर जाने का रास्ता बरसात के मौसम में नाव से है । गर्मी के दिनों में पीपा पुल पार कर जाना पड़ता है । दोनों पंचायतों में नियमित रूप से थाना की गश्ती पार्टी के द्वारा गश्ती की जाती है । इस क्षेत्र में किसी प्रकार की विधि–व्यवस्था की सूचना प्राप्त होने पर थाना के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा विधि–व्यवस्था की समस्या पर नियंत्रण किया जाता है ।

पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर थाना के टाल क्षेत्र में घांघ पंचायत एवं काला दियारा पंचायत में अस्थायी पुलिस पिकेट की आवश्यकता के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र पटना से जांच कर बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी है ।

प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अरूण कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मिला है, सही है लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि गंगा के पार पांच पंचायत हैं, उसमें दो पंचायत बख्तियारपुर थाना में पड़ता है, तीन पंचायत शालिनपुर में पड़ता है, जिसके कारण उधर गश्ती करने में बहुत समस्या होती है, विचार करके जल्द से जल्द ये दोंनों टी॰ओ॰पी॰ बनाने की कृपा करें ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, आई0जी0 पटना से जांच की रिपोर्ट मांगी गई है, जैसे ही प्राप्त होता है शीघ्र कार्रवाई की जाएगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–346, श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र सं॰–48, फारबिसगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : स्वीकारात्मक । वस्तु–स्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना जिला स्तर पर तैयार निर्धारित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

जिलों द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हेतु जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है तथा उनकी घेराबन्दी हेतु क्रमबद्ध ढंग से योजनाएं ली जाती हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मनोज विश्वास : महोदय, जवाब आया है, फारबिसगंज के महत्वपूर्ण जगह पर यह कब्रिस्तान बना हुआ है, शहर के बीच में, अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे, इसको जल्द से जल्द करवाने की कृपा की जाय । मुख्य जगह पर वह कब्रिस्तान है, दबंगों के द्वारा बराबर उस जमीन पर कहीं न कहीं समस्या क्रिएट होता है, कई तरह की, कई बार वहां पर समस्या हुई, उसको एकदम दिखवाया जा सकता है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : ठीक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री श्याम रजक जी ।

तारांकित प्रश्न सं०–347, श्री श्याम रजक (क्षेत्र सं०–188, फुलवारी, अ०जा०)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1. आशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि केवड़ा ओ०पी० के लिए पूर्व में चिन्हित भू–खण्ड बिहार ज्यूडिशियल एकेडमी के निर्माण हेतु दिए जाने के कारण दूसरी उपयुक्त भूमि चिन्हित कर भूमि हस्तान्तरित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

2. केवड़ा ओ०पी० ग्राम केवड़ा में है, जो पटना–गया–डोभी एन0एच0–22 से करीब 1.5 कि०मी० की दूरी पर है तथा पुलिस लगभग 10 से 15 मिनट में घटना स्थल पर पहुँच जाती है ।

3. उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री श्याम रजक : महोदय, जवाब आया है । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन साथ–साथ एक आग्रह भी है, इन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि इस काम को जल्द से जल्द करा दें ताकि थाना वहां पर बन जायं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में हमारा प्रयास होगा कि जमीन को तुरंत करके वहां स्वीकृत जगह पर भवन का काम शुरू करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं०–348, श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र सं०–143, तेघड़ा)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि अधिसूचित एवं संचालित चकिया थाना से सिमरिया धाम की दूरी 02 कि०मी० है तथा Response Time मात्र 07 मिनट है । चकिया थाना से सिमरिया धाम तक आवागमन का साधन सुगम है । चकिया थाना के पदाधिकारी बीट क्रियान्वयन के मद्देनजर हमेशा सिमरिया धाम में उपलब्ध रहते हैं । स्थानीय थाना द्वारा गश्ती/पेट्रोलिंग किया जाता है, जिससे अपराध नियंत्रित है । साथ ही, सुरक्षा के मद्देनजर उक्त स्थान पर 02–08 पुलिस बल प्रतिनियुक्त है ।

सिमरिया धाम में वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक विगत पाँच वर्षों में हत्या का 03, लूट का 02, छिनतई का 01 एवं डकैती का 01, कुल–07 कांड प्रतिवेदित है । उक्त आपराधिक आंकड़ों से स्पष्ट है है सिमरिया धाम में विधि–व्यवस्था नियंत्रण में है ।

3. उक्त के आलोक में सिमरिया धाम में स्थायी पुलिस चौकी खोलने का कोई औचित्य नहीं है ।

उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, सरकार ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि सिमरिया जो प्रश्नगत विषय है उसमें पूरे साल भर गंगा स्नान, मुंडन आदि सांस्कृति, आध्यात्मिक कार्यक्रम में हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं और यह भी बात सही है कि जो प्रतिवेदित घटनाएं वहां हुई हैं, पिछले पांच वर्षों का उदाहरण दिया गया है वह बहुत ही कम है, ऐसा सरकार मानती है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वहां प्रतिदिन और इतनी घटनाएं हो रही हैं कि उन घटनाओं का प्रतिवेदन नहीं हो रहा है चूंकि जो लोग दरभंगा, मधुबनी पूरे मिथिलांचल से लोग वहां आते हैं, आध्यात्मिक अनुष्ठान करने के लिए और उनके साथ कुछ घटनाएं होती हैं, कोई छिनतई की और बाकी, तो वे थाना नहीं जा पाते हैं, बेचारे वहां से मायूस होकर चले जाते हैं, तो अप्रतिवेदित घटनाओं की संख्या इतनी अधिक है और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है उसकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है । भविष्य में वह पर्यटन का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा, वे सभी चीजों से अवगत हैं, अगर वहां एक स्थाई पुलिस चौकी का निर्माण हो जाए तो इससे सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा होगी, जो पर्यटक आएंगे उनकी भी सुरक्षा होंगी और जो घटनाएं हो रही हैं वह भी घटना वहां नहीं होगी, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार करते हुए वहां एक स्थाई पुलिस चौकी खोलने का विचार किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

हो रहा है, जवाब आ रहा है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सिमरिया धाम से चकिया थाना की दूरी दो किलोमीटर है, रिस्पांस टाइस 7 मिनट, यह कोई दूरी नहीं है, इसके बावजूद वहां 2–8 का पुलिसबल प्रतिनियुक्त रहता है और जो माननीय सदस्य की चिंता है, सिमरिया धाम हमलोगों के लिए एक सांस्कृति धरोहर की धरती है, जरूर इस पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन दो किलोमीटर मात्र दो किलोमीटर की स्थिति में हमको सोचने की जरूरत है, मैं एक बार जरूर समीक्षा करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कुमार शैलेन्द्र ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बेगूसराय से ही हूं । इसमें सिमरिया पुल, जिस जगह की चर्चा रजनीश जी ने की है, वहां दो–दो नहीं तीन–तीन विधान सभा का क्षेत्र पड़ जाता है, वहां दूरी के कारण से उसको नहीं आंकना चाहिए कि दो किलोमीटर है,

वहां की बनावट ऐसी है और आपने कई बार वीडियो देखा होगा कि पुल पर ट्रेन से कूद जाते हैं मोबाइल छीनकर, तो इसके लिए वहां थाना अतिआवश्यक है मैं भी यह निवेदन करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र ।

तारांकित प्रश्न सं॰–349, श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र सं॰–152, बिहपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं॰–350, श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र सं॰–155, कहलगांव)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के सन्हौला थाना (G + 3 Structure) आउट हाउस, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित निर्माण कार्य हेतु कुल रुपया 906.453 लाख (नौ करोड़ छः लाख पैंतालीस हजार तीन सौ रुपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–5149, दिनांक–24.04.2025 द्वारा प्रदान की गई है । उक्त थाना भवन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना सं०–16/2025–26 के ग्रुप संख्या–06 में आमंत्रित है । निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, हम जवाब से संतुष्ट हैं और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अतिरेक कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं॰–351, श्री अतिरेक कुमार (क्षेत्र सं॰–78, कुशेश्वरस्थान, अ॰जा॰)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सतीघाट में सतीघाट थाना स्थापित करने के संबंध में परिस्थितियों का आकलन कर निर्णय लिया जाएगा ।

श्री अतिरेक कुमार : महोदय, उत्तर प्राप्त है और मैं जवाब से संतुष्ट हूं और मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री देवेशकान्त सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं॰–352, श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र सं॰–111, गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि सारण गंडक नहर एवं गोपालगंज जिला का बॉर्डर नजदीक है । छतीसी बाजार से 12 कि०मी० की दूरी पर निकटतम थाना लकड़ी नवीगंज स्थित है । जहाँ से आमजनों के लिए आवागमन का सुगम साधन है । नजदीकी थानाध्यक्ष, गश्ती पदाधिकारी, डायल–112 पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा विशेष निगरानी रखी जाती है तथा सघन वाहन चेकिंग का अभियान भी चलाया जाता है जिससे वर्तमान में स्थिति सामान्य है ।

छतीसी बाजार में वर्ष–2020 से वर्ष–2025 तक विगत 06 वर्षों में लूट का 03, वाहन चोरी का 02, सामान्य चोरी का 01, सड़क दुर्घटना का 02 एवं अवैध शराब से संबंधित 08 कांड प्रतिवेदित है ।

उक्त आपराधिक आंकड़ों से स्पष्ट है कि छतीसी बाजार में विधि–व्यवस्था नियंत्रण में है । उक्त के आलोक में छतीसी बाजार में पुलिस आउट पोस्ट स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है ।

3. उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री देवेशकान्त सिंह : महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन फिर वही है घुमा–घुमा के उत्तर प्राप्त है । तीन थाने का बॉर्डर है छतीसी बाजार, जामो थाना, लकड़ी नवीगंज थाना और बरौली थाना और एक थाना का 6 वर्ष में घटना है, छतीसी बाजार का केस होता है जामो थाना है और रिपोर्ट दिए हैं लकड़ी नवीगंज थाना का, तो चाहे तो हमलोग को मूर्ख समझते हैं या विभाग को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया अफसरशाही में आ गई है । मेरा कहना यह है, माननीय मंत्री जी से आग्रह है वह एक ऐसी जगह है जहां गोपालगंज, छपरा, सीवान तीनों के आने का वह मेन नहर है और बढ़िया नहर है उससे आने–जाने का तो उस पर व्यवस्था होगी तो सुरक्षा बढ़ेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं डी0आई0जी0, सारण से इसकी पूरी जांच करा लेता हूं और माननीय सदस्य भी रहेंगे, सरकार का स्पष्ट उत्तर है लेकिन जांच कराकर प्रतिवेदन दे देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री चेतन आनंद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं०–353, श्री चेतन आनंद (क्षेत्र सं०–221, नवीनगर)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं०–354, श्री रितुराज (क्षेत्र सं०–217, घोसी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखंड/अंचल के पुनर्गठन हेतु ''मंत्रियों के समूह'' का गठन माननीय

उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है, साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु ''सचिवों की समिति'' गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से ''सचिवों की समिति'' के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है ।

इस प्रकार जहानाबाद जिला के घोसी को अनुमंडल बनाने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री रितुराज कुमार : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जिला पदाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त को इसके ऊपर फिर से विचार करके अनुमंडल बनाने के लिए अगर आप अपनी तरफ से उनको कह दें इसकी जांच करवा लें ।

अध्यक्ष : दिखवा लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : ठीक है । महोदय, सरकार इनके विचार से सहमत हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री गौतक कृष्ण ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–355, श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र सं॰–77, महिषी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक । वस्तु–स्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना वर्ष 2010–11 में पूर्ण की जा चुकी है । उक्त कब्रिस्तान की चहारदीवारी वर्तमान में क्षतिग्रस्त है ।

गृह विभाग द्वारा पूर्व में घेराबन्दी करायी गई कब्रिस्तानों की मरम्मती / जीर्णोद्धार कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री गौतम कृष्ण : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज पहली बार बोलने का मौका मिला है प्रश्न पूछने का, तो मैं सभी बड़े–बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं और धन्यवाद करता हूं । महोदय, मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि महिषी विधान सभा अंतर्गत महिषी प्रखंड के तेलवापूर्वी पंचायत हैं, वहां एक लिलजा कब्रिस्तान की घेराबंदी का सवाल मेरे द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछा गया था, जिसका जवाब मिला है लेकिन जवाब से मैं असंतुष्ट हूं क्योंकि वहां आंशिक रूप से पंचायत मद से काम किया गया था लेकिन वहां पूर्ण होने का दावा उत्तर में आया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे पदाधिकारी जो विभाग को और सदन को भी गुमराह करते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट बताया गया है कि 2010 से 2011 में इसको पूर्ण किया गया था, आज की स्थिति में मरम्मती की जरूरत है जैसा माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की इसी के लिए मैंने कहा कि इसकी बैठक बुलाई जाएगी जिलास्तर पर, इसकी समीक्षा की जाएगी, संवेदनशील कब्रिस्तान, मंदिर, श्मशान ये सब को इसमें जोड़ने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मो0 तौसीफ आलम ।

तारांकित प्रश्न सं॰–356, श्री मो॰तौसीफ आलम (क्षेत्र सं॰–52, बहादुरगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखंड के धनगढ़ा पंचायत के धनगढ़ा हाट के निकट अवस्थित कब्रिस्तान (मौजा धनगढ़ा, थाना नं0–122, खाता नं0–154, खेसरा नं0–1806 एवं 961, रकवा क्रमशः 0. 26 डि० तथा 13.10 एकड़ गैर मजरूआ सर्वसाधारण) जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

जिलों द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबन्दी हेतु जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है तथा उनकी घेराबन्दी हेतु क्रमबद्ध ढंग से योजनाएं ली जाती हैं ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है आपको ?

टर्न–7 / पुलकित / 09.02.2026

श्री मो0 तौसीफ आलम : माननीय मंत्री का उत्तर मिला है, उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं हुजूर।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, उत्तर में जो लिखा है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । किशनगंज जिला अंतर्गत दिघलबैंक के धनगरा पंचायत हाट के निकट, अवस्थित कब्रिस्तान का जो मामला है, वहां आए दिन जो पशु, चाहे वो मवेशी हो, चाहे वो सूअर पालन करने वाला आदमी वहां आकर के बड़ी हुरमती करता है । और यहां जवाब में लिखा है कि जिला पदाधिकारी महोदय की लिस्ट में शामिल ही नहीं है। जब जिला पदाधिकारी महोदय ही सारी चीज करेंगे, तो हमलोग जीतकर आने का और यहां सवाल करने का औचित्य क्या है? हम यहां सवाल करेंगे और वहां से जवाब आयेगा कि जिला पदाधिकारी महोदय की लिस्ट में शामिल नहीं है । महोदय, काम कैसे होगा, मैं सरकार से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट बताया गया है कि इसकी सूची फिर से तैयार की जाएगी और उसमें माननीय सदस्य के भी राय लिए जाएंगे और सूची में शामिल होगा तो ये अपने कोटे से भी कर सकते हैं, सरकार भी कर देगी।

अध्यक्ष : बहुत स्पष्ट हो गया ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, समय निर्धारित कर दिया जाए ।

अध्यक्ष : बहुत क्लीयर कर दिया गया है । सरकार जल्दी करवा लेगी, लिस्ट बनायी जा रही है ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : महोदय, समय बता दिया जाता तो अच्छा रहता ।

अध्यक्ष : कहा है जल्द करवा लेंगे ।

श्री मो0 तौसीफ आलम : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–357, श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र सं0–203, रामगढ़)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिलान्तर्गत रामगढ़ प्रखंड का कलानी चौक रामगढ़ थाना में पड़ता है । कलानी की जनसंख्या–4000 एवं क्षेत्रफल–03 वर्ग किलोमीटर है। इस स्थान से 10 किलोमीटर नुआॅव थाना एवं 08 किलोमीटर कुढ़नी थाना है। इस क्षेत्र में विगत 05 वर्षों में लूट से संबंधित–01 एवं हत्या से संबंधित–02 कांड प्रतिवेदित हुआ है। इस क्षेत्र में निकटवर्ती रामगढ़ थाना द्वारा गश्ती करायी जाती है। इस क्षेत्र में विधि–व्यवस्था को ध्यान में रख कर अतिरिक्त गश्ती करायी जाती है तथा अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

दुर्गावती प्रखंड का कर्मनाशा बाजार दुर्गावती थाना के थानाक्षेत्र में पड़ता है। कर्मनाशा बाजार की जनसंख्या–6000 तथा क्षेत्रफल 3.8 वर्ग किलोमीटर है। इस बाजार में कोई बड़ी घटना विगत 05 वर्षों में नहीं हुई है। अपराध नियंत्रण हेतु दुर्गावती थाना से गश्ती करायी जाती है। इस बाजार से निकटतम टी0ओ0पी0 इन्डस्ट्रीयल एरिया दुर्गावती में है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में कर्मनाशा बाजार में पुलिस चौकी खोलने को कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब हमको टैब पर मिला है । हमने मांग की थी ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, दुर्गावती प्रखंड के कर्मनाशा बाजार में पुलिस चौकी खोलने के लिए और नुआंव प्रखंड के कलानी बाजार में पुलिस चौकी खोलने के लिए । अध्यक्ष महोदय, कर्मनाशा बाजार एन0एच0 90 जी0टी0 रोड पर है और

दुर्गावती का बड़ा क्षेत्र है । सिर्फ बाजार ही नहीं वहां पर अगल–बगल की और भी पंचायतें और गांव जुड़ते हैं । उसी तरह कलानी जो है वह रामगढ़ से दूर है तो हम चाहेंगे कि दोनों जगह पुलिस चौकी खोला जाए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिए जाएंगे।

शून्यकाल

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम–चम्पारण बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड–मधुबनी पी0डब्लू0डी0 पथ से बाँसी तक जाने वाली सड़क चौड़ीकरण नहीं रहने के कारण आये दिन भीषण जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आम लोगों को काफी कठिनाई होती है, मैं सरकार से चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री मो0 कमरूल होदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशंनगंज जिला अंतर्गत प्रखंड पोठिया के ग्राम पंचायत रायपुर वार्ड नं0–4 निवासी वियोया किस्कू उम्र– 36 वर्ष की मृत्यु दिनांक–05.02.2026 को महानन्दा नहीं में डूबने से हो गयी है ।

अतः मैं मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की 4,00,000/– रुपये के भुगतान हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती कोमल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गायघाट में स्वीकृत पदों के प्रतिकूल मानक के अनुसार स्त्री रोग चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति के साथ जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव के दौरान निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या बैठ जाएं । माननीय सदस्य मो0 फैसल रहमान ।

श्री फैसल रहमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण के सिकरहना अनुमंडल में पॉलटेक्निक कॉलेज नहीं होने से स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा हेतु मोतिहारी या अन्य जिलों में जाना पड़ता है । क्षेत्र के समग्र शैक्षणिक एवं रोजगार विकास के लिए सिकरहना अनुमंडल में सरकारी पॉलटेक्निक की स्थापना हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री अभिषेक रंजन : माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिले के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सरिसवा बाजार में सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन घंटों जाम लगता है । बस, ट्रक और एंबुलेंस फंस जाती है, राहगीर परेशान हैं। अतिक्रमण हटाकर तत्काल यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने तथा सड़क चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री उदय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला के आमस प्रखंड अंतर्गत पंचायत रामपुर के ग्राम ढिबरा से नौगढ़ गांव जाने के क्रम में मदाड़ नदी पर पुल नहीं रहने के कारण ग्राम नारायण, लैम्बुआ, पतेज, ताराडिह, मंझौलिया समेत दर्जनों गांव के लोगों को तीन कि0मी0 घुमकर मुख्यमार्ग जाना पड़ता है।

अतः मदाड़ नदी पर पुल निर्माण करवाने की मांग करता हूँ।

श्रीमती बिनिता मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अंतर्गत बिहार की सीमा गोविंदपुर सरकंडा से कादिरगंज तक सकरीनदी के किनारे दोनों तरफ बसे दर्जनों गांव अवैध बालू निकासी से नदी की धारा गांव की ओर मुड़ रही है । सकरीनदी पर दोनों साइड गाइडवाल का निर्माण कराया जाए ।

श्री संदीप सौरभ : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012–13 में विज्ञापित पदों पर पात्रता परीक्षा और ट्रेनिंग के उपरांत पैनल से बहाल सांख्यिकी स्वयंसेवकों से सांख्यिकी, गणना और सर्वेक्षण संबंधी विभिन्न कार्य सफलतापूर्वक लेने के बाद 2016 में अचानक पैनल रद्द कर उन्हें बेरोजगार किया गया ।

सभी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों की तत्काल पुनर्बहाली की मांग करता हूँ ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के रीगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भोरहा चौक से भगवानपुर होते शिवहर जिला के छतौना बाजार तक के पथ को 5.5 मीटर चौड़ाई कराते हुए नवीनीकरण कार्य कराकर व्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन के लायक सड़क बनायें ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के कई राज्य सरकारों ने कुम्हारों और मिट्टी शिल्पकारों के आर्थिक एवं तकनीकी विकास के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया है। कुम्हारों और मिट्टी शिल्पकारों के उत्थान के लिए बिहार सरकार से माटी कला बोर्ड के गठन की मांग करता हूं ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंघिया प्रखंड अंतर्गत फुलहारा पंचायत के पवड़ा गांव में स्थित फलहारा ठाकुर राम जानकी मंदिर की प्रबंधन समिति द्वारा सरकार को 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की बात कही गयी है । उक्त स्थल पर खेल महाविद्यालय एवं स्टेडियम के निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री नागेन्द्र चंद्रवंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत नोखा विधान सभा के प्रखंड राजपुर में सांसद निधि से बने बुद्धा टाऊन हॉल की हालत जर्जर है। मरम्मतीकरण एवं सौंदर्यीकरण करने के लिए सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रोमित कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अतरी विधानसभा के कई गांवों में बी0पी0एल0 धारकों के यहां वर्षों से न मीटर रीडिंग हुई न ही बिजली बिल आया । अब अचानक उन्हें 40–50 हजार रुपये के बिल दिये जा रहे हैं । कच्चे मकान में रहने वाले गरीब परिवार भारी बिल कैसे चुकाए?

(व्यवधान)

श्रीमती श्वेता गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवहर के विकास के लिए उद्योग की आवश्यकता है, ताकि इलाके में रोजगार के अवसर उपलब्धहो सके । जिले के पुरनहिया, पिपराही,

डुमरी कटसरी में गन्ने की खेती होती है । यहां चीनी मिल की स्थापना की जाए जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे, गन्ने की खेती को नया आयाम मिलेगा ।

टर्न–8 / हेमन्त / 03.02.2026

श्रीमती संगीता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर से तेलता प्रखंड तक पथ निर्माण विभाग की मुख्य सड़क 65, बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र की घनी आबादी से होकर गुजरती है। सड़क संकीर्ण होने के कारण आए दिन जाम एवं दुर्घटनाएं होती हैं।

अतः जनहित में उक्त सड़क के शीघ्र चौड़ीकरण की मांग करती हूं।

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा विधान सभा में छात्र–छात्रओं के भविष्य एवं उच्च शिक्षा के विकास हेतु एक विश्वविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति हेतु सरकार से मांग करता हूं।

श्री अमरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के गोह थाना अंतर्गत गोह निवासी अनामिका गुप्ता उर्फ लक्ष्मी कुमारी, पिता धर्मेन्द्र कुमार की दिनांक 06.10.2026 को पटना के परफेक्ट पी0जी हॉस्टल, एग्जिबिशन रोड में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गयी थी। मैं इस मृत्यु की उच्चस्तरीय जांच की मांग सरकार से करता हूं।

अध्यक्ष : श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी। दुलाल चंद्र जी, आपने शून्यकाल 50 शब्दों की जगह 125 शब्दों का दिया है। भविष्य में, जो निर्धारित शब्द हैं उसी के तहत करेंगे। आज आप पढ़ लीजिए।

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के कदवा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत महानंदा नदी के रैयांपुर घाट पर पुल का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इस घाट से प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों का आवागमन होता है, किंतु स्थायी पुल के अभाव में वर्षा एवं बाढ़ के समय आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे जन–जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। क्षेत्रवासियों को प्रखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, जो अत्यंत जोखिम भरा होता है या वैकल्पिक मार्गों से अत्यधिक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, श्रम एवं आर्थिक संसाधनों की अनावश्यक हानि होती है।

अतः सरकार से आग्रह है कि महानंदा नदी के रैयांपुर घाट पर पुल निर्माण हेतु शीघ्र आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाये।

मोहम्मद मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखण्ड के ग्राम पंचायत चिल्हनिया में सापा एवं चिल्हनिया के मध्य अवस्थित पुल वर्ष 2019 में आयी भीषण बाढ़ से ध्वस्त हो गया था, उक्त ध्वस्त पुल को भर दिया गया है।

अतः उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं।

मो0 सरवर आलम : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत पिछला पंचायत (वार्ड–06) की सड़क, जो बंगाल सीमा को जोड़ती है, वर्ष 2017 की बाढ़ में टूट गयी थी। उक्त टूटे हुए स्थान पर पुल नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है। जनहित में यहां अविलंब पुल निर्माण की मांग करता हूं।

श्री गुलाम सरवर : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अन्तर्गत डगरूआ प्रखण्ड में अग्निकांड की बढ़ती घटनाओं के बावजूद अग्निशमन यंत्र (Fire Brigade) की व्यवस्था नहीं है, जिससे आग लगने पर जान–माल की भारी क्षति होती है। डगरूआ प्रखण्ड में अग्निशमन यंत्र व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग करता हूं।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला निवासी धर्मेन्द्र साह की नाबालिग पुत्री अनामिका गुप्ता पटना के परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करती थी। दिनांक 06.01.2026 को हॉस्टल में साजिश के तहत हत्या कर दी गयी। गांधी मैदान थाना कांड संख्या 09/26 है। घटना की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करता हूं।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत कुशेश्वर थाना कांड संख्या–22/2026 हरिनगर में दलित विक्रम पासवान, अविनाश पासवान एवं 11 वर्षीय कोमल कुमारी को मजदूरी मांगने पर सामंतों ने बर्बर हमला कर मासूम बच्ची की रीढ़ ही हड्डी तोड़ दी। मैं सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने एवं नामजद अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करता हूं।

प्रो0 नागेन्द्र राउत : अध्यक्ष महोदय, मां जानकी मंदिर (जनकपुर) की यात्रा हेतु पटना से वाया सीतामढ़ी, सुरसंड, भिठ्ठा मोड़ तक प्रतिदिन बस परिचालन हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, अमौर सहित पूरे सीमांचल में नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फैल रहा है, इससे कम उम्र के बच्चे स्मैक, गांजा एवं अफीम का प्रयोग कर आपराधिक गतिविधियों लूट, हत्या एवं चोरी जैसे कुकर्मों में शामिल हो रहे हैं।

अतः विशेष टीम गठित कर नशा के कारोबारियों की गिरफ्तारी और इसे सख्ती से रोका जाय।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत रसलपुर थाना के ग्राम घनौरा से 27 मई, 2025 से दो नाबालिग छात्राएं लापता हैं। काण्ड संख्या 92/2025 दर्ज होने के बावजूद अब तक बरामदगी नहीं हुई।

अतः विशेष जांच टीम गठित कर छात्राओं की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित करने की मांग मैं सरकार से करता हूं।

श्री राकेश रंजन : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत शाहपुर प्रखण्ड के सुहिया गांव से धमवल गांव की मुख्य सड़क करीब एक किलोमीटर कच्ची तथा शेष सड़क काफी जर्जर सिंिति में है।

अतः उक्त सड़क का पक्कीकरण कर जीर्णोद्धार अतिशीघ्र कराने की सूचना देता हूं।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 03.11.2024 को संतोष यादव पिता रामविलास यादव, ग्राम लोदीपुर, थाना पकरीबरावां, जिला नवादा की बिजली के एल0टी0 लाईन का करंट लग जाने से मृत्यु हो गयी, जिसका पकरीबरावां थाना काण्ड संख्या 496/24 दर्ज है।

अतः मृतक संतोष यादव के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मांग करती हूं।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत रूपौली विधानसभा क्षेत्र में क्रमशः सर्वोदय आश्रम भवानीपुर, रूपौली एवं टीकापट्टी में निर्मित भवन जर्जर एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमित है।

अतः उक्त सर्वोदय आश्रम को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए जीर्णोद्धार एवं आम जनता के हित में ग्राम विकास, स्वदेशी एवं स्वावलम्बी योजना चालू कराने की मांग करता हूं।

श्री सुजीत कुमार : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अन्तर्गत राजनगर प्रखण्ड के राज मैदान के बगल में वर्ष 1997 में कृषि महाविद्यालय का शिलान्यास होने के बावजूद कृषि महाविद्यालय का निर्माण वर्षों से लम्बित है।

अतः उक्त कृषि महाविद्यालय के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत तरैंया विधान सभा के प्रखंड इसुआपुर एवं पानापुर का प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण 30 वर्षों से लंबित है। जनता को असुविधा तथा अन्य समस्याओं को देखते हुए उक्त भवनों का निर्माण करावें।

श्री पप्पू कुमार वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के प्रखण्ड बंशी के खरासीन पंचायत अन्तर्गत एकरौजा ग्राम में पुनपुन नदी का तटबंध नहीं रहने के कारण आस–पास की भूमि नदी में समाहित हो रही है। सरकार एकरौजा ग्राम के पास पुनपुन नदी में बनाने की मांग करता हूं।

श्री गौतम कृष्ण : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला अंतर्गत महिषी विधानसभा क्षेत्र के सत्तर कटैया प्रखंड के ग्राम पंचायत बिशनपुर निवासी वीर शहीद कुंदन यादव वर्ष 2020 में गलबान घाटी में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए । उनके सम्मान में सहरसा कचहरी चौक का नामकरण ''वीर शहीद कुंदन यादव चौक'' कराने की मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, काराकाट प्रखण्ड के डिहरी बिक्रमगंज पथ से इटिम्हा नोनार पथ में बसडीहां से बसंत बिगहा (प्रकाश टोला) तक बाईपास निर्माण हेतु छूटे हुए बसावटों के तहत सर्वे किया गया है । जिसका आई0डी0 नं0–107833 है । अतः उक्त बाईपास का निर्माण कार्य कराने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत प्रखंड केवटी के कर्जापट्टी वार्ड सं0 1 और 3 एवं सिंघवाड़ा के सिमरी बाजार में नाला नहीं होने से वर्षा के मौसम में जल जमाव से कई तरह की बीमारियां होने की आशंका रहती है । जनहित में उक्त दोनों स्थानों पर नाला निर्माण करने की कृपा करें ।

श्रीमती सावित्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड चकाई में गरीब आदिवासियों एवं महिलाओं के ईलाज हेतु 100 शैय्या वाला अस्पताल निर्माण कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पीने का पानी का एकमात्र स्रोत जल नल हो गया है । बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जगह–जगह पाइप टूटा हुआ है । टूटे हुए पाइप को बदलने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना लिये जायेंगे ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

श्री राणा रणधीर, श्री अनिल सिंह एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण <u>सूचना पर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी गई है । माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो अपलोडेड है ।

अध्यक्ष : उत्तर अपलोडेड है, इसमें यदि कोई पूरक पूछना हो तो पूछ सकते हैं ।
जी बिल्कुल, सदस्य संतुष्ट हैं । हम आगे बढ़ रहे हैं ।

सर्वश्री आलोक कुमार सिंह, मुरारी प्रसाद गौतम एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह की ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी गई है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समय दिया जाय ।

श्री आलोक कुमार सिंह : महोदय, बार–बार इसमें समय मांगा जा रहा है ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, एक दिन का समय दिया जाय ।

अध्यक्ष : एक दिन का समय लिया है, कल हो जाएगा ।

माननीय सदस्य श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सूचना पढ़ें ।

श्री आलोक कुमार सिंह : महोदय, कहना चाहूंगा कि 25 फरवरी को लास्ट हो जाएगा...

अध्यक्ष : आलोक बाबू माननीय मंत्री जी ने कहा है कल करवा दिया जाएगा ।

श्री आलोक कुमार सिंह : ठीक है महोदय, धन्यवाद ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा एवं श्री राजू कुमार सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा, अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधान सभा सहित सभी जिलों में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत चयनित सड़कों का निर्माण गति बिल्कुल धीमा है ।

अतः जगदीशपुर सहित सभी जिलों में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत चयनित सड़कों का निर्माण यथाशीघ्र कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं ।

भोजपुर जिला के अलावा पूरे राज्य में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत राज्य भर में सड़कों का चयन किया गया था । चुनाव के पहले इसकी घोषणाएं हुई थीं, टेंडर भी हो गया था, ग्लोबल टेंडर था लेकिन इसका कार्य इतना न धीमा है कि चुनाव में हमलोगों ने सब पब्लिक से कहा था कि तुरंत रोड बन जाएगा लेकिन अभी तक काम नहीं लगा । कभी कहीं छिटपुट भी लगा है उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है । माननीय मंत्री जी से यही मैंने आग्रह किया था कि जल्दी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए चूंकि ठेकेदार लोग सब पूछते हैं कि काम क्यों नहीं लगाते हैं तो वे लोग बोलते हैं कि राशि का अभाव है । हमलोग जानते थे समझते थे अखबाारों के माध्यम से कि पूरे राज्य में साढ़े सात हजार करोड़ रुपया विभाग ने सभी पदाधिकारियों को दिया सभी जिला को आवंटन किया लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्षेत्र में फजीहत

हो रही है इसलिए आपसे आग्रह है कि तत्काल इसमें कार्य प्रारंभ करवा दीजिए गुणवत्ता के साथ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जगदीशपुर विधान सभा अंतर्गत 105 पथ लगभग 215 किलोमीटर की स्वीकृति ग्रामीण सड़क से लेकर प्रबंधन कार्यक्रम आर0आर0एस0एम0पी0 के अंतर्गत प्रदान की गई है । उक्त स्वीकृत सभी पथों में कार्य प्रारंभ करते हुए 45.02 किलोमीटर में सरफेस लेयर तक का कार्य संपादित किया जा चुका है तथा शेष पथों का कार्य प्रगति में है । इस कार्यक्रम अंतर्गत एकार्तित सभी पथ एकरारनामा अवधि के अधीन है । दिसंबर एवं जनवरी माह में ठंढ़ ज्यादा बढ़ने के कारण बिटूमेन कार्य हेतु समय अनुकूल नहीं रहने के कारण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है परन्तु अब बिटूमेन कार्य हेतु समय अनुकूल है। अतएव कार्य की प्रगति में अपेक्षित वृद्धि करते हुए स्वीकृत एवं एकत्रित सभी पथों को वित्तीय वर्ष 2026 एवं 2027 में पूर्ण करा लिया जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता पढ़ें अपनी सूचना को ।

सर्वश्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, भाई बिरेंद्र एवं अन्य बारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र संख्या–12679, दिनांक–09.08.2024 द्वारा तांती को अनुसूचित जाति का दर्जा वापस लेते हुए अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में डाल दिया । राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती संस्थानों परीक्षा BPSC TRE 3.0, BTSC TECHNICIAN, BIHAR POLICE CONSTABLE, BPSC 69TH MAINS, BPSC HEAD TEACHER, SSC STENOGRAPHER, BIHAR SSC, COURT STENOGRAPHER, विश्वविद्यालय चयन आयोग, NEET, CSIR, NET, ANM BHPCL, BSSC Stenographer, BELTRON में शामिल तांती/ततवा अभ्यर्थी जो पान जाति प्रमाण–पत्र शामिल छात्रों को नियुक्ति/नामांकन प्रक्रिया के बीच प्रक्रिया के बाद ज्वाइनिंग नहीं कराया । मेडिकल/इंजीनियरिंग, नवोदय विद्यालय से नामांकित बच्चों को निकाल दिया गया । जो बिहार सरकार के पत्रांक–15, दिनांक–28.11.2012 तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों के विपरीत है । बिहार सरकार के विभिन्न भर्ती संस्थानों के द्वारा नियुक्त/नामांकन प्रक्रिया के बीच नियम बदलकर तांती/ततवा अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने वाले उन सभी आदेशों की समीक्षा करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है अपलोडेड है, पूरक चाहें तो पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष : पूछ लीजिए, आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है तो हम बता देते हैं । महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार ने ही तांती/ततवा की जाति की स्थिति को देखते हुए इसके बारे में एक सामाजिक अध्ययन करने के पश्चात् इसको पान जाति जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में है, उसके साथ सम्मिलित कर तांती/ततवा को भी अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का निर्णय लिया था और इस क्रम में ठीक ही कहा है माननीय सदस्य ने जो कई लोगों को कई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का लाभ देते हुए तांती/ततवा जाति के भी उम्मीदवार थे उनकी नियुक्ति की गई है । बीच में मामला उच्चतम न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय ने सरकार के उस फैसले को सरकार के ही नहीं फैसले, जो उच्च न्यायालय ने भी उस कानून को सही माना था, उन सबको निरस्त करते हुए कहा कि यह बिल्कुल गलत है क्योंकि उस सूची में शामिल करना, नहीं करना ये राज्य सरकार के क्षेत्राधीन है ही नहीं इसलिए तत्काल प्रभाव से उस कानून या उस फैसले को निरस्त कर दिया और उस दिन के बाद से हालांकि सरकार ने जो पहले से उस श्रेणी में आकर नियुक्त हो चुके उनको यह संरक्षण दिया है कि उनको नौकरी से हटाया नहीं गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनको फिर अति पिछड़ा की श्रेणी में आकर उनकी नौकरी बहाल रखी गयी है इसलिए किसी को हटाया नहीं गया है । जहां तक आपने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जो उसके टर्मस्–कंडीशंस हैं उसको बदलने की बात आप जो कह रहे हैं तो उसको नहीं बदलने का नियम है सरकार पर तो सरकार स्वयं नहीं बदल सकती है । एक बार नियुक्ति की प्रक्रिया जो हमने विज्ञापित कर दी है उसमें बीच में हम अपने मन से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं । यह न्यायालय का आदेश है लेकिन इसमें तो उच्चतम न्यायालय ने ही आदेश दे दिया कि हमने जो विज्ञापन किया जो श्रेणियां बनायीं जातियों के हिसाब से अनुसूचित जाति या अति पिछड़े जाति के, उसी को निरस्त कर दिया तो ये तो तत्काल प्रभाव से इसको स्थगित करना ही है नंबर एक । नंबर दो आपने जो कहा है कि नवोदय विद्यालय या कहीं किसी विद्यालय में नामांकन के सिलसिले में शिक्षण संस्थाओं में जो नामांकन हुए थे उनको हटा दिया गया है ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है । आप अलग से हमको दे दीजिए जरूर हम उसकी जांच करा देंगे ।

टर्न–10 / यानपति / 09.02.2026

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उस नोटिफिकेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद किया जिसमें आपने तांती, ततवा को पान का दर्जा दिया, मैं उसपर बहस नहीं कर रहा हूं । फिलहाल यह मैं कह रहा हूं कि इस बीच में जो नियुक्तियां निकली थीं, जो नामांकन हुए थे, अब नामांकन, कट ऑफ मार्क आया है उसके बाद बिना किसी ऑर्डर के सामान्य प्रशासन या कैबिनेट के ऑर्डर से विभिन्न संस्थान हैं जिनका मैंने जिक्र किया उन्होंने हमारे तांती जो परीक्षार्थी पान, तांती, ततवा पान का सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन दिया था उनका शपथ पत्र मांगा कि आप यह कहिए कि आप तांती ततवा है उसके बाद उन सारे बच्चों को, अभी स्टेनो, बेल्ट्रॉन में रोका हुआ है। उन सारे बच्चों को बीच में उठाकर उनकी क्या गलती है । मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपने जो नियुक्तियां की हैं उसका तो प्रोटेक्शन सरकार ने दिया है लेकिन मैं वह कह रहा हूं कि इस बीच में जो वैकेंसियां निकलीं उसमें हमारे बच्चे ने अप्लाई किया, उसका कट ऑफ मार्क आया, सब क्वालिफाई कर रहे थे । सारे लोगों को हटाया और यही नहीं सर, हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज पूर्णिया से पी0एम0सी0एच0 से उनके गर्दन पकड़कर निकाले गए । हमारी बेटियों को, यही नहीं लाखों बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं रेलवे में जबलपुर में निकाल दिया, आई ऐम नोट टेलिंग कि मंत्री महोदय से मैं सहमत हूं कि जो हो गया उसको प्रोटेक्शन दिया आपने लेकिन वो बच्चे जो इस नोटिफिकेशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उसकी ज्वाइनिंग हो गई, एक घटना है बेगूसराय की महोदय उसके पति गया, दिल्ली में रिक्शा चलाया उसकी ज्वाइनिंग हो गया इसी सर्टिफिकेट पर, ज्वाइन नहीं करने दिया तो उसने मुझे कॉल किया कि मैं तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : मेरा क्वेश्चन यह है कि आखिर सरकार इस प्रक्रिया के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते । यह जितने नियुक्ति संस्थान हैं, कांस्टेबल हैं, ए0एन0एम0 हैं, टी0आर0ई0–3 हैं इन सारे लोगों ने आखिर तांती, ततवा जो पान के सर्टिफिकेट पर अप्लाई किए थे उसको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं । बेल्ट्रॉन में 60–65 लड़का अभी भी रुका हुआ है । अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आया कि आपको निकाल दिया जायेगा, न आप एस0सी0 हैं न ततवा हैं, कुछ भी नहीं हैं । ऐसा जो अन्याय किया गया यह कैसे हो सकता है महोदय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता : मैं चाहता हूं कि सरकार इसपर समीक्षा करे, उन सारे संस्थानों पर समीक्षा करे और उसको आदेश दे कि आखिर यह कैसे हुआ और जो–जो क्वालिफाई किया है उसको सरकार बहाल करे और बाद में जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार आप कोटि बदल दीजिए, मेरी यह मांग है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आलोक जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस निर्णय को क्वेस कर दिया, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू हो गई, नौकरी की प्रक्रिया या एडमिशन की प्रक्रिया में तीन महीना, छः महीना, सालभर भी लगता है जिस दिन अप्लाई किया गया उस दिन वह बच्चा उसी कैटेगरी में था जिस कैटेगरी के अंदर उसने अप्लाई किया । जब एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो सिर्फ ज्वाइन करने और न ज्वाइन करने के हियरलाइन को क्राइटेरिया बनाना मैं समझता हूं कि बिल्कुल अतार्किक है और गलत है । सरकार को इसपर, यह इंटरप्रेटेशन का मामला है । सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को क्वेस किया लेकिन आप बाइंड अप करते–करते जो समय लगता है वह क्लीयरेंस सुप्रीम कोर्ट से ही मांगना हो तो मांग लें लेकिन उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाय । ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है और पूरे बिहार में एक साल तक, जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही होगी उनके साथ क्या नेचुरल जस्टिस नहीं हो सकता । इसलिए सरकार को इसको रिकंसीडर करना चाहिए और उन बच्चों को बहाल करने के बाद जो निर्णय लेना है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करे ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण में जो लाया गया है मूल रूप से यह बात लाई गई है कि आप पान बिरादरी को दलित के श्रेणी में लाए थे और उसके आधार पर जो कॉमनिक निकला वह एक ऐज ए दलित सेक्शन से उसने अप्लाई किया । रिजल्ट प्रकाशित हुआ, अब ज्वाइनिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया । अब वे बच्चे पास किए । इंटरव्यू के समय में उससे दलित का मांगा जाता है सर्टिफिकेट और वह दलित का सर्टिफिकेट तब वह देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है । लेकिन जिस कॉमनिक पर आपने लिया मैं समझता हूं कि उस पर वह लागू नहीं होता है । उसकी यह व्यवस्था करनी चाहिए कि उसकी ज्वाइनिंग हो । दूसरा, मैं दूसरा भी पूछ लेता हूं कि माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार की ताकत में नहीं है कि वह किसी भी जाति को आरक्षण की सूची में लाने के लिए उसको दलित की श्रेणी में लाए तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने अपने ही फैसले को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार से कोई लेटर, राज्य सरकार ने दिया कि उसको आरक्षण की सूची में शामिल किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, सबसे तो पहले हम ये सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आखिर सरकार की मंशा तांती, ततवा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा या सुविधा या लाभ दिलाने का था तब तो सरकार ने निर्णय लिया था, पहली बात । दूसरी बात कि जहां तक आलोक जी ने कहा कि इसमें कोई उपाय करना चाहिए तो महोदय, मुझे सदन को बताते हुए संतोष हो रहा है कि सरकार ने उस आदेश को चुनौती देने के लिए, उस आदेश को रिव्यू करने के लिए, पुनरीक्षण करने के लिए हमलोगों ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि इसका रिव्यू होना चाहिए क्योंकि तांती, ततवा जाति, अनुसूचित जाति की जो सुविधा है या जो स्थिति है यह लगभग उसी श्रेणी के हैं । आखिर हमलोगों ने भी सामाजिक अध्ययन कराया था, तभी तो उनको उसमें डाला था । जहां तक आपने कहा अजय जी कि आपने पान जाति को अनुसूचित जाति में डाला, हमलोगों ने पान जाति को अनुसूचित जाति में नहीं डाला था । पान तो पहले से अनुसूचित जाति में है, हमलोगों ने सिर्फ तांती, ततवा को पान जाति के ही उपजाति के रूप में उसी वर्ग में सम्मिलित कराकर इनको दिया था क्योंकि हम अनुसूचित जाति के सूची से हेरफेर नहीं कर सकते है। वह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, वह भारत सरकार और प्रेसिडेंट के द्वारा होता है महोदय । इसलिए हमने कहा है कि सरकार तो ईमानदारी से तांती, ततवा जाति को हर सुविधा दिलाने का अनुसूचित जाति वाला प्रयास कर ही रही है और उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, हमलोगों ने फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है कि यह उस तरह की सुविधा के हकदार हैं जैसी उनकी सामाजिक स्थिति है इसलिए हमलोगों को इजाजत दिया जाय कि हमलोग इनको अनुसूचित जाति की सुविधा दे सकें ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही...

(व्यवधान)

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बहुत स्पष्ट हो गया । सरकार ने, आपका हो गया, आप बैठ जाइये । बहुत क्लीयर है, सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला है, न्यायालय में जाकर के । राज्य सरकार चाहती है इसीलिए राज्य सरकार ने शुरू में ही सुविधा दी थी ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ यह कहना है कि ततवा बिरादरी को आरक्षण की सूची में लाने के लिए क्या राज्य सरकार ने नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को कोई पत्र अभीतक दिया या नहीं।

अध्यक्ष : वह अलग विषय है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कई बार इस सदन में हमने कहा है कि चाहे आरक्षण की सीमा जो हमलोगों ने बढ़ाई थी जाति आधारित कराने के बाद अलग–अलग श्रेणियों की या इसको तांती, ततवा को अत्यंत पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात है। जब हमलोगों ने जो निर्णय लिया, जो कानून बनाया था आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जब वह कानून ही निरस्त हो गया तो नौवीं अनुसूची में क्या चीज शामिल होगा। आप कम से कम ये समझिए कि नौवीं अनुसूची में कानून जो बना रहता है उसको शामिल किया जाता है, ज्यूडिशियल रिव्यू से सुरक्षित करने के लिए, जो कानून ही आज की तिथि में वह कानून ही नहीं एक्जिस्ट करता है तो नौवीं अनुसूची में किस को डालेगा, यह समझना चाहिए और इतना महोदय मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि तांती, ततवा जाति के लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, उनकी विपन्न स्थिति को देखते हुए कि उनको अनुसूचित जाति की सुविधा उस श्रेणी में डालकर मिले । इसके लिए हमलोगों ने उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन भी डाला है और सरकार ईमानदारी से चाहती है ।

टर्न–11 / मुकुल / 09.02.2026

अध्यक्ष : बहुत स्पष्ट और क्लीयर भी हो गया ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने रिव्यू पेटिशन डाली है यह सही बात है और मैं.....

(व्यवधान)

अरे, भईया आप समझते ही नहीं हैं और बीच में बोलते हैं, हमारी बात कुछ और है, सरकार जवाब कुछ और दे रही है और आप बीच में टपक जा रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देखिए । माननीय सदस्य, प्लीज आप आसन को देखिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ।

अध्यक्ष : आपलोग चर्चा मत कीजिए, मनीष जी.....

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : मैं कह रहा हूं कि सरकार की जो चिंता है, आपको कोई जानकारी नहीं है और आप बोले जा रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गुप्ता जी ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : आपको कुछ नहीं पता है, आप चुप बैठिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि रिव्यू पेटिशन जो सरकार डाली है, मेरे ध्यानाकर्षण से उसमें कोई संबंध नहीं है हुजूर । मैं जानता हूं कि सरकार चिंतित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1969 में सदन में आवाज उठायी तांती, ततवा को आरक्षण देने के लिए, हमारी माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत बात भी हुई है, मैं सरकार की मंशा पर डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नियुक्तियों के बीच में, नामांकन के बीच में हमारे जो बच्चे विभिन्न भर्ती संस्थाओं में अप्लाई किये थे उनको जो आपने बीच में निकाला है, ज्वाइनिंग लेटर निकलने के बाद आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने उनको निकाला है, मैं उसकी बात करता हूं कि सरकार उसपर समीक्षा करे कि क्या उस ऑर्डर के लिए सामान्य प्रशासन ने, जो विभिन्न संस्थाओं ने अपने मन से बदल दिया या हमारे बच्चों से शपथ पत्र मांगा, वह किस आधार पर मांगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन ने कोई लेटर इशू नहीं किया । जब नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार को पुनर्स्थापित करने के लिए तांती, ततवा को अति पिछड़ा में तो उसमें यह कहा कि जो पहले से नौकरी हो गया उसका कोटि बदलिए, मेरी यह मांग है कि जिसको आपने ज्वाइनिंग लेने नहीं दिया, नामांकन से निकाला, आपने प्रक्रिया के बीच में जिन बच्चों को नौकरी नहीं लेने दिया उसके कट–ऑफ–मार्क को दोबारा, ई0बी0सी0 में भी क्वालिफाई बहुत लोगों ने किया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसलिए माननीय मंत्री जी ने कहा है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : उसकी समीक्षा सरकार करती है कि नहीं करती है मैं उसकी मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी समीक्षा करवायें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि समीक्षा कर लें, आप वैसी जो सूचनाएं हैं कहां–कहां पर ऐसा हुआ है, आप उसकी सूचना दे दीजिए सरकार जरूर उस पर समीक्षा करेगी ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–12 / सुरज / 09.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

उपाध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे । माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

वित्तीय कार्य

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम–2025, बिहार विनियोग (संख्या–03) अधिनियम–2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या–04) अधिनियम–2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2025–26 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में मैं तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक पर दिनांक–06 फरवरी, 2026 से जारी समान्य विमर्श अब प्रारंभ किया जायेगा ।

माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार मेहता जी आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें । आपके पास 15 मिनट का वक्त है आलोक बाबू ।

श्री आलोक कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में 2026–27 का यह वित्त बजट पेश किया गया और पूरे धमाके के साथ ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत बड़ा बजट, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जा रहा है । लेकिन बजट को देखकर लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब की जो कहावत है, वही दिख रही है । पिछले कई वर्षों से....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : वही बातें बार–बार रिपिट की जा रही है । माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी वही बातें और ऐसा लग रहा है कि कोई नया इनेसिएटिव लेने का इरादा सरकार का नहीं है । बिहार में 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये के बजट को पेश किया गया । जिसमें....

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, आलोक जी वरिष्ठ सदस्य हैं । अगर कोई उदाहरण देना था तो किसी और चीज का देते । महोदय, बिहार में तो शराबबंदी है । यहां बोतल नई हो, पुरानी हो, बीच की हो, जमीन के अंदर वाली हो शराब का । उसमें भी उस सदन में शराब का जिक्र, जिसमें उसके खिलाफ कानून बना है, हम सभी सदस्यों ने उसके खिलाफ शपथ खाई है । इसलिये कोई दूसरा उदाहरण देते तो अच्छा रहता । शराब को बाकी जगह जो चोरी–छिपे करते हैं, कभी पकड़ा जाते

हैं तो जेल भी चले जाते हैं उनलोगों तक छोड़ दीजिये । सदन में उसका जिक्र न करें हमलोग तो अच्छा है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मेरे भाषण में यह समय नहीं जोड़ा जायेगा । धन्यवाद । महोदय, सरकार ने 3.47 लाख करोड़ के बजट को पेश किया और बार–बार यह कहा जा रहा है कि 2005 में यह बजट था । 2005 में 24 हजार करोड़ का बजट था और 2006–07 में 29 हजार करोड़ का बजट था । इनको यदि तुलना करना है तो अपने ही कार्यकाल के 2006–07 के बजट साइज से इसकी तुलना कर लें और उसके कई कारण हैं । वर्ल्ड बैंक का दरवाजा उस समय नहीं खुला था, जब खुला तब पूरे देश के राज्यों का बजट बढ़ने लगा और शर्मनाक बात यह है कि बिहार की जो अपनी आय है, इनकम रेवेन्यू वह बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं हो रही है । केन्द्र पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि इस बजट में यहां से लेकर प्रधानमंत्री और केन्द्रीय बजट का ही जिक्र ज्यादा है । तो ऐसा लगता है कि इस निर्भरता को कम करना बहुत जरूरी है । केन्द्र सरकार की यदि पॉलिसी बदलेगी तो फिर बिहार का आर्थिक नक्शा भी बदलने की संभावना दिख रही है और इस बजट में कुछ बुनियादी कमियां, जिसको स्ट्रक्चरल गैप कहते हैं, जो विकास के रफ्तार को घटाता है इस बजट में और वह जमाना था जिस जमाने की बात करते हैं 2005 । 2005 में सोना का मूल्य 5 से 7 हजार पर 10 ग्राम था । आज सोना का मूल्य 1 लाख 75 हजार पर 10 ग्राम है । यह इन्फलेशन रेट, मुद्रास्फीति भी एक बड़ा कारण है । लेकिन इन चीजों को नजरअंदाज करते हुये और इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे 24 हजार करोड़ का बजट किसी अक्षमता का प्रतीक है तो यदि वह अक्षमता का प्रतीक है तो 29 हजार करोड़ का भी बजट जो वर्ष 2006–07 में पेश किया गया, वह भी सरकार की अक्षमता का प्रतीक है ।

महोदय, आज प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो राष्ट्रीय औसत है 2 लाख 12 हजार रुपये प्रति व्यक्ति और बिहार का औसत आय क्या है 76 हजार 490 रुपया अधिकतम और टोटल बजट मैं फिर वही बात बोल रहा हूं । इन्फलेशन रेट आप सोने के भाव से तुलना कर सकते हैं । इन्फलेशन रेट टोटल बजट का, बिहार का जो रेवेन्यू है वह लगभग 31 परसेंट है पूरे बजट का । जो कि स्टैंडर्ड है कि 40 से 50 प्रतिशत इंटरनल रेवेन्यू होना चाहिये तब आर्थिक रूप से स्वस्थ्य राज्य की श्रेणी में वह आ सकता है ।

महोदय, जी0एस0डी0पी0 रेशियो जो 33 से 35 परसेंट के बीच फ्जक्व्यूएट कर रहा है जबकि एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के हिसाब से इसे 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये और इससे बिहार का क्रेडिट रेटिंग घटेगा और भविष्य में इसको ऋण लेने में बहुत परेशानी होगी । आज जितना का बजट है लगभग उतना ही का

ऋण भी बिहार के ऊपर है और यह ऋण लगभग 24 हजार करोड़ रुपया । मुझे याद है लगभग 24 हजार करोड़ रुपया इस बजट में सिर्फ पुराने ऋण का ब्याज दिखाया गया है । तो जो विकास का बाकी पहलू है, योजना मद में जो आना चाहिये ऐसा लगता है कि उस पर सरकार का ध्यान नहीं है । मैं समझ सकता हूं कि जो स्थापना खर्च है या फिर जो स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय 64.86 प्रतिशत है । यह एक आवश्यक चीज है, इसकी बात समझ में आ रही है लेकिन मात्र 35.14 प्रतिशत जो दिखलाया गया है बाकी क्षेत्र में तो यह विकास के लिये पर्याप्त नहीं है । बजट में केन्द्रीय निर्भरता 1 लाख 15 हजार करोड़ का केन्द्रीय सहायता और विभिन्न माध्यमों से बिहार को लेना पड़ रहा है । आप जान सकते हैं महोदय कि इतने समय में समय बदला, फेज बदला, इकोनॉमी बदली, इकोनॉमिक डायनमिक जो देश और दुनिया का है उसके हिसाब से बिहार को सहायता मिलने लगी । पहले बिहार को सहायता नहीं मिलती थी या कम मिलती थी और उसके कोई एक कारण नहीं है । मैं बता सकता हूं कि बिहार के रियल ग्रोथ के लिये इसको कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है जबकि बिहार को प्रोडक्शन इकोनॉमी की आवश्यकता है । बिहार में उद्योग न के बराबर है और खास तौर से जो कृषि उत्पाद है, किसान बहुत मेहनत करके उत्पादन जब बढ़ाते हैं तो उनको मूल्य नहीं मिल पाता है । मूल्य क्यों नहीं मिल पाता है, सरकार का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं है । आप फॉरवर्ड लिंकेज जो होना चाहिये ।

(क्रमशः)

टर्न–13 / धिरेन्द्र / 09.02.2026

....क्रमशः....

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बिहार के उत्पादों में मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन और उसके बाद उसकी मार्केटिंग देश–विदेश या बिहार से बाहर हो, तभी बिहार का पैसा बिहार के अंदर आयेगा और तब आप एक अच्छे इकोनॉमी, स्वस्थ इकोनॉमी की कल्पना कर सकते हैं और बिहार के लिए एक अच्छा बजट पेश कर सकते हैं । 70 से 75, बिहार का बजट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से बिहार की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक सिर्फ सरकारी, सरकार कोई व्यापारी नहीं है, सरकार जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आमंत्रित नहीं करेगी या फिर उसको स्थापित नहीं करेगी तब तक बिहार की इकोनॉमी उस लेवल तक नहीं पहुँच सकता । पहले के दिनों के बारे में कहते थे कि जंगलराज है इसीलिए इन्वेस्टर नहीं आते थे आज कौन–सा राज है जो इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं ? आज है क्या ? आज पूरे बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार, Serial Killing की तरह Serial Rape हो रहा है

और फिर भी सरकार का दावा है कि बिहार में सब कुछ अच्छा है, सुशासन है और जीरो टॉलरेंस है, यह पूरी दुनिया और देश देख रहा है कि क्या है ?

महोदय, पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है । पर्यावरण के मामले में पटना और हाजीपुर कभी देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर हुआ, मतलब रिकॉर्ड में है लेकिन सरकार उसके प्रति क्या इनिशिएटिव ले रही है ? वृक्षारोपण एक इनिशिएटिव है जो पिछले दिनों चला लेकिन जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है या जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जितना भी इंडस्ट्रीज है या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन तमाम चीजों से जो पॉल्यूशन डेवलप हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है । सरकार के पास क्या कोई आंकड़ा है कि इस पॉल्यूशन के बढ़ने से किन बीमारियों में कितना–कितना इजाफा हुआ, यहां के जो मेडिकल वेस्ट हैं उनका भी प्रबंधन माकूल नहीं है ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं हैं जहां–तहां जो मेडिकल वेस्ट हैं उसको देकर बीमारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

महोदय, अपराध के ग्राफ के बारे में लोग नेशनल क्राईम ब्यूरो रिकॉर्ड को यदि आप देखें तो ऐसा लगता है कि यह जंगलराज नहीं महा जंगलराज हो गया लेकिन सरकार का बिल्कुल ध्यान उन चीजों पर नहीं है । महोदय, एफ॰आर॰एन॰बी॰..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनायें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, जो यह कृषि प्रधान राज्य है । कृषि प्रधान राज्य नहीं इसे कृषि राज्य कह सकते हैं, जहाँ उद्योग है ही नहीं, जहाँ की इकोनॉमी, जहाँ का अर्थतंत्र पूरी तरह कृषि पर आधारित है उसे हम कृषि प्रधान नहीं कृषि राज्य कह सकते हैं और कृषि राज्य का यह हाल है कि यहाँ की उत्पादकता उपजाने के मामले में बहुत है लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट को हरियाणा और पंजाब में ले जा कर लोग वैल्यू एडिशन करते हैं । यहाँ का मक्का हो, यहाँ का तेलहन, दलहन हो और यहाँ की जो गेहूँ और विभिन्न तरह की जो फसल हैं, यहाँ के मधु को ले जा कर वहाँ प्रोसेस कर के उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं दस गुना दाम में, पाँच गुना दाम में लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिल पा रहा है । बिहार में जो इन्वेस्टमेंट है, सरकारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स उसको कह सकते हैं । सरकार ने वादा किया था कि यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वातावरण होगा लेकिन उद्योगपति आते हैं, आप इन्वेस्टर्स मीटिंग बुलाते हैं, बहुत पैसा सरकार का खर्च होता है, यहाँ से मंत्री बाहर जाते हैं वहाँ भी बुलाते हैं और सब कुछ करने के बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता, नहीं आता है तो उसके कारणों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, कारणों की समीक्षा होनी चाहिए । जितना इन्वेस्टमेंट हुआ

कैंपेन में उसका रिटर्न आपको क्या आया ? बिहार में इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ का ग्रोथ जो माकूल ग्रोथ होना चाहिए, हम कितने इंडिकेटर्स हैं जिस मामले में हम फिसड्डी साबित हो रहे हैं और बिहार उन इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पर पिछले, सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है लेकिन सरकार बजट पेश करती है और तीन–तीन, चार–चार अनुपूरक बजट लाती है, बजट भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सीरियसनेश के साथ बनाया जा रहा है । बजट तो अनुमान है 10–05 का डेवियेशन हो सकता है लेकिन 40–40 परसेंट एडिशनल फायनेंस के लिए सरकार तीन बार बजट लाती है । क्या हो गया बजट बनाने वाले ग्रुप का, क्या आप उसमें एक्सपर्ट नहीं रखते या कोई सही इन्फारमेशन नहीं आता और ऐसा लगता है कि किसी तरह कुछ भी लिख दो, जल्दी–जल्दी दो रात में बजट तैयार कर पेश कर दो । इन चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और यदि ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे ही चलता रहेगा और जो मूल समस्याएं हैं बिहार में बेरोजगारी, जब उद्योग नहीं लगेंगे तो बेरोजगारी रहेगी और बिहार में बेरोजगारी मुँह बाये हुए हैं आप कोई भी तुलना कर लें पहले की अपेक्षा में बेरोजगारी बढ़ी है और लोग बाहर जा रहा हैं, पलायन कर रहे हैं....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह तमाम तरह की समस्याएं हैं । अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं । यह एक ऐसा सम्मानित पद है जिसकी तुलना आप लोकसभा में जो पद है उससे कर सकते हैं । जब मनमोहन सिंह जी बोलते थे तो लालकृष्ण आडवाणी जी, विपक्ष के नेता थे, जब लालकृष्ण आडवाणी जी उस बीच में खड़े होते थे तो मनमोहन सिंह जी बैठ जाते थे और यहाँ पर जो वातावरण है...

(व्यवधान)

महोदय, मेरी बात सुन ली जाय । महोदय, लेकिन यहां पर सदन का वातावरण...

(व्यवधान)

महोदय, कल, यह सभी माननीय सदस्यों की....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं कीजिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह माननीय सदस्यों की गरिमा से भी जुड़ा हुआ है । कल कोई भी व्यक्ति उस पद पर बैठ सकता है तो सदन में जो एक आचार संहिता, व्यवहार संहिता होनी चाहिए, उसको निर्धारित किया जाना चाहिए । हमारा व्यक्तिगत संबंध किसी से हो सकता है, हम बंद कमरे में बात कर सकते हैं हम उसे बेटा, बेटी सबकुछ बुला सकते हैं लेकिन सदन में इस तरह के व्यवहार को कंडेम करते हैं और..

.

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण संक्षिप्त करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मुझे लगता है कि यदि कोई कभी भी उस पक्ष में जा सकता है, कभी इस पक्ष में आ सकता है लेकिन यदि यह गरिमा बरकरार रही तो मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार के लोग इस बात से संतुष्ट होंगे कि हमारा सदन सुचारू रूप से, संगठित रूप से और डिसिप्लिन के साथ और व्यवहार संहिता के साथ चल रहा है । महोदय....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं इस बात के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ कि जो भी सुझाव बताये गये हैं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में और बिहार के विकास के क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि सरकार उसको संज्ञान में लेगी और आने वाले दिनों में उस पर अपना कार्य करेगी । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : आलोक बाबू, 02 तारीख से सदन की कार्यवाही चल रही है और मैं मानता हूँ कि प्रश्नकाल हो रहा है, शून्यकाल हो रहा है, ध्यानाकर्षण के जवाब दिये जा रहे हैं, शांतिपूर्वक सदन चल रहा है । अभी जो मैं देख रहा हूँ । अब मैं श्री संजय कुमार सिंह जी ।

(व्यवधान)

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, अभी जो comparison हुआ, माननीय सदस्य ने किया , absolute numbers में किया और बताया कि 24 हजार से 03 लाख 47 हजार कोई significant change नहीं है क्योंकि Inflation नहीं जोड़ा गया । महोदय, 90 के दशक में मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार का Rate of Growth जो था GDP का वह 3.5 परसेंट था और अभी 14 परसेंट है....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जायं ।

श्री राहुल कुमार सिंह : महोदय, ये बात माननीय सदस्य अपने भाषण में Include करें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जायं । माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह जी।

(व्यवधान)

टर्न–14 / अंजली / 09.02.2026

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार सिंह : शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ।

उपाध्यक्ष : संजय बाबू, आप आसन की ओर देखें ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम अपने लालगंज की उस महान जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने पुनः हमपर भरोसा करते हुए अपने सेवक के रूप में चुनकर इस लोकतंत्र के मंदिर में अपनी आवाज बुलंद करने

के लिए भेजा है । मैं आभार प्रकट करता हूं, अपनी पार्टी के दोनों नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय विजय सिन्हा जी के प्रति, अपने सचेतक विनोद नारायण झा जी के प्रति जिन्होंने बजट के इस सत्र में हमको बोलने का अवसर दिया है ।

(व्यवधान)

करेंगे–करेंगे । दो मिनट । अभी आपको क्यों कुलाहट हो रही है, अभी तो हमने आरंभ ही किया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाएं ।

श्री संजय कुमार सिंह : अभी थोड़ा धैर्य रखिए और सबसे अंत में...

(व्यवधान)

आप शांत रहिए ।

उपाध्यक्ष : संजय बाबू आप आसन की ओर मुखातिब हों । संजय बाबू, इधर देखिए । टोका–टोकी नहीं । अब आप आसन की ओर देखें ।

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार सिंह : आप शांत रहिए । इन लोगों के लिए हम पर्याप्त हैं । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे अंत में मैं बिहार की उस महान जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने पिछले इसी सदन में वह ऑन रिकॉर्ड है, हमने कहा था नेता प्रतिपक्ष को कि आगे आने वाले 8–9 महीनों के बाद जो चुनाव है उसमें बिहार की जनता आपको 20 और 25 की संख्या में सिमटा देगी, बिहार की जनता को हम आभार प्रकट करते हैं कि इनको उन्होंने 20 ओर 25 की संख्या में सिमटा दिया ।

(व्यवधान)

बिल्कुल । हम जानते हैं, जनता के नब्ज को हम जानते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं, शांति बनाएं ।

श्री संजय कुमार सिंह : धैर्य रखिए । वर्ष 2026–27 के लिए जो बजट आया है, उस बजट के समर्थन में बोलने के लिए हम खड़े हुए हैं । अभी जो बजट आया वह सात निश्चय–3 को फोकस करके लाया गया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं ।

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार सिंह : सात निश्चय टू से बिहार का विकास हुआ, वह भी बताएंगे । रूक जाइए । वह भी बताएंगे । अभी हमारे माननीय सदस्य आलोक मेहता जी कह रहे थे

कि उद्योगों के नहीं आने के कारण, उद्योगों के नहीं बढ़ने के कारण बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है...

(व्यवधान)

सही है, हम तो कह ही रहे हैं सही है लेकिन आप जरा उस चीज को याद करिए, वर्ष 1990 से 2005 तक आपकी सरकार थी, आपने मोतिपुर गुड़ चीनी मिल बंद कराया ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री संजय कुमार सिंह : आपने गोरौल चीनी मिल बंद कराया, आपने सुगौली के चीनी मिल को बंद कराया, आपने मोतिहारी का चीनी मिल को बंद कराया, आपने लौरिया के चीनी मिल को बंद कराया,

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपलोग शांति बनाएं ।

श्री संजय कुमार सिंह : आपने अशोक पेपर मिल को बंद कराया, आपने बिहार की सीमेंट फैक्ट्रियों को बंद कराया । आपके किए गए कु–कृत्यों को यह सरकार ढो रही है और अब पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण बना है कि बिहार अब समृद्धि की ओर बढ़ चला है, बिहार अब विकास की ओर नहीं अब समृद्धि की ओर बढ़ा है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप शांति बनाएं माननीय सदस्या ।

श्री संजय कुमार सिंह : इसलिए यहां पर उद्योगों के लगाने की बात बढ़ी है । आज बिहार की सरकार ने कहा है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : हल्ला नहीं ।

श्री संजय कुमार सिंह : लगभग दो दर्जन चीनी मिलों की स्थापना की बात हमारी सरकार ने की है और उसके लिए जमीन चिन्हित किए जा रहे हैं, जमीन खोजने का काम प्रारंभ कर दिया गया है यह हमारी सरकार कर रही है । देखिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनाए रखिए ।

श्री संजय कुमार सिंह : आप लोगों को इसलिए कुलाहट है कि आपके जमाने में उद्योगपतियों का अपहरण करके एक अन्य मार्ग में उसकी वसूली की जाती थी, आज वह नहीं हो रहा है, आज वह नहीं हो रहा है इसलिए उनको कुलाहट है कि वह माल इनके तक पहुंच नहीं रहा है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं ।

श्री संजय कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक भी व्यक्ति इस देश के अंदर नहीं कह सकता है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है ।

(व्यवधान)

आपकी आंख पर पट्टी लगी है, आप में अगर दम है तो आप अपने क्षेत्र की महिलाओं को जरा कहकर देखिए कि आपको जो दस हजार रुपए सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं वह मत लीजिए । आप पर तो बिहार की महिलाओं ने भरोसा नहीं किया, आपने तीस–तीस हजार का वायदा किया, एक–एक हजार रुपए महिलाओं से फॉर्म भरकर ठगे, आपके लोग अगर क्षेत्र में जाएंगे, तो अब महिलाएं ढूंढ रही हैं कि कौन एक–एक हजार रुपया का फॉर्म भराकर हमसे पैसा लिया । महिलाओं में विश्वास आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का है, आपके तीस हजार के मुगलते में बिहार की महिलाएं नहीं आईं और दस हजार का जो वायदा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और काम प्रारंभ किया उस पर पूरे बिहार की महिलाओं ने अपना जोरदार ठप्पा लगाकर, इतना प्रचंड बहुमत लगाकर भेजा है । उपाध्यक्ष महोदय, जो वायदा हमने किया है महिलाओं को दो लाख देने का वह इनके गणित विकास में नहीं रहता है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप टोका–टोकी नहीं करें । उनको बोलने दें ।

श्री संजय कुमार सिंह : इनके गणित विकास नहीं रहता उपाध्यक्ष महोदय । आप जाकर देखिए, आप जाकर पदाधिकारियों से पता करिए, जिन महिलाओं को दस हजार रुपए दिए गए हैं, उनको कैसे दो लाख रुपए और दिए जाएं इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, हमारी सरकार न सोने वाली है, न अटकाने वाली है, न भटकाने वाली है, विकास की राह पर चलने वाली है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार थी, बिहार के अंदर क्या होता था, यही पी0एम0सी0एच0 की दीवार पर हमने देखा है कि यहां प्रत्येक मरीज को 25 पैसे की दवा उपलब्ध कराई जाती है, शर्म से सिर झुक गया कि ऐसी सरकार जो 25 पैसे की..

(व्यवधान)

आज तो आप भी जाकर अपने क्षेत्र में देखिए, आपको चुनौती देते हैं, आप में से कोई भी अपने क्षेत्र में जाइए और आपके यहां पी.एच.सी. है, ए.पी.एच.सी. है आप जाकर देखिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया शांति बनाएं ।

श्री संजय कुमार सिंह : कितने बड़े पैमाने पर वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, कितनी दवाएं हैं और तो और अभी हमारे परिवार में खांसी हो गयी, हमारे यहां के एक मुखिया जी आए, कहे कि भाई अपने खांस रहले, काहे खांस रहलति....

(व्यवधान)

सुनिये तो । सुनिये तो, आई0पी0 गुप्ता जी सुनिये । धैर्यपूर्वक सुनिये ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देखें ।

श्री संजय कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने दवा खरीदने के लिए भेजा, तो वहां पर हमारे एक माननीय मुखिया ने सूचित किया कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सीरप रखा हुआ है वह लीजिए, काफी इफेक्टिव है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बैठ जायं । बैठ जायं । माननीय सदस्य, इनको बोलने दें । आपकी बारी जब आएगी तो आप बालेंगे ।

श्री संजय कुमार सिंह : आपको चुनौती है, अगर इस प्रकार का कोई भी विषय हो तो आप बताइए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनाएं ।

श्री संजय कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार की सड़कें चमचमा रही हैं, आज विद्यालयों के अंदर

(व्यवधान)

अखतरूल साहब ।

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें । कृपया टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री संजय कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज भी गांव के अंदर जब हम गुजरते हैं, चमाचमाती हुई कोई गुलाबी बिल्डिंग नजर आती है तो जानकारी होती है कि यह विद्यालय है, इनके जमाने में क्या था ? इनके जमाने में मकान नहीं था, अगर दीवार है तो उसके ऊपर छप्पर पर खप्पर नहीं है, ये इनकी सरकार थी, हमारी सरकार ने चमाचमाती हुई बिल्डिंग दी है, आज शिक्षक हैं, शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान हैं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है और छोड़ दीजिए, जिस जिले के निवासी हमारे आदरणीय आलोक मेहता जी हैं, जो अभी विषय रख रहे थे, कल हम उस जिले की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में गए थे, हमारे यहां के सरकारी स्कूलों की बच्चियों ने जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तय मानिए बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूलों की बच्चियां उनकी बराबरी नहीं कर सकती हैं, यह हमारी सरकार ने दिया है । यह मनोबल हमारी सरकार अपनी बच्चियों को बढ़ाया है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री संजय कुमार सिंह : हमारी सरकार प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रही हैं,

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायं माननीय सदस्य ।

श्री संजय कुमार सिंह : प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है और आपने एक चरवाहा विद्यालय खोला कोरौली में...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री संजय कुमार सिंह : वहां भी केला अनुसंधान केंद्र हो गया है । बहुत–बहुत आभार ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विनय कुमार चौधरी जी ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए, गुप्ता जी, बैठ जायं । माननीय सदस्य, श्री विनय कुमार चौधरी जी, आप अपना भाषण प्रारंभ करें ।

टर्न–15 / पुलकित / 09.02.2026

श्री विनय कुमार चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने फिर से हम पर भरोसा दिया और मुझे टिकट देकर के चुनाव मैदान में भेजा और बेनीपुर की जनता ने मुझे फिर से यहां पर भेजा, मैं इसके लिए अपने नेता और अपनी जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं श्रवण बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

अभी आलोक मेहता जी, जो हमारे पुराने जिला के हैं, हमारे बड़े भाई हैं।

(व्यवधान)

हमारे पुराने जिला के हैं, नहीं ज्ञान है तो क्या करेंगे? असल में आप लोग नौवां फेल के समर्थक हैं, तो यही सब न टोका–टोकी कीजिएगा? वे हमारे पुराने जिला के हैं। हमारे दरभंगा जिला, वे पुराने जिला के नागरिक थे। अब वे समस्तीपुर जिला के हैं तो उसमें भी टोका–टोकी करते हैं। बिना मतलब के, असल में नौवां फेल के आप लोग फॉलोअर हैं, तो यही हाल होगा।

(व्यवधान)

अभी केंद्र पर निर्भरता की बात उन्होंने की । आपके जैसे सीनियर व्यक्ति और इधर आज देखे थे आई0पी0 गुप्ता जी को, ये इतना बड़ा संविधान लेकर के आए हुए थे। इन लोगों के भी एक नेता हैं पप्पू, संविधान लेकर के वे घूमते हैं। संविधान में स्पष्ट है कि केंद्र पर...

(व्यवधान)

अधिकार मेरा बनता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप टोका–टोकी नहीं करें । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : और केंद्र से हमें जो मिलता है, हमारी निर्भरता नहीं है, वो मेरा अधिकार है। जो मुझे मिलता है, इसलिए अगर हम उस पर निर्भरता रखे हुए हैं तो कोई गलत नहीं किए हुए हैं। इसलिए विषय को मत बर्बाद कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या शांति बनाये रखिये ।

श्री विनय कुमार चौधरी : अब मैं बतलाना चाहता हूं कि ये लोग बराबर बोलते रहते हैं कि 10 हजार हम लोग दिए, इसलिए हम लोगों की चुनाव में जीत हुई। इनको नहीं मालूम है कि 2020 में जब चुनाव परिणाम आया, पहले आया कि हां अब सरकार इनकी बन रही है, लोग भयभीत हो गए थे और उसी भय को देख कर के 2025 में वो गलती नहीं करें, कि ताकि चार–पांच का मार्जिन करें, इसका परिणाम हुआ कि यह 200 सीट हम लोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो भरोसा है, उसका परिणाम है।

कोई मुख्यमंत्री जो 20 साल का रहा हो, 11 विधानसभा एक दिन में गए और जब बारिश होने लगी थी, उस दिन हमारे यहां प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री जी सड़क के द्वारा चले गए और कहीं पर भी किसी ने टोका तक नहीं। यह है नीतीश कुमार जी। आप सीख लीजिए, आपको सिखलाने के लिए कुछ दिन तो लाए थे, आप सीखे ही नहीं । जनता आपको, मुख्यमंत्री आपको याद होगा, तो मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में आपको बताया था कि आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या दुर्दशा होगी, आप विपक्ष के नेता नहीं हो पाएंगे। वो एक–आध सीट हो गयी, इसलिए आप विपक्ष के नेता हो गए। नहीं तो आपकी भी स्थिति वह नहीं होती।

(व्यवधान)

महोदय, सबसे दुखद था कि इन लोगों ने तय कर लिया था कि इतने तारीख को हम लाएंगे, यह मैं नहीं कह रहा हूं...

(व्यवधान)

ये लोग जब थे, अपने में तय कर रहे थे, तो सोचते थे, उनको पूछा गया इनके नेता से, कि भाई बिहार में जो शपथ ग्रहण करेंगे, हम विरोधी दल के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? इतना आत्मविश्वास । जनता की आप नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं और आप यह देख रहे हैं मुंगेरीलाल का हसीन सपना कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? आप कहां से मुख्यमंत्री बन पाइएगा? आप कभी नहीं बन पाइएगा। आपको नीतीश बाबू अपने साथ लाए, आपको सीखना चाहिए उनके साथ। आप उनके साथ सीखे नहीं ।

(व्यवधान)

आप उनको कहते हैं कि बूढ़े हो गए हैं। आप उस समय में, जब ये थे, मुख्यमंत्री जी इनको लाए थे, उपमुख्यमंत्री बनाए थे, तब का वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री जो साधारण चाल में चलते थे, तो इनको दौड़ना पड़ता था। यह स्थिति है इनकी और ये हमारे मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि बूढ़े हो गए हैं? आज भी मुख्यमंत्री में जो क्षमता है, जो विजन है, वो आप में नहीं हो सकती है। ये लोग बोलते रहते हैं ।

(व्यवधान)

आप चिंता न करें, हमारे मुख्यमंत्री शेर है, शेर था और शेर रहेगा।

(व्यवधान)

आपको निगल लिया। आप अपनी बात देखिए न, आपकी क्या स्थिति है ? आप भी सौरभ भाई, अकेले आ गए। देखिए कि क्या स्थिति थी आपकी, आप कहां पर आकर चले गए।

(व्यवधान)

अच्छा दो लोग हैं, ठीक है। लेकिन आप अकेले आए हैं। अच्छा, सुधार लीजिए, ये अकेले आए हैं, वो दो आए हैं। 12 से दो पर आ गए हैं। नीतीश कुमार जी से डरिए कि उनका जो विजन है, जनता उस विजन को मानती है और आपके कहने पर, आप कहते फिरते थे माई–बहन योजना। माई–बहन योजना मतलब क्या? राबड़ी देवी और अब दूसरा का नाम नहीं लेंगे।

(व्यवधान)

उसके अतिरिक्त आपको कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। इसलिए आप अपने में सुधार लाइए। अगर आप अपने में सुधार नहीं लाइएगा तो इससे भी खराब हो जाइएगा। जितना टोका–टोकी करना हो, कीजिए।

(व्यवधान)

ये बतलाते हैं, पूछ रहे थे कि बजट पर बोलिए। अब मैं बता रहा हूं आपको। आप बता रहे हैं कि हम 10 हजार पर जीते। आप बता रहे हैं कि हम इंडस्ट्री नहीं खोले। आप जितनी बातें कहें, जरा सा अध्ययन भी किया कीजिए। असल में नौवां फेल आप लोग के हैं न, इसलिए हो जाता है।

(व्यवधान)

इसका कंट्रिब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू इकोनॉमी, जो 2004–05 में मात्र 14 परसेंट था, अभी बढ़ कर के 24 परसेंट हो गया है। जानकारी ले लीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या शांति बनाये रखें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : GDP size in Rupees the 77,781 करोड़ रुपया 2004 से 2005 के बीच में थी, अब बढ़ कर के 11.39 लाख करोड़ 2005–06 में हो गयी है। उसके बाद पर–कैपिटा । बहुत बोलते रहते हैं, पर–कैपिटा इनकम बोलिए, पर–कैपिटा जीडीपी बोलिए, तो इसलिए हम लाए हैं आपके लिए।

(व्यवधान)

एकदम आप सत्य बोलिए, यह मेरा नहीं है, यह भारत सरकार की जो रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट कार्ड है। यह नौवां फेल के इंडस्ट्री का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। यह मेरा रिपोर्ट नहीं है। यह पहले 2.0 पर Between था, अब बढ़ कर के 4.3 पर Between हो गया है 2013–14, 2025 के बीच में, As Per 2020-21 के सीरीज में।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या आप शांति बनाये रखें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद कारखाना कितना था? इन लोगों के सामने में इस समय में 1,407 उसमें भी अधिकांश बंद हो चुके थे। अभी वह बढ़ कर के, जानकारी ले लीजिए, जानकारी जरूरी है 3,386 2023–24 में इसका हो गया है। उसके बाद फिक्स्ड कैपिटा, अब नौवीं फेल है तो हम क्या कह दें नौवीं पास?

(व्यवधान)

मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं। आपको जानकारी दे देता हूं और डिस्टेंस मोड में मैं था ।

उपाध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि जरा सा डिस्टेंस एजुकेशन चल जाए, तो फिर इनको हम पढ़वा देंगे अपने यहां। क्योंकि वह इन्हीं लोगों के लिए है।

(व्यवधान)

गरीबी रेखा से नीचे ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाएं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा से नीचे 2005–06 के बीच में 78.3 प्रतिशत था ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं । माननीय सदस्य बैठ जाएं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : सौरभ भाई, आप ही के लिए बोल रहे हैं। पहले गरीबी रेखा से नीचे 78.3 प्रतिशत था, अब घट करके गरीबी रेखा 33.8 प्रतिशत हो गयी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : आप तो पढ़े–लिखे हैं, जानकार लोग हैं। आप यह डाटा ले लीजिए न, ग्रहण कर लीजिए न। एनर्जी डेफिसिट...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : एक मिनट विनय बाबू रूकिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के0 कामराज आठवीं पास थे और उन्होंने आधुनिक तमिलनाडु का निर्माण किया। पूरे देश और दुनिया में उनका नाम है।

महोदय, तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया भर के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में हैं, वे पांचवीं पास हैं।

(व्यवधान)

यदि डिग्री से कुछ हो गया होता, तो मैं समझता हूं यह संविधान कहीं, यह बिहार नहीं, देश की जनता जो किसी कारण से कम पढ़ सकी, उसके प्रति अपमान भरा शब्द है । महोदय, ऐसी बातों का जिक्र ऐसे ही नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाएं । चौधरी जी, अपना भाषण जारी रखें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ये कामराज साहब के समय में चले गये । ये तो अपनी मैडम का नाम नहीं लिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप संजय बाबू अपने स्थान पर बैठ जाएं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, हम लोगों की बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी क्या पास थीं, उसी का उदाहरण दे देते। उसका उदाहरण क्यों नहीं दिए?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया बैठे–बैठे नहीं बोलें ।

श्री विनय कुमार चौधरी : इनके अपने ही पास उदाहरण था राबड़ी देवी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी। उसी का नाम ले लेते न?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या आप बैठ जाएं ।

श्री विनय कुमार चौधरी : क्यों कामराज जी पर चले गए? ये तो बिहार में ही हैं। उन्हीं का नाम भी ले लेते।

(व्यवधान)

उसके बाद एनर्जी डेफिसिट कितना था? 22.5 प्रतिशत था। अब घट कर के 0.4 प्रतिशत हो गया है। महोदय, पीक डेफिसिट पहले जो था 2003–04 में 19 प्रतिशत था, वो अभी 2024–25 में घट कर के 2.8 परसेंट है। उसके बाद नेशनल हाईवे हमारे यहां पहले इनके समय में, जब ये थे 2005 तक तब तक 3,629

किलोमीटर था। अब बढ़ कर के 6,389 किलोमीटर है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, पहले इनके समय में 7,714 किलोमीटर थी, वह बढ़ कर के अभी 16,784 किलोमीटर है। रूरल रोड्स पहले थी 63,262 किलोमीटर, वह बढ़कर के 1,31,007 किलोमीटर हो गयी है। अभी कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका क्या जवाब देंगे?

(व्यवधान)

एनुअल पैसेंजर, आप 15 साल में तो गर्त में ले गए थे। उस गर्त को लाने में समय लग गया ।

अध्यक्ष : विनय बाबू, आप आसन की ओर मुखातिब होकर अपनी बात रखें।

श्री विनय कुमार चौधरी : हम तो इधर देखते हैं, हम पीछे देखेंगे तो हमारा स्पोंडिलाइटिस बढ़ जाएगा ।

टर्न–16 / हेमन्त / 09.02.2026

(क्रमशः)

उपाध्यक्ष : उनसे उलझें नहीं।

श्री विनय कुमार चौधरी : हम पीछे नहीं देखते हैं। पीछे देखना भी नहीं है। इन लोगों को देखने से कुछ होने वाला है ? कुछ नहीं होने वाला है।

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें।

श्री विनय कुमार चौधरी : जो पहले शिक्षक और छात्र का अनुपात था, 104 छात्रों पर एक टीचर थे, जब इनकी सरकार थी। वह घटकर अभी 26 पर,...

(व्यवधान)

जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे। 26 पर हो गया है।

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें।

श्री विनय कुमार चौधरी : हमारे क्षेत्र में यह कहते हैं। यह मैं बतला देना चाहता हूं कि अनुमंडल अस्पताल नहीं था, यह लोग जब सरकार में थे। अभी हमारे यहां अनुमंडल अस्पताल बनकर तैयार होकर काम करता है, ब्लड बैंक बन गया है, आईसीयू की स्थापना हो गयी है और 30 डॉक्टर्स वहां पर हैं। ये मास्टर कहते हैं, बतलाइये, नौवीं फेल कहेंगे, तो ये फिर कहेंगे कि हमको बुला देता है। अरे, शिक्षक तो कहिये। मास्टर क्यों कहते हैं? हमको तो डर लगता है..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बैठ जायें, उनको बोलने दें। बिना आसन के आदेश के नहीं बोलना है।

श्री विनय कुमार चौधरी : आप शिक्षक नहीं बोलते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट...

(व्यवधान)

क्या करें ? नौवीं फेल हैं, तो गलत क्या कहे। गॉस इनरोलमेंट रेश्यो अपर प्राइमरी तक पहले 32 प्रतिशत था, अब बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया है।

(व्यवधान)

राष्ट्रीय की बात ये करते हैं। उस समय राष्ट्रीय कितना था, यह भी आप ही बता दीजिए न। हम जो नहीं बता पा रहे हैं, वह आप बता दीजिएगा।

उपाध्यक्ष : आप अपनी बात रखें माननीय सदस्य।

श्री विनय कुमार चौधरी : कि 2005 में राष्ट्रीय औसत क्या था ? यह आप बता दीजिएगा न। कुछ आपके लिए भी छोड़ देते हैं, आपको तो अब समय ही दो मिनट मिलेगा। उसी दो मिनट में आप अपना बोल दीजिएगा। उसके बाद इन्स्टीट्यूशनल....

(व्यवधान)

यह तो अब बड़ा प्रश्न कर दिये...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय बीते जा रहा है। आप उलझें नहीं, अपनी बात रखें।

श्री विनय कुमार चौधरी : कि दरभंगा में एम्स बन गया है। यह तो अभी बोल रहे हैं न कि दरभंगा में एम्स बन रहा है, यह तो हुआ कि एम्स की हमने स्वीकृति दी है। जब स्वीकृति दिये हैं, तब ही न आप पूछ रहे हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप क्या किये थे ? आप चरवाहा विद्यालय जो खोले थे, घोषणा किए थे, वह भी नहीं बना पाए थे। दिक्कत यह है, आप अपने कार्य का, एक कहावत है महोदय, कि आप जब तक इतिहास का अध्ययन नहीं कीजिएगा, भविष्य की संरचना नहीं हो सकती है। इन लोगों का अपने इतिहास, जो इनका अपना है, उसका भी अध्ययन नहीं करते हैं। अपने इतिहास का अध्ययन कर लीजिए, तब भविष्य की संरचना कीजिएगा, तब ख्वाब देखिए सरकार बनाने के लिए। महोदय, उसके बाद यह देते रहते हैं।

(व्यवधान)

अब हम गलत कह दिए, सौरभ भाई, तो आप सही कर दीजिएगा न। इसमें क्या दिक्कत है ? महोदय, एक समय था कि बिहार में गांव की सड़कें इतनी गड्ढा युक्त थी कि उसमें बैल भी नहीं चलने के लिए तैयार होता था, यह स्थिति थी। बिजली का हाल क्या था?

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास में एक मिनट का वक्त है। अपनी बात रखें, उलझें नहीं।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, पानी की जो स्थिति थी कि लोगों में पानी के कारण बहुत बीमारी बढ़ती थी। आज जल नल की एक ऐसी सुविधा आ गई है जिसके कारण आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो रही हैं।

(व्यवधान)

नहीं, अजय बाबू हमने क्या कहा था कि यह खराब है, यह नहीं कहा था कि नहीं है, दोनों में अंतर है। खराब और नहीं है, में अंतर है। इसको आपको समझना चाहिए। इसके बाद मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करा देना चाहता हूं

कि हमारे अनुमंडल अस्पताल में 28 डॉक्टर हैं, मैंने चर्चा की है। वहां आंख के डॉक्टर नहीं हैं, ईएनटी के डॉक्टर नहीं हैं, एनेस्थीसिया नहीं है, इन सभी के डॉक्टर हमको चाहिए। ऑर्थो के डॉक्टर तो हैं।

(व्यवधान)

मैंने तो कहा 28 डॉक्टर हैं। ये तीन डॉक्टर नहीं हैं। ऑर्थो के डॉक्टर तो वहां पर हैं, लेकिन वहां पर असिस्टेंट का पद नहीं है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य,...

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, बस एक मिनट। उसके बाद मैं मांग करना चाहता हूं कि बेनीपुर बाईपास निर्माण फेज–2 किया जाए। बेनीपुर, विशनपुर, नारबान और मुर्तजापुर पथ का चौड़ीकरण किया जाए। बेनीपुर में फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाए और हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। जुड़िया और बाड़ा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए और प्राथमिक विद्यालय...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है। माननीय सदस्य श्री मनोहर बाबू, आप अपना पक्ष रखें।

श्री विनय कुमार चौधरी : जो प्राथमिक विद्यालय है, उसको उत्क्रमित किया जाय। आपने समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : मनोहर बाबू, आपके पास छः मिनट का वक्त है।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा जो वित्त विधेयक पेश किया गया है, उसके विरुद्ध बोलना चाहता हूं। महोदय, विधेयक बनाने में तो निश्चित रूप से मेहनत की गई है, लेकिन जो मूलभूत समस्याए हैं, उन समस्याओं पर विवेचन नहीं किया गया, न विचार किया गया है। यह इस विधेयक की बहुत बड़ी अनुपयोगिता है। महोदय, हम लोग परिचित हैं कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है जिससे बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। हमारे यहां बेरोजगारी तीन प्रतिशत है। महोदय, 15 से 29 वर्ष की आयु के जो युवक हैं, उनकी बेरोजगारी 9.9 प्रतिशत है। महोदय, स्नातकों की बेरोजगारी 14.7 प्रतिशत से अधिक है। तो इतनी बड़ी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ब्रेक होना चाहिए कि किस तरह से उसको पूरा करें। महोदय, हमारे यहां पलायन की समस्या बहुत अधिक है। खेती में भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। मजदूरी नहीं मिल रही है और कम मजदूरी मिल रही है इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के कारण जो एक उत्पीड़न सहना पड़ता है, अलग है, घर से दूर रहना पड़ता है, अलग है, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि पलायन रुक सके और पलायन तभी रुक सकता है, जब कोई इंडस्ट्री खोली जाए और इंडस्ट्री खोली जाए तभी हम पलायन को रोक सकते हैं, हम इंडस्ट्री नहीं खोल

पाते हैं। हम कृषि पर अगर निवेश करें, कृषि पर निवेश करने पर हमारी जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि 75 प्रतिशत जो हम लोगों को रोजगार मिल रहा है, वह कृषि से मिल रहा है। इसलिए कृषि पर अधिक निवेश करने से हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है। इसलिए उस पर ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। पहले ऐसा हुआ था कि कृषि पर हम लोगों को घाटा हुआ था, तो उसमें ज्यादा निवेश किया गया था, तो जो उसका था, घट गया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : इसलिए कृषि पर विशेष जोर देने की जरूरत है, क्योंकि कृषि का भी जो जीडीपी में योगदान है, 22 प्रतिशत है। इसलिए 22 प्रतिशत से अधिक योगदान हमारा हो, तो उससे बहुत अधिक बेरोजगारी दूर हो सकती है।

महोदय बिहार में जो 62 प्रतिशत दलित लोग अशिक्षित हैं और 63 प्रतिशत बेरोजगार हैं। महोदय, यह सरकार दावा कर रही है कि हम दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, तो दलितों के उत्थान के लिए तो कोई काम हो नहीं रहा है, क्योंकि इतने अधिक 62 प्रतिशत तो लोग अशिक्षित हैं और 63 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। इसलिए उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जो ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है, कुछ बहाली भी हुई हैं, लेकिन अभी भी हजारों विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है। छात्रों के लिए भी शौचालय नहीं है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। शिक्षक का जो अनुपात है, वह 1:40 है। इसलिए इस अनुपात को घटाना होगा, कम से कम जो राष्ट्रीय औसत है, वह 1:20 के औसत में लाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अधिक से अधिक भवन बनाने की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहां भवन की कमी है और भवन की कमी के कारण एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है। कई विद्यालयों को एक विद्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है। इसलिए जब तक भवन नहीं बनेगा और पक्का भवन नहीं बनेगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो सकता है। इसके लिए भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, जो हमारे यहां कटाव हो रहा है। कटाव होता है, तो कटाव से काफी हानि होती है। एक तो जमीन कट जाती है, दूसरे, लोग निर्वासित हो जाते हैं और जो हमारी उपजाऊ जमीन है, वह भी घट जाती है। इसलिए इस कटाव को रोकने के लिए कारगर व्यवस्था करने की जरूरत है। क्योंकि कारगर व्यवस्था नहीं होने से हमारा कटाव बढ़ते जा रहा है और हमारे क्षेत्र में कई जगह ऐसा कटाव हो रहा है, जिसको बार–बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उस पर कोई...

(क्रमशः)

टर्न–17 / संगीता / 09.02.2026

श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्रमशः) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह होती है कि वहां से जो योजना बनाकर भेजी जाती है कि इतने खर्च होंगे तो यहां पर हेडक्वॉर्टर में उस खर्च को काट दिया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि जितनी जरूरत थी उतना का होता नहीं है, 500 मीटर का बनाने के लिए अगर योजना बनाकर भेजी जाती है तो लोग यहां 100 मीटर योजना कर देते हैं तो न तो योजना बन पाती है और न कटाव रूक सकता है तो सरकार का पैसा भी बर्बाद होता है और कटाव भी नहीं रूकता है इसलिए इससे तो अच्छा ही हो कि कटाव के लिए जो पैसा सरकार व्यय करती है उस पैसे को अगर जिनका जो कटौती से प्रभावित हों, उनको अगर दे दिया जाय तो अच्छा होगा । उनको अगर 20 लाख रुपया दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कि जो कटाव, जो निर्वासन की बात होती है जो उसको पुनर्वासित करना है वह पुनर्वासित नहीं हो पा रहा है । हमारे क्षेत्र में कम से कम 10 से 15 हजार से अधिक लोग विस्थापित हैं, उनको न कोई जमीन मिल रही है न उनको कोई मकान मिल रहा है, वे कहीं रोड पर कहीं बांध पर पड़े हुए हैं, यह स्थिति है इसलिए...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण समाप्त करें मनोहर बाबू, आपका समय हो गया है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो एक मिनट बाकी है ।

उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कटाव के बारे में बोल रहा था तो उस कटाव को रोकने की भी जरूरत है और जो वहां से प्रपोजल आता है, योजना का प्रपोजल आता है उसको कम से कम ठीक से देख लिया जाय कि अगर योजना चल रही है तो काम होगा नहीं तो फिर पैसे की बर्बादी हो रही है और काम भी नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायें माननीय सदस्य ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : जो भी योजनाएं बनें उसपर अधिक से अधिक कार्रवाई हो । बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती संगीता कुमारी । आपके पास में 10 मिनट का वक्त है ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज तृतीय अनुपूरक के वाद–विवाद पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । सबसे पहले मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे वक्त दिया बोलने का । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उपमुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्तमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी, सचेतक महोदय का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें । माननीय सदस्य टोका–टोकी नहीं करें ।

श्रीमती संगीता कुमारी : मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मोहनिया की जनता का कि जिन्होंने मुझे चुना और बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं तो एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह बजट जो है न्याय के साथ विकास की ओर अग्रसर है । माननीय वित्तमंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी ने जो 2026–27 का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने वाले इस समावेशी बजट से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी । इस बार बजट का आकार 3 लाख 47 हजार 589 करोड़ 76 लाख रुपये है जो पिछले बजट की तुलना में 30 हजार करोड़ अधिक है । वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के विकास की दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है । सरकार ने 2025 और 2030 तक एक करोड़ रोजगार सृजन करने और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट का जो आधार रखा है– ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के मूल्यों पर आधारित यह बजट है । बिहार की महिलाओं के लिए पहली बार 48 हजार करोड़ का प्रावधान है जिसमें महिलाओं का चौतरफा विकास किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जाएगा । हम धन्यवाद देना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अप्रतिम काम किया है, जिस तरह से महिलाओं को पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हो, नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हो, जिस तरह से स्कूल का आपने विकास किया है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं । मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में हर घर की एक महिला को 2 लाख रुपये दिये जायेंगे जिससे महिलाएं, अंतिम पायदान पर बैठी हुई हमारी महिलाएं सशक्त होंगी । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने वाली इस समावेशी बजट से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी । इस बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा पर 68 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं । स्वास्थ्य पर 21 हजार करोड़, ग्रामीण विकास पर 23 हजार करोड़, बिजली पर 18 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं । यह बजट कल के बिहार की नींव है । सड़क, पढ़ाई, खेती, रोजगार, इलाज सब साथ चलें तो आगे बढ़े बिहार । बिहार बजट विकसित बिहार की दिशा में...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप शांति बनाएं माननीय सदस्या ।

श्रीमती संगीता कुमारी : निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनके शासनकाल में दलितों के नरसंहार हुए, सबसे पहले किनके शासनकाल में नरसंहार हुए और दलितों के विकास के मार्ग जहां अवरूद्ध हो चुके थे...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पोस्टर को नीचें करें ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार ने महादलित मिशन बनाकर दलितों का उत्थान करने का जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली दलितों के उत्थान की बात है तो सबसे पहले समाज के...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं माननीय सदस्या । टोका–टोकी नहीं करें । उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती संगीता कुमारी : मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली महिलाएं जो प्रसव के समय सहायता करती थीं, समाज में निम्न दर्जे से देखी जाती थीं उसको मानदेय देकर, ममता दीदी का नाम देकर जो सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एन0डी0ए0 की सरकार ने दिया है, निश्चित तौर पर एन0डी0ए0 की सरकार ने अनुकरणीय कार्य किया है, वंदनीय काम किया है । जिस तरह से बिहार की दलित समाज...

(व्यवधान)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय और एन0डी0ए0 सरकार बिहार की जनता, बिहार की जो दलित आबादी है निश्चित तौर पर एन0डी0ए0 सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है । आज का दलित आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से अग्रसर है । सभी जिलों में अम्बेडकर छात्रावास खोले जा रहे हैं । सभी जगह आप देख लीजिएगा, सावित्री भाई फूले आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं । दलितों के लिए सामुदायिक भवन खोले जा रहे हैं । कहने का मतलब है, समाज के कहने का मतलब यह है कि...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप शांति बनाएं । माननीय सदस्या टोका–टोकी न करें ।

श्रीमती संगीता कुमारी : अगर बाबा साहब के सपनों को आज कोई साकार कर रहा है तो एन0डी0ए0 की सरकार कर रही है । यह बात जरूर कहना चाहती हूं जिस तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत चुनाव में अपार बहुमत और समर्थन मिला है और कुछ आपराधिक तत्व के लोग जिस तरह से विरोध कर रहे थे, चूंकि मैं दलित समाज

की महिला हूं हमने भी उस तरह के विरोध का सामना किया लेकिन बाबा साहब ने कभी समाज में विघ्न पैदा नहीं किया, बाबा साहब ने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं की तो उस समय राष्ट्रकवि दिनकर की कविता एन0डी0ए0 के सभी प्रत्याशियों बस राष्ट्रकवि, मुझे भी अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे तत्वों का सामना करना पड़ा महोदय, तो हमने लड़ा नहीं क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो हमने यही राष्ट्रकवि दिनकर की कविता हम याद रखें, यही कविता मैं पूरे चुनाव जिसका आज प्रतिपल है कि इतना अपार समर्थन मिला है –

''विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो,
विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो,
तपा है जो जला है जो चमक उसी में आयी है
समस्त ताप–तम में भी बढ़े चलो, सफल रहो
बस एक लक्ष्य साधकर गगन की ओर उड़ चलो
घटा घिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो
विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो ।''

राष्ट्रकवि दिनकर की कविता के माध्यम से आज ये जो जनसमर्थन मिला है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, शांति बनाएं ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समाज से मैं आती हूं संत रविदास ने जिस समय संत रविदास के समाज के आने वाले लोग हमलोग हैं और जिस समय समाज में धर्म परिवर्तन की पराकाष्ठा थी उस समय संत रविदास ने सनातन की रक्षा की, धर्म परिवर्तन की बजाय अपने धर्म के माध्यम से समाज में बैठी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, हम उनके वंशज हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से आपने दलितों के उत्थान के लिए काम किया है, जिस तरह आपने चमचमाती सड़कें दी हैं, जिस तरह से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में सुविधाएं दी हैं, जिनकी बच्चियों के लिए साइकिल–पोशाक दिया है, उन्हें राशन दिया है, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा दी है, हम दलित समाज के लोग आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, एन0डी0ए0 सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपलोगों ने दलितों को आवाज सही रूप में अगर कोई मुख्यधारा में जोड़ने की बात कर रहा है तो एन0डी0ए0 की सरकार कर रही है । जो लोग आरक्षण की बात करते हैं....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप शांति बनाएं । उनको बोलने दें ।

श्रीमती संगीता कुमारी : कुछ लोग सिर्फ समाजवाद का नाम लेकर, दलितों को गुमराह करने वाले अल्पसंख्यकों को गुमराह करने वाले लोग, लोग ये सिर्फ गुमराह करते हैं लेकिन जब विकास की बात हो तो कभी कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या तालिमी मरकज में शिक्षा की व्यवस्था हो या दलितों के उत्थान की बात हो अगर किसी ने काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके नेतृत्व वाली एन0डी0ए0 सरकार ने किया है ।

(क्रमशः)

टर्न–18 / यानपति / 09.02.2026

(क्रमशः)

श्रीमती संगीता कुमारी : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है और आज के परिप्रेक्ष्य में जो विकास दिख रहा है, महिलाओं के सशक्तीकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अप्रतिम योगदान है जिसको मैं अटल जी की कविताओं के माध्यम से कहना चाहती हूं कि क्या हार में, क्या जीत में...

(व्यवधान)

शांत रहिए, शांत रहिए । आपकी कार्यशैली यही रही है । कविता पाठ नहीं, कविता एक आईना होता है । शांत रहा कीजिए, हर चीज में मत बोला कीजिए ।

उपाध्यक्ष : आप शांति बनाएं, माननीय सदस्या, महिला बोल रही हैं ।

श्रीमती संगीता कुमारी : अटल जी की एक कविता है इसका अनुकरण कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा ।

''क्या हार में, क्या जीत में
किंचित नहीं भयभीत मैं,
कर्तव्य पथ पर जो भी मिला,
यह भी सही, वह भी सही
वरदान मांगूंगा नहीं,
हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा ।''

हार नहीं मानूंगी । उपाध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार जी, आपके पास 10 मिनट का वक्त है ।

श्री राहुल कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष–2026–27 के आय–व्ययक पर सरकार के लाये गये सामान्य विमर्श के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसके लिए मैं आपका, हमारे सचेतक और हमारे नेता तेजस्वी जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया है । महोदय,

काफी लोग चर्चा में अपनी बात को कह रहे थे, हमलोग भी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं एक चैट जी0पी0टी0 आजकल ए0आई0 सारे लोग यूज कर रहे हैं तो हमने उसमें बिहार बजट पर विमर्श के लिए लिखा, क्या लिखकर आया यह इनलोगों को सुन लेना चाहिए । Bihar continues to show strong economic growth while maintaining lowest per capita income in India. अब सोच लीजिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये ।

श्री राहुल कुमार : आप अपने प्रधानमंत्री से बात कीजिएगा । अपने प्रधानमंत्री से बात कीजिएगा, बीच में मत बोलिए ।

उपाध्यक्ष : राहुल जी, आप अपना भाषण जारी रखिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं करें, इनको बोलने दें ।

श्री राहुल कुमार : बिहार बजट की खामियों को रखने के लिए मैं इसको तीन प्रमुख विषयों में बांटना चाहता हूं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठ जायं ।

श्री राहुल कुमार : महिला, युवा और किसान अगर इन चीजों पर सरकार काम कर लेती है...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें, इनको बोलने दें ।

श्री राहुल कुमार : हम सबसे पहले महिला सशक्तिकरण पर बात करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आपने देखा होगा जीविका दीदियों के माध्यम से 10 हजार रुपया दिया गया, सरकार ने कहा था कि सब लोगों को दो–दो लाख रुपया देंगे । आप बजट का प्रावधान देखेंगे और दो–दो लाख रुपया देने की अगर उनकी मंशा होती तो बजट का प्रावधान कम से कम 3 लाख 10 हजार करोड़ रहता । इतना पैसा देने के लिए कम से कम पांच साल में 60–60 हजार करोड़ रुपया भी बढ़ाते तो मान के चलते कि उनकी मंशा है देने की लेकिन उनकी मंशा है नहीं तो इनका जो रोड मैप है कहीं दूर–दूर तक दिख नहीं रहा है । अब ग्रामीण विकास की बात करें तो मात्र बजट 60 हजार करोड़ से बढ़ा है, अब 60 हजार करोड़ से बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपया...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री राहुल कुमार : इसके बारे में इनको विस्तृत रूप से जानकारी देनी चाहिए कि इनका रोडमैप क्या है क्योंकि इस बार पूरा सरकार का इलेक्शन इसी मुद्दे पर लड़ा गया । आप हमारे युवा की बात करते हैं, बेरोजगारी, पलायन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है । हर व्यक्ति, हर सदस्य के क्षेत्र के लोग उस समस्या को झेल रहे हैं तो सरकारी नौकरी तो संभव नहीं है यह हमलोग भी मानते हैं लेकिन आप रोजगार जब देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या रोड मैप बनाकर रखा है । आप औद्योगिक विस्तार करके देना चाहते हैं, उसको अलग–अलग, पृथक रूप से इनको अपने बजट में बताना चाहिए था कि इतना रोजगार की बात आपने की है, इतना लाख सरकारी नौकरी में हम देंगे, इतना हम रोजगार सृजन करेंगे, इतना स्वरोजगार होगा, कितना प्राइवेट नौकरी से आयेगा और उन विषयों पर इनको अलग से बात अपनी रखनी चाहिए थी । अब औद्योगिक में ही इनलोगों ने, लगता है कि औद्योगिक का विकास यह कर पाते तो उसके लिए बेहतर काम करते लेकिन औद्योगिक में इन्होंने किया क्या है, इथेनॉल का प्लांट इन्होंने बनवाया था, कई प्लांट लगे थे और सारे 50 परसेंट कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, क्यों, सरकार की पॉलिसी की खामी के चलते । क्यों, केंद्र सरकार, इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनकी नीतियों की खामियों के चलते बिहार के सारे जो इथेनॉल प्लांट थे वह 50 परसेंट कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं । मतलब रोजगार तो इन्होंने पहले ही आधा कर दिया । तो इसके लिए तो अलग से भारत सरकार से बात करनी चाहिए थी या अलग से इसका बजट में प्रावधान रखना चाहिए था कि वह खरीदें या न खरीदें, हम आपको उतना पैसा देंगे । इसके अलावा हम आज देख रहे हैं कि हर तरफ नई–नई नीति की बात हो रही है, जो इंडस्ट्री है, आई0टी0 इंडस्ट्री वह ट्रांजिशन की फेज में जा रहा है । अब ट्रांजिशन की फेज में इंडस्ट्री जा रहा है, हमलोगों के पास सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है इसलिए कि देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास है, जो नए युवा वर्ग के लोग हैं तो सरकार के पास कोई प्लान है कि उनको किस तरह से ट्रेन्ड करना चाहते हैं, कैसे उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि कैसे वह भी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें । उनके पास स्किल्स हों, जिसके ऊपर उनको अलग–अलग नौकरियां मिल सकें और बिहार में ही साइबर सिटी का निर्माण कर सकें । अलग–अलग जगहों पर औद्योगिक नीति में करना चाहिए था । लेकिन उनका जो है कोई रोड मैप नहीं है, न ट्रेनिंग स्कूल की...

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, किस तरह की पॉलिसी कैबिनेट में आ रही है । इस तरह से रोजगार सृजन करने की बात है लेकिन इस तरह से अगर असत्य बोलकर, पूरे लोकतंत्र का मंदिर है और सभी लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम

कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र दो हफ्ते पहले और मुझे लगता है कि भारत की सबसे बेहतरीन जी0सी0सी0 पॉलिसी आई है वह तो माननीय सदस्य ने पढ़ने का और उसके ऊपर विचार करने की बात ही नहीं रखी साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी हब बनने जा रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं की । अपने 38 जिलों में 60 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आई0टी0 विभाग के चल रहे हैं उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की । ए0आई0 की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तीन सेंटरों पर एक्सीलेंस खुल रहे हैं उसकी चर्चा इन्होंने नहीं की लेकिन यह दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय ।

श्री राहुल कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि समय को बढ़ा दिया जाय, मेरे समय से नहीं काटा जायेगा । अब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ए0जी0 की रिपोर्ट देख लीजिए । घोस्ट अकाउंट में स्किल डेवलपमेंट का पैसा भेजा जा रहा है । स्किल डेवलपमेंट के नाम पर भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा धांधली की जा रही है और यह ए0जी0 की रिपोर्ट में है महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं । यह आपको देख लेना चाहिए था, आपके पास कौन सा स्किल टेस्ट चाहिए आपको, यह आपको विस्तृत जानकारी रहनी चाहिए थी न कि आपको कंबल बनाने वाला चाहिए कि चरखा बनाने वाला चाहिए कि ट्वाइलेट साफ करने वाला चाहिए, आपको चाहिए क्या । आपने स्किल डेवलपमेंट के नाम पर काम कर दिया लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है । चाहिए क्या आपको बताना चाहिए था, आपने कोई कंपिटेंसी मैपिंग की कि इस क्षेत्र में इतने लोगों को इतने रोजगार की आवश्यकता है तो आपलोग इसमें कुछ काम किए नहीं । बस स्किल डेवलपमेंट कर दिया, घोस्ट अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । यही आपकी नीति है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांत रहें, शांत रहें ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, अब वह किसान की बात करते हैं, एक समय था हमारे जो पूर्वज लोग थे वह कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान खेती को सबसे उत्तम माना जाता था । और जो वाणिज्य का काम है उसको मध्यम और नौकरी को सबसे न्यूनतम लेकिन आज क्या हो गया है उत्तम नौकरी, मध्यम बान, नीच खेती भीख निदान । आज खेती की स्थिति आपने क्या की है । आप किसान लोग अपनी उपज लेकर के और बाजार में बेचने के लिए औने–पौने दाम पर 1800 रुपये पर धान बिक रहा है, आपका समर्थन मूल्य क्या है । आपने सी0एम0आर0 और एफ0आर0के0 के नाम पर एक ऐसा भ्रष्टाचार का षड्यंत्र

बनाया है कि सारे किसान उसमें फंसकर रह गए हैं । आज कितना दिन बचा है । 28 तारीख को बंद हो जायेगा धान खरीद लेकिन आप क्या टार्गेट पूरा कर पायेंगे । सारे किसानों का धान खरीद पायेंगे । एक तो टार्गेट आपने कम रखा, उस टार्गेट को भी आप खरीद पायेंगे । आपने सी0सी0ए0 वाला नहीं कराया, कम से कम इस ढंग से आपको काम करना चाहिए था, आपके अपने लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको अपना एक रोड मैप तैयार करना चाहिए था, एक यह बताना चाहिए था । आप तो किसान की आय दुगुनी की बात करते हैं तो ऐसे आय दुगुनी करेंगे कि जो वह उत्पादन करेंगे उसकी भी खरीद नहीं हो रही है । बाढ़ में किसान की मछली बह जा रही है लेकिन सरकार कहती है कि हम उसको बाढ़ मानते ही नहीं, कैसे होगा । हम जिस क्षेत्र से आते हैं फ्लैश फ्लड आता है, फ्लड आता है 24 घंटे में फ्लड आकर पानी निकल जाता है, जो तबाही करना होता है कर देता है । जहानाबाद में पैसा नहीं मिलता है, नालंदा में पैसा मिल जाता है । अब यह कौन सा फ्लड आता है महोदय कि जहानाबाद से पानी जाता है नालंदा में लेकिन नालंदा में मिलता है, जहानाबाद में, तो इस तरह की नीति पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए । महोदय, इसके अलावा किसान सम्मान निधि आपने देखा होगा फाइमा आई0डी0 के नाम पर क्या कर रहे हैं । फाइमा आइ0डी0 के नाम पर निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि 50 परसेंट किसान इसमें लाभुक नहीं हो पायेंगे । बिहार सरकार ने अलग से तीन हजार रुपया देने का किया है । हम इनसे मांग कर रहे हैं कि एक तो इसको 10 हजार रुपया करें, वैसे किसान जिनका फाइमा आई0डी0 बनना छूट जायेगा उनको यह अलग से पैसा दें । ऐसा प्रावधान उसमें करें ताकि जो उनकी सोच है, मंशा है कम से कम दिखे, 3 हजार रुपया से 10 हजार रुपया करे और साथ ही हमलोग जानते हैं कि धीरे–धीरे हमलोग मंजलिस फार्मा की तरफ जा रहे हैं । जमीन कम हो रहे हैं, भूमिहीन किसानों की संख्या बढ़ रही है ।

(क्रमशः)

टर्न–19 / मुकुल / 09.02.2026

क्रमशः

श्री राहुल कुमार : मजदूरी करने वाले किसान ज्यादा हैं, नीतीश कुमार जी इस बात को समझते थे और इसलिए इन्होंने हमेशा उसका प्रावधान रखा है तो क्या आप यह पैसा वैसे किसानों और मजदूरों को भी देना चाहते हैं जो भूमिहीन हैं, नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से विशेष प्रावधान कीजिए कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी

बिहार सरकार कम से कम अपनी तरफ से पैसा दे, ऐसी योजनाएं इनको अपनी बनाकर रखनी चाहिए थीं । महोदय, आज भी हम जानते हैं कि खेती में वह क्षमता है कि बिहार में 70 प्रतिशत रोजगार जो है खेती कर सकती है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण संक्षिप्त करें ।

श्री राहुल कुमार : लेकिन हम अब देख सकते हैं कि उसमें यह संभव नहीं हो पा रहा है । महोदय, मनरेगा को वी0बी0–जी0 राम जी के नाम से इन्होंने कर दिया और खेती के समय में उस काम को बाधित कर दिया, अगर इनको करना ही था, अगर इनको किसानों के ऊपर सोचना ही था तो मेड बनाने, रोपनी करने, कटनी करने....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री राहुल कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । कटनी करने, ढुलाई करने आदि चीजों में इस योजना की राशि को खर्च करते तो मजदूरों को भी लाभ हो सकता था, लेकिन इस पर इन्होंने कुछ काम किया नहीं । आप देखिएगा कि धीरे–धीरे हमलोग मैकेनाइज खेती की तरफ हमलोग जा रहे हैं, छोटे–छोटे ट्रेक्टर्स बनाने चाहिए थे, उस पर सरकार को अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए था ताकि छोटे–छोटे किसान भी इसका लाभ ले सकें लेकिन इसपर इनका कुछ भी नहीं हो रहा है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री राहुल कुमार : महोदय, बस लास्ट । जो वित्तीय वर्ष बीत गया, उसमें इन्होंने 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, अनुपूरक मिलाकर 4 लाख 7 करोड़ रुपया का हो गया लेकिन फाइनली अभी तक ये खर्च क्या कर पाये हैं तो अभी जो है फरवरी तक ये 2 लाख 44 हजार करोड़ खर्च कर पायेंगे और फरवरी में। महोदय, हमारा समय अभी बचा हुआ है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं । माननीय सदस्य, श्री गोपाल कुमार अग्रवाल जी ।

श्री कुमार सर्वजीतः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं, हम उनसे एक आग्रह करते हैं कि बिहार में स्कील डेवल्पमेंट के जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग लिये हैं क्या आपके पास उन बच्चों का मोबाइल नम्बर सहित सरकार के पास रिकॉर्ड है और अगर है तो ये बच्चे....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्वेश्चन आवर नहीं है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, एक मिनट । ये बच्चे बिहार में कहां–कहां काम कर रहे हैं....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मुख्य बजट है, आप बैठ जाएं ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, यह सिर्फ कागज पर स्कील डेवल्पमेंट का काम चल रहा है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री गोपाल कुमार अग्रवाल । आपके पास में 15 मिनट का वक्त है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, वह महोदया बता रही हैं कि हमारे सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं.....

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने गत विधान सभा चुनाव में मुझ पर भरोसा किया, मुझे अवसर प्रदान किया और ठाकुरगंज की जनता ने जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, मैं सदन के माध्यम से उन सबका बहुत–बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । मैं आसन का और माननीय हमारे बड़े भाई सचेतक श्री श्रवण जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने आज मुझे अपने वक्तव्य का अवसर प्रदान किया है । ये जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पेश किया है 3 लाख 47 हजार 589.76 करोड़ का जो, ये बजट जो बुनियादी आवश्यकता है खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए और ये बजट इन सबको एक ऊंचाई देने का काम बिहार में करेगी । उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री, आलोक मेहता जी ने उद्योग के बारे में चर्चा की कि बेरोजगार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं और औद्योगिक विकास बिहार में नहीं हो रहा है । खास करके मैं बताता हूं, मैं सीमांचल के उस आखिरी छोड़ से आया हूं जो बंगाल और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है और बिहार का अंतिम हिस्सा है और सीमांचल से जितना बड़ा पलायन खास करके मजदूरी के लिए पंजाब, दिल्ली, लुधियाना की तरफ हो रहा है, होता था । हम इस बात के गवाह हैं कि.....

(व्यवधान)

नहीं, होता था, होता था, होता था ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : मैं खुद इस बात का सबसे बड़ा साक्षी हूं कि आज हमारे जैसे जो बिहार का आखिरी, अंतिम जो छोड़ है वहां पर, जहां पर कहने के नाम पर एक इन्डस्ट्री नहीं हुआ करती थी, आज वहां पर खास करके मेरा विधान सभा, जब हम बंगाल से बिहार की तरफ घुसते है अररिया की तरफ जब हम जाते हैं तो जो हमारा फोरलेन सड़क है उसके दोनों तरफ हमको लगता है, जो भावना हमलोगों को कभी हमलोग दिल्ली से, राजस्थान, हरियाणा की तरफ जाते थे तो हमलोग जिस तरह से दोनों तरफ उद्योगों का जाल देखते थे, जिस तरह से इंडस्ट्रीज देखते थे तो लगता था कि नहीं हमलोग जो हैं हिन्दुस्तान में हैं और हमारा क्षेत्र भी हिन्दुस्तान में है कि नहीं है । लेकिन आज हम धन्यवाद देंगे, जो माहौल बिहार में बना है, अरे हम भी बनिया समाज के बच्चे हैं, हमलोगों ने भी उस कालखंड को देखा है कि जब बाजार में नई मोटरसाइकिल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल बिकती थी, नई गाड़ियों की

जगह लोग पुरानी गाड़ियां लेते थे क्षमता रहने के बावजूद । थाने की क्या स्थिति थी, वही अंग्रेजों के जमाने का भवन और उसके बाद जो है खटारा जीप और वह खटारा जीप किस स्थिति में थी कि जो जवान होते थे थाना का, उस जवान का आधा समय तो जीप को धकेलने में चला जाता था और दारोगा जी क्या करते थे, जो मजबूत–मजबूत सिपाही होता था उसको जीप में लेकर चलते थे कि कहां गाड़ी को ठेलना पड़ जाए तो आज जो स्थिति है, आज विधि–व्यवस्था ऐसी बनी कि खास करके हमारा सीमांचल का इलाका जोकि किडनैपर का सबसे बड़ा उद्योग था, जो 2005 से पहले अपहरण का सबसे बड़ा उद्योग था बिहार में, आज हमारे यहां आप आइये बंगाल से जब बिहार की तरफ घूसिएगा तो रोड के दोनों तरफ आपको इन्डस्ट्रीज मिलेंगी, आज हमारे यहां इतनी बड़ी–बड़ी हमारे यहां एक इंडस्ट्री 2009 में पहली बार आयी थी रीगल । जो स्टार्च की फैक्ट्री है.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी न करें और बैठे–बैठे न बोलें ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : हमारे यहां पहले धान और जूट की खेती होती थी और जूट में मेहनत बहुत ज्यादा था, किसान को कोई फायदा नहीं होता था, नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां सारी जमीनी एक फसला रह गयी, सिर्फ धान का एक बार खेती होती थी लेकिन एक रीगल ने पूरे किशनगंज जिला ही नहीं, बगल के अररिया जिला और बगल के बंगाल के भी कई प्रखंडों को आज वहां पर दो–दो मकई की खेतियां हो रही हैं । न केवल लोगों को रोजगार मिला, बल्कि किसानों को भी एक नया रास्ता मिला काम करने के लिए और उनकी आमदनी बढ़ी है इससे और आज एक इंडस्ट्री नहीं कम से कम 10 दर्जन इंडस्ट्री हमारे यहां बैठी है और जो सीमांचल हमारे यहां अगर आप चले जाते, अगर आप किशनगंज के रेलवे स्टेशन पर जाते.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बैठे–बैठे नहीं बोलें माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : आप ठाकुरगंज के रेलवे स्टेशन पर अगर दिल्ली जाने वाली ट्रेन के समय में खड़े होते तो आपको लगता कि कहीं कुम्भ का मेला तो नहीं लगा हुआ है, हमारे यहां यह हालात थे, लेकिन आज आप जाइये हमारे यहां मजदूरों का पलायन रुका । जो मजदूर, जो नौजवान, अपने बूढ़े मां–बाप.....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाएं । बैठे–बैठे नहीं बोलें ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : अपने परिवार, अपनी पत्नी को छोड़कर दो जून की रोटी के लिए दिल्ली और पंजाब जाता था, आज वह नौजवान घर में रहकर इंडस्ट्री में काम कर रहा है । हमारे यहां काम हो रहा है, आज क्या है । पहले जब हम बंगाल जाते थे तो बंगाल की सड़कों को देखकर बोलते थे भाई हम बंगाल में आ गये.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : बिहार की सड़कों को पार करना एक महाभारत लगता था, घंटों में सड़कें गिनी जाती थी, 10 कि0मी0 जाने में 40 मिनट लगता था, हमारे यहां से बंगाल का सिलीगुड़ी मार्केट मात्र 55 कि0मी0 है, लेकिन आज सिलीगुड़ी जब हमलोग जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो सिलीगुड़ी के लोग बोलते हैं वाह आपके बिहार का रास्ता कितना बढ़िया हो गया है, कितना बढ़िया सड़क आपके यहां का हो गया । अरे, यही पटना आने के लिए हमलोगों को एक रात बरौनी में रुकना पड़ता था ठाकुरगंज से आने के लिए, एक रात बरौनी में स्टे करते थे या फिर एक रात मुजफ्फरपुर में स्टे करते थे, दूसरे दिन हमलोग पटना आते थे, आज हमलोग 6 घंटा में ठाकुरगंज से 450 कि0मी0 हमलोग पटना आ जाते हैं आराम से और रास्ते में हमलोग आधा घंटा चाय–पानी भी ले लेते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जब पहला चुनाव हम लड़े थे 2005 में तो पहला जब चुनाव हम लड़े थे तो चुनाव लड़ने के लिए महिन्द्रा का फोर व्हीलर गाड़ी खरीदे थे और वह भी कहीं–कहीं फंस जाता था तो अगल–बगल से ट्रेक्टर मंगवाकर के गाड़ी को खिचवाना पड़ता था । जब 2010 का विधान सभा चुनाव हम लड़े...

(व्यवधान)

सच्चाई यही है, यह सच्चाई है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : जब 2010 का विधान सभा चुनाव हम लड़े तो स्कोर्पियो गाड़ी से लड़े और 2015 का चुनाव इनोवा पर लड़े और 2020 का चुनाव हम फॉर्चुनर गाड़ी में बैठकर लड़े, लोग बोलते हैं कि बिहार नहीं बदल रहा है । कौन गांव ऐसा है जो सड़कों से नहीं जुड़ा है । अगर सड़कों के निर्माण की यही स्थिति बनी रही तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2030 के बाद जो सरकार हमारी बनेगी तो हमलोगों का काम रह जायेगा, पहले बनी हुई सड़कों का चौड़ीकरण करना. .....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाए रखें, टोका–टोकी न करें । माननीय सदस्य, बैठे–बैठे नहीं बोलें ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण करना, यह हमलोगों का काम पांच साल के बाद रह जायेगा । गांव में पुल–पुलिया बन गया, पहले लोग एक–एक पुल के लिए तरसते थे, आज गांव–गांव में पुल–पुलिया बना है । जहां छोटे पुल की आवश्यकता थी वहां 2–2 और 3–3 स्पेन का पुल बना है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें ।

टर्न–20 / सुरज / 09.02.2026

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : आज जो स्थितियां हैं, कम्यूनिकेशन बढ़ा है और जहां–जहां सड़कें बनी है चौक–चौराहे मार्केट का रूप ले लिया और जब मार्केट का रूप चौक–चौराहा ले लिया तो वहां पर जो गांव का गरीब किसान है जिसके घर के पीछे में 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 4 कट्ठा जमीन है, सब्जी उगाता है । शाम को सब्जी या गोरू पालता है तो दूध शाम को लेकर आता है उस हाट में और उसको बेचकर शाम को जब जाता है तो घर के लिये शाक–सब्जी और अनाज लेकर जाने का काम करता है । चारों तरफ, हर चौराहे पर मार्केट का रूप ले लिया है । लोगों को रोजगार का अवसर मिला है । नौजवानों को, युवाओं को रोजगार करने का अवसर मिला है कोई दुकान खोल रहा है, कोई किसी चीज का काम कर रहा है, अवसर प्राप्त हुये हैं और आपलोग कहते हैं कि हमारे यहां पलायन हो रहा है । आज क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हमारे बिहार से लोग जाएं काम करने दिल्ली, पंजाब, बाहर लेकिन रिक्शा और मजदूरी करने के लिये नहीं जाए । हमारे यहां से जो लोग जाए वह स्किल्ड लेवर बनकर जाए । टी0वी0 मैकेनिक बनकर जाए, डीजल मैकेनिक बनकर जाए, इलेक्ट्रिक मैकेनिक बनकर जाए और आज पूरे बिहार के कोने–कोने में आई0आई0टी0 कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है । हमारे ठाकुरगंज में प्रतिवर्ष 5 सौ बच्चे पॉलिटेक्निक की डिग्री लेकर, डिप्लोमा की डिग्री लेकर, मैं पिछले दिनों दिल्ली में घूम रहा था चाणक्यापुरी में ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

दो बच्चे आयें हमारे क्षेत्र के और हमारा पैर छूए तो कहा कि भाई तुमलोग यहां पर तो वह जर्सी लगाए हुये थे मेट्रो वाला तो हमने कहा तुमलोग बाबू यहां पर तो वे बोले कि यहां पर मेट्रो का जो काम हो रहा है, इसमें हमलोग इंजीनियर हैं । मैंने बोला इंजीनियर तो उन्होनें बोला कि वही डिग्री, वही पॉलिटेक्निक कॉलेज, आई0आई0टी0 कॉलेज जो आपलोगों ने खोला था उसी से पढ़कर हमलोग इंजीनियर बने हैं, यह सपना था । हम तो खुद बनिया समाज से पैदा हुये । हमलोगों ने उस कालखंड को झेला है । हमारे कितने रिश्तेदार सूरत और गुजरात चले गये । अपना काम छोड़कर चले गये और क्या–क्या हुआ । हमारे परिवार में भी किडनैपिंग हुई थी और कहां उसका सेटलमेंट हुआ, ये सब मुंह मत खुलवाइये।

(व्यवधान)

मुंह मत खुलवाइये समझे कि नहीं और सबसे बड़ी बात है शिक्षा के क्षेत्र में आज आप जाइये । हमारे साथियों ने कहा कि जहां भी पिंक कलर का चमचमाता बिल्डिंग

दिखेगा वह समझ लिजिये कि बिहार सरकार का स्कूल है । आज क्या है, पहले एक पंचायत में मुश्किल से तीन से चार प्राथमिक विद्यालय होता था और मध्य विद्यालय एक से दो किसी पंचायत में होता था । आज हर वार्ड में एक मध्य विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है और सबसे बड़ी बात है, सपना था किशनगंज जिले में जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे तो रूईधासा मैदान में मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी के भाषण में, अपने भाषण में कहा था कि हमारे किशनगंज जिले में मात्र 13 हाई स्कूल है । आश्चर्य किया था मुख्यमंत्री महोदय ने, कहा कि 13 हाईस्कूल हैं, मुख्यमंत्री जी को हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो डी0एम0 को बुलाकर पूछे तो डी0एम0 ने भी कहा कि हां 13 हाई स्कूल हैं पूरे जिले में और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने वहां से घोषणा किया कि हम हर पंचायत में एक हाईस्कूल खोलने का काम करेंगे और आज बिहार के हर पंचायत में हाई स्कूल ही नहीं बल्कि हर प्रखंड में सरकार प्लस टू का विद्यालय खोलने का काम कर रही है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया संक्षेप करें ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : आपके समय क्या था, बेंच–टेबल नहीं था, स्कूल का भवन नहीं था.. .

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया संक्षेप करें ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : चटई और बोरा लेकर बच्चे आते थे स्कूल में पढ़ने के लिये । आज स्मार्ट क्लास है, आज बेंच–टेबल है, नया चमचमाता भवन है, स्मार्ट क्लास रूम है, बच्चों को कपड़ा दिया जा रहा है, बैग दिया जा रहा है, किताब दिया जा रहा है और सारी सुविधाएं बच्चों को देने का काम सरकार कर रही है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप करें ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : महोदय, एक मिनट । सारा काम करने का काम सरकार कर रही है । आज आप इलाज के क्षेत्र चले जाइये, स्वास्थ्य के क्षेत्र में...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप आसन की ओर देखिये ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : आज क्या है, हमारे यहां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और दवाई है, डॉक्टर है । सबसे बड़ी बात है आप डायल करते हैं आपके दरवाजे पर एम्बुलेंस आ जाती है । दरकार पड़ने पर वही एम्बुलेंस आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से अनुमंडल स्वास्थ्य केन्द्र ले जाती है और दरकार पड़ने पर वही एम्बुलेंस अनुमंडल स्वास्थ्य केन्द्र से आपको पटना पी0एम0सी0एच0 तक लेकर आती है । गरीबों को कितना बड़ा सहारा मिला है । एक प्राइवेट डॉक्टर के यहां आप जाइये कितना खर्चा होता है । आज गरीबों को सबसे बड़ा उसके बजट में सबसे बड़ा बचत हो रहा है स्वास्थ्य विभाग से इसलिये...

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिये एक ही बात कहूंगा कि आज से एक सौ साल बाद भी जब बिहार की गौरव गाथा लिखी जायेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम सबसे ऊपर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिये कि

''शख्सियत गुम हो जायेगी खला के धुंध में एक दिन
और देखना लोग कारनामों को याद करते रह जायेंगे'' ।

जय हिंद, जय भारत ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक पर हुये सामान्य विमर्श पर अब सरकार का उत्तर होगा । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिनांक–02 फरवरी, 2026 को माननीय राज्यपाल महोदय के संबोधन के साथ बिहार विधान मंडल का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था । तदोपरांत दिनांक–03 फरवरी 2026 को राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2026–27 का वार्षिक वित्तीय विवरण मैंने सदन के पटल पर रखा था, जिसमें आंकड़ों के साथ–साथ राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय का लक्ष्य निहित था आलोक जी, सब कुछ था उसमें । सदन में माननीय सदस्यों द्वारा बजट 2026–27 पर सामान्य विचार–विमर्श के क्रम में अपने सुझाव सदन में व्यक्त किये जिसे मेरे द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लिया गया और बातें संभव होगा, उचित होगा, जो ज्ञान से युक्त होगा, ईमान से युक्त होगा उसको सन्निहित भी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार का बजट आकार पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो वर्ष 2004–05 में 23,885 (तेईस हजार आठ सौ पचासी) करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2026–27 में 3,47,589.76 (तीन लाख सैंतालीस हजार पांच सौ नवासी करोड़ छिहत्तर लाख रुपये) तक पहुंच गया है । यह वृद्धि राज्य की विकास, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाती है ।

महोदय, एक तरफ जहां भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है । वर्ष 2025–26 के लिये अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांतों पर चलते हुए बिहार सरकार ने सात निश्चय–1 और सात निश्चय–2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा,

स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं । अब सात निश्चय–3 (वर्ष 2025–2030) के संकल्प के साथ बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है ।

महोदय, इस संकल्प के अंतर्गत पहला संकल्प–दोगुना रोजगार–दोगुनी आय है, इसमें राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगारपरक गतिविधियां संचालित करने हेतु सभी परिवारों की महिलाओं को 10 हजार रुपये देना एवं इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करना, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्य दक्षता बढ़ाना, जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना इत्यादि शामिल है । महोदय, यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 56 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 (दस हजार) रुपये की सहायता दी जा चुकी है ।

महोदय, वर्ष 2020 से 2025 तक युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है । अगले 5 सालों में इसे दोगुना करते हुए 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है । इस हेतु बिहार अपने मानव शक्ति को इस भूमण्डलीय युग में आज की मांग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने के प्रति कृतसंकल्प है । कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में ''जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय'' की स्थापना की गई है ।

महोदय, दूसरा संकल्प– समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार के अंतर्गत बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केन्द्र बनाना, हिार को विश्वस्तरीय कार्य स्थल के रूप में विकसित करना, बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना एवं नये बड़े उद्योगों को लगाने के लिये मुफ्त जमीन एवं आकर्षक अनुदान देने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है । साथ ही सात निश्चय–3 के तहत ''समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार'' अंतर्गत राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जायेगा तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना की जायेगी ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / धिरेन्द्र / 09.02.2026

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, हमारी औद्योगिक नीति राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य पर केन्द्रित है । सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर विशेष जोर देते हुए वर्त्तमान सरकार द्वारा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का गठन किया गया है । उद्यमियों के हित में राज्य में बिहार उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग का भी गठन किया गया है ।

महोदय, डिफेन्स कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना करने के साथ–साथ बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों को स्टार्ट–अप एवं अन्य न्यू ऐज इकोनॉमी प्रक्षेत्र में रोजगार सृजन में सक्षम बनाने हेतु भी कार्य योजना बनायी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 से कृषि रोडमैप बनाकर कृषि का विकास किया जा रहा है । अब तक तीन कृषि रोडमैप क्रमशः वर्ष 2008–2012, वर्ष 2012–2017, वर्ष 2017–2023 को क्रियान्वित किया जा चुका है ।

महोदय, तीसरा संकल्प–''कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि'' के अंतर्गत अब किसानों की आय बढ़ाने, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के लिए चौथे कृषि रोडमैप वर्ष 2024–2029 के काम में और तेजी लाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है । साथ ही, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के अंतर्गत 114 प्रखंडों में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सब्जी हाट, मिनी कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग–ग्रेडिंग शेड एवं प्रबंधन कार्यालय शामिल होंगे ।

महोदय, चौथा संकल्प– ''उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य'' के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोजना, पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना एवं एक नये एजुकेशन सिटी का निर्माण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ।

महोदय, पाँचवां संकल्प– ''सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन'' के अंतर्गत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करना, जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करना, नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं ईलाज के लिए लोक–निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना एवं सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाने हेतु सरकार संकल्पित है ।

महोदय, छठा संकल्प– ''मजबूत आधार–आधुनिक विस्तार'' के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, सुलभ संपर्कता का विस्तार,

सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा, पर्यटन विकास समृद्ध बिहार, युवा शक्ति–खेल में प्रगति, अनुरक्षण एवं रख–रखाव आदि शामिल है, जिसे पूर्ण करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है । महोदय, बताते हुए हर्ष हो रहा है कि...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अनुमति नहीं दिये हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बिहार राज्य के कुल 38 जिलों के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने अपनी बातों को रखा है । माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कम–से–कम एक खेल मैदान बनाने का लक्ष्य है। अब तक कुल 5341 खेल मैदान चिन्हित किया गया है जिसमें से कुल 4849 खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा 492 निर्माणाधीन है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

लोग भाग गए । ये सच बात सुनने के आदी नहीं है ।

महोदय, सातवां संकल्प– ''सबका सम्मान–जीवन आसान'' के अंतर्गत बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध कराएगी और संपत्ति पंजीकरण की सुविधा भी घर पर ही प्रदान करेगी, साथ ही आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल एवं सम्मानजनक बनायेगी ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले एक दशक में बिहार ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपने विकास के आधार को सशक्त किया है । कृषि क्षेत्र में हमारा राज्य देश में अग्रणी है । वर्ष 2024–25 अंतर्गत देश में बिहार राज्य का मखाना एवं लीची में प्रथम, मक्का उत्पादन में द्वितीय, शहद में चौथा, चावल उत्पादन में पाँचवा और गेहूँ उत्पादन में छठ्ठा स्थान रहा है । भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85 प्रतिशत और लीची का 23 प्रतिशत बिहार में उत्पादन होता है । साथ ही, सब्जी एवं मक्का उत्पादन में भी राज्य शीर्ष उत्पादकों में शामिल है । इसके अतिरिक्त, सिंचाई क्षमता का विस्तार करते हुए प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 70.5 प्रतिशत तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 75.2 प्रतिशत भूमि को आच्छादित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है, राज्य अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय उच्च पथ के अन्य महत्वपूर्ण मेगा परियोजनाओं में दानापुर–बिहटा–कोईलवर प्रगति में है, आमस–दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना प्रगति में है, मुंगेर–मिर्जा चौकी 4–लेन परियोजना प्रगति में है, दिघवारा शेरपुर के बीच गंगा

नदी पर 6 लेन पुल प्रगति में है । महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर गंगा नदी पर 4 लेन पुल प्रगति में है । जे०पी० सेतु के समानान्तर गंगा नदी पर 6 लेन पुल प्रगति में है । अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कच्ची दरगाह– बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के चरण–02 के अंतर्गत "हाजीपुर–महनार पथ से चकसिकंदर'' एवं चरण–03 के अंर्तगत ''राघोपुर दियारा, वैशाली से हाजीपुर–महनार पथ'' का निर्माण कार्य प्रगति पर है । जे०पी० गंगा पथ से पटना घाट संपर्कता (पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक) का निर्माण कार्य प्रगति पर है । मीठापुर से सिपारा एलिवेटेड पथ एवं सिपारा में रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है । जन निजी भागीदारी के अन्तर्गत बख्तियारपुर–ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पहुँच पथ के साथ 4 लेन पुल परियोजना (लंबाई 51 किलोमीटर) का निर्माण कार्य प्रगति पर है । साथ ही, सात निश्चय–3 (वर्ष 2025–30) अन्तर्गत सुलभ सम्पर्कता हेतु 05 नये एक्सप्रेस–वे का निर्माण किया जाना है ।

महोदय, ग्रामीण सड़कों की लंबाई वर्ष 2015–16 में 64,205 (चौसठ हजार दो सौ पाँच) किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 1.19 लाख किलोमीटर हो गई है, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया है । ऊर्जा क्षेत्र में बिहार अभाव की स्थिति से निकलकर उपलब्धता की ओर बढ़ रहा है और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2015 में 203 KWh से बढ़कर वर्ष 2025 में 374 KWh हो गया है । साथ ही, अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रुफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है ।

महोदय, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कल्याणकारी व्यय तीन गुना बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप संस्थागत प्रसव में 76.2 प्रतिशत की वृद्धि और मातृ मृत्यु अनुपात में 61 अंकों की कमी आई है, जबकि प्राथमिक नामांकन 70 प्रतिशत से ऊपर बना हुआ है तथा विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से उच्च शिक्षा की क्षमता का विस्तार हुआ है ।

महोदय, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका के तहत 11 लाख 45 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 40 लाख परिवार जुड़े हैं और 91 लाख सदस्यों को बीमा कवरेज मिला है । ये सभी उपलब्धियाँ बिहार की सतत प्रगति को दर्शाती हैं और इस बजट के अंतर्गत समावेशी एवं टिकाऊ विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं । आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में जीविका द्वारा कार्य किया जा रहा है । महिलाएँ विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को अपनाकर उद्यमी बन रही हैं । वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 11,03,627 है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसकी संख्या 41,477 है ।

अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं । वर्ष 2026–27 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.0 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है । वित्तीय वर्ष 2026–27 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2026–27 में राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत है ।

महोदय, हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए राजस्व बचत को वर्ष 2026–27 में 1,143 करोड़ रुपये रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024–25 में कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,91,997.00 करोड़ रुपये का 37.72 प्रतिशत है । बेहतर ऋण प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2026–27 के अन्त में कुल बकाया ऋण 4,46,326.07 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये का 34.09 प्रतिशत होता है ।

....क्रमशः....

टर्न–22 / अंजली / 09.02.2026

(क्रमशः)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024–25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 9 प्रतिशत है जिसे वर्ष 2026–27 में कम करते हुए 8.89 प्रतिशत अनुमानित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने के लिए वर्ष 2026–27 के कुल बजट का लगभग 66.53 प्रतिशत (2,31,267 करोड़ रुपये) राशि विकासमूलक मदों में कर्णांकित किया गया है । साथ ही, आमजन के कल्याण एवं सुख–समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 3,47,590 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है । सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए 39,377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श के दौरान सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों के लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूँ–''बुरे को सारे नजर आते हैं बुरा'', जैसे–कहावत है ''चोरों को सारे आते हैं चोर नजर'' जो गंदे लोग हैं, वे गंदगी ही देखते हैं, अच्छाई देखने की उनकी जिज्ञासा और इच्छा नहीं है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सशक्त नेतृत्व ज्ञान, वाणी, दृष्टि और ईमानदारी के चलते यह बिहार, समृद्ध बिहार में आगे आएगा, इन्हीं शब्दों के साथ–साथ बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–09 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–40 (चालीस) है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक–10 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।